द्वितीय माला, खण्ड ८—अंक ५

१५ नवम्बर, १९५७ (शुक्रवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Third Session)

(खण्ड ८ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में)

३ शिलिंग (विदेश में)

234 LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड ८, अंक १—१०, ११ से २२ नवम्बर, १९५७)

	पृष्ठ
अंक १, सोमवार, ११ नवम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या १ से ४, २८, ५ से ७, ९ से ११, १३ से १५ और १७ से २४ ।	१–२५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८, १२, १६, २५ से २७, और २९ से ३६	२५–३२
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ३२	३२–४४
श्री सारंगधर दास तथा श्री आर० एस० शर्मा का निधन . .	४५
स्थगन प्रस्ताव—	
१. बड़ानगर में रेल दुर्घटना . . .	४५–४६
२. उत्तर प्रदेश और बिहार आदि में अनेक क्षेत्रों में तथा कथित सूखे की कथित स्थिति तथा भुखमरी . .	४६
३. रामनाथपुरम् जिले में दंगे . . .	४६–४७
४. पुनर्वास मंत्री-सम्मेलन में पुनर्वास मंत्री का वक्तव्य . .	४८
सदस्य की गिरफ्तारी तथा अपराधी ठहराया जाना . . .	४८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४८–५१
राज्य सभा से सन्देश	५१
औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) निर्णय संशोधन विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया .	५१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५१–५२
दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . .	५२
दिल्ली विकास विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . .	५२
नौसैना विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . .	५२

	पृष्ठ
विधेयकों सम्बन्धी साक्ष्य—सभा पटल पर रखे गये . .	५२
तारांकित प्रश्न संख्या ११३० के उत्तर की शुद्धि . . .	५२–५३
अपराधी परिवीक्षा विधेयक—पुरःस्थापित .	५३
सभा का कार्य	५३
औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) निर्णय संशोधन विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	५३–६३
खण्ड २ और १ . .	६२
पारित करने का प्रस्ताव . . .	६२
औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	६३–८६
कार्य मंत्रणा समिति	८६
दसवां प्रतिवेदन	
दैनिक संक्षेपिका	८७–९४
अंक २, मंगलवार, १२ नवम्बर, १९५७	
श्री तैयबजी का निधन	९५
दैनिक संक्षेपिका	९६
अंक ३, बुधवार, १३ नवम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या ७५ से ९० . . .	९७–१२१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३७ से ७४, ९१ से ९८ और १०० से १२७	१२१–५०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३३ से ९७, ९९ से १०१, १०३ से १०६ और १०८ से १७७	१५०–२०७
स्थगन प्रस्ताव—	
पुनर्वास मंत्रियों के सम्मेलन में पुनर्वास मंत्री का वक्तव्य . .	२०७–०९
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२१०–११
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
आठवां प्रतिवेदन	२१२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
कोसमा में रेल गाड़ियों की टक्कर . . .	२१२
तारांकित प्रश्न संख्या १४५७ के उत्तर की शुद्धि . .	२१३
वित्त मंत्री द्वारा अपने विदेशी दौरे के बारे में वक्तव्य . . .	२१३
भारत का रक्षित बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	२१३–१४

भारत का रक्षित बैंक अध्यादेश के सम्बन्ध में वितरण—सभा पटल पर रखा गया २१४

कार्य मंत्रणा समिति

दसवां प्रतिवेदन २१५

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव २१५–२३

खण्ड २ से १५ और १ २१६–२३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २२३

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २२३–५२

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव २५२–६०

दैनिक संक्षेपिका २६१–७०

अंक ४, गुरूवार, १४, नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १२८ से १३२, १३४ से १३६, १३८ से १४०, १४२, १४३, १४५, १४७ से १५० और १५२ से १५४ २७१–९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३३, १३७, १४१, १४४, १४६, १५१ और १५५ से १६९ २९७–३०६

अतारांकित प्रश्न संख्या १७८ से २२५ ३०६–२४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३२४–२६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

विजयवाडा-मद्रास सेक्शन में रेलवे लाइनों का टूट जाना ३२६

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव ३२६–४१

खंड १ तथा २ ३४०

पारित करने का प्रस्ताव ३४०

सरकारी नौकरी (निवास विषयक अपेक्षा) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव ३४१–६४

पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३६३

अपराधी परिवीक्षा विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव ३६४–६५

दैनिक संक्षेपिका ३६६–७०

अंक ५, शुक्रवार, १५ नवम्बर, १९५७ — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १७० से १८१, १८४ से १८६, १८८, १८९ और १९२ से १९४ . . . ३७१–९७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . ३९७–४०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२, १८३, १८७, १९०, १९१ और १९५ से २०६ . . . ४०३–०८

अतारांकित प्रश्न संख्या २२६ से २४०, २४२ से २६५ और २६७ से ३०६ . . . ४०८–४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४४७

सभा का कार्य . . . ४४८

अपराधी परिवीक्षा विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव . . . ४४८–६२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति—

आठवां प्रतिवेदन . . . ४६२

पदच्युत सरकारी कर्मचारियों के मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिये एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति संबंधी संकल्प . . . ४६३–८१

फार्मिस्ट परिणामों के प्रमाणीकरण संबंधी आवश्यक योग्यता वाली परीक्षाओं को नियंत्रण करने के लिये एक संविहित निकाय की नियुक्ति संबंधी संकल्प . . . ४८१–८२

कार्य मंत्रणा समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन . . . ४८२

दैनिक संक्षेपिका . . . ४८३–८७

अंक ६. सोमवार, १८ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या २०७ से २१४, २१७ से २१९, २२१ और २२२ . . . ४८९–५१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१५, २१६, २२०, २२३ से २२७ और २२९ से २३७ . . . ५१३–२०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७ से ३४८, ३५० से ३५६ और ३५८ से ३६७ . . . ५२१–४४

स्थगन प्रस्ताव—

रामनाथपुरम् जिले में उपद्रव . . . ५४४–४६

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५४६–४७

कार्य मंत्रणा समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन ५४६

अपराधी परिवीक्षा विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव ५४७–८४

संयुक्त समिति को सौंपने के लिये संशोधन स्वीकृत हुआ . . ५८४

नौ-सेना विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार के लिये प्रस्ताव . ५८४–९१

दैनिक संक्षेपिका ५९२–९५

अंक ७, मंगलवार, १९ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या २३८ से २४६, २४८ से २५०, २५२ से २५४ और २५६ से २६० . . . . . ५९७–६२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४७, २५१, २५५, २६१ से २६७, २६९ से २७७ और २७९ से २८१ . . . . . ६२३–३०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६८ से ३९९ . . . ६३०–४४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६४४–४६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

लक्खी सराय रेलवे स्टेशन पर विस्फोट . . . ६४६–४७

नौसेना विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ६४७–७४

खण्ड २ से ११ . . . . . ६६७–७४

दैनिक संक्षेपिका ६७५–७८

अंक ८, बुधवार, २० नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या २८२ से २८७, २८९, २९१ से २९३, २९५, २९६, २९८ से ३०२ . . . . . ६७९–७०४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . ७०४–०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८८, २९४, २९७, ३०३ से ३२३, ३२५ और ३२६ . . . . . ७०७–१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०० से ४६८ . . ७१७–४४

	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	७४४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
नवां प्रतिवेदन	७४४
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
तीसरा प्रतिवेदन	७४५
नागा पहाड़ियां-तुएनसांग क्षेत्र विधेयक पुरःस्थापित किया गया	७४५
सभा का कार्य	७४५
वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . . .	७४६–८३
दैनिक संक्षेपिका . . .	७८४–८८
अंक ६, गुरुवार, २१ नवम्बर, १६५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या ३२७ से ३३७, ३३६ से ३४१ और ३४३	७८६–८१४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३८, ३४४ से ३४८ और ३५० से ३६८	८१४–२३
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६६ से ४७६ और ४७८ से ५३६ .	८२३–५५
कुछ प्रश्नों और संकल्पों इत्यादि के बारे में अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय से सम्बन्धित	८५५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८५५–५६
राज्य-सभा से सन्देश	८५६
छावनी (किराया नियंत्रण विधियों का विस्तार) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया . .	८५६
सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के बारे में .	८५७
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में कुछ कार्मिक संघों का प्रतिनिधित्व न होना .	८५७
अनुपस्थिति की अनुमति	८५७–५८
वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव	८५८–६६
नौसेना विधेयक संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	८६६–६००
खंड १२ से १८८ . . .	८६६–६०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	८६०
कार्य मंत्रणा समिति—	
बारहवां प्रतिवेदन	६०१
कुछ प्रश्नों और संकल्पों इत्यादि के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय का विनिर्णय	६०१
दैनिक संक्षेपिका	६०२–०६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न* संख्या ३६९, ३७१ से ३७७, ३७९ से ३८७, ३८९ से ३९१, ३९३, ३९४ और ३९६ से ३९९ ९०७--३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३७०, २७८, ३८८, ३९२, ३९५, ४०० से ४०२ और ४०४ से ४१९ ९३५--४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५७८ ९३४--५९

स्थगन प्रस्ताव ९५९--६१

१. दियासलाइयों के बनाने में एकाधिपत्य के फलस्वरूप उत्पन्न गम्भीर श्रम स्थिति को समाप्त करने में सरकार की कथित असफलता

२. हिमाचल प्रदेश प्रशासन परिवहन बसों को नियमित रूप में चलाने में हिमाचल प्रदेश प्रशासन की कथित असफलता

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९६१

राज्य-सभा से सन्देश ९६१

भारतीय परिचर्या परिषद् (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—सभा-पटल पर रखा गया ९६२

सभा का कार्य ९६२

अफीम विधि (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित किया गया ९६२-६३

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन--

स्वीकृत हुआ ९६३

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) अध्यादेश १९५७ के बारे में संकल्प तथा भारत का रक्षित बैंक (दूसरा संशोधन) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव ९६३—७७

गैर-सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

नवां प्रतिवेदन ९७७

मान्यता (देश के प्रति की गई सेवाओं के लिये) विधेयक पुरःस्थापित करने अनुमति देने के लिये प्रस्ताव ९७७--८०

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक:—पुरःस्थापित किया गया ९८०

प्रशिक्षण तथा रोजगार विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ९८१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधयक—पुरःस्थापित किया गया ९८१

अखिल भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित किया गया ९८२

निर्धारक निरोध (निरसन) विधेयक—— पृष्ठ
पुरःस्थापित करने की अनुमति देने के लिये प्रस्ताव . . ९८२
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था (संशोधन) विधेयक——
पुरःस्थापित किया गया ९८२
संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक——
वापस लिया गया ९८३
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक——विचार के लिये प्रस्ताव . ९८३
बीड़ी तथा सिगार श्रम विधेयक——विचार के लिये प्रस्ताव . ९८३–९३
दैनिक संक्षेपिका . . . ९९४–९७

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्नों में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्नों को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

शुक्रवार, १५ नवम्बर, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली में चिड़ियाघर

+

†*१७०. { **श्री दी० चं० शर्मा**
श्री भक्त दर्शन :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ३ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १४३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उस समय से दिल्ली में प्राणकीय उद्यान[1] की स्थापना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७७**]

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या जर्मन सलाहकार की सेवाओं का पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो इस कार्य के पूर्ण होने में उसकी सेवाओं की कब तक जरूरत होगी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जर्मन सलाहकार की सेवाओं का पूरा पूरा उपयोग किया जा रहा है और उसके द्वारा दिए गए समस्त सुझाव तथा उसके द्वारा निर्मित समस्य योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : भारत सरकार को जापानी ढंग का उद्यान बनाने में जापानी उद्यान-विद्या विशेषज्ञ की सेवायें अधिग्रहण करने में क्या विशेष लाभ प्राप्त हुए हैं ? जापानी ढंग का उद्यान बनाने में क्या विशेष लाभ हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Zoological park

†डा० पं० शा० देशमुख : जापानी ढंग का उद्यान बनाना एक अत्यन्त कलात्मक वस्तु है जो आदमी कम से कम खर्च से कर सकता है। हम एक विशेषज्ञ के लिए बहुत समय से लिखापढ़ी कर रहे हैं। हमारी उसमें बहुत लागत नहीं लगेगी और इस तरह का उद्यान निश्चय ही एक प्राप्त करने योग्य वस्तु है।

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मुझे ज्ञात है, इस जन्तुशाला का निर्माण नवम्बर, १९५५ में आरम्भ हुआ था और अब तक निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कब उस का निर्माण पूरा होगा। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस कार्य में इतनी देरी क्यों हो रही है ?

डा० पं० शा० देशमुख : कुछ तो एक एक्स्पर्ट (विशेषज्ञ) आ नहीं सका और हमें दूसरा एक्स्पर्ट बुलाना पड़ा इसलिए देरी हुई। पर अब काफी तेजी से काम हो रहा है और ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर बिल्डिंग (इमारत) आदि के कंस्ट्रक्शन (निर्माण) में थोड़ा समय लगता ही है।

†श्री अन्सार हरवानी : क्या इस उद्यान के संबंध में सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि उसमें सब राज्यों के जानवर रहें ?

†डा० पं० शा० देशमुख : हम इस सुझाव का ध्यान रखेंगे।

†श्री वें० प० नायर : विवरण से ज्ञात होता है कि मूल प्रश्न पूछे जाने के समय के बाद प्राणिकीय उद्यान में लगभग ३० पशु और १७० पक्षी और बढ़ गए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि चिड़ियाघर में सांपों, पक्षियों और स्तनियों[2] के जीवित नमूने रखने में कितना समय लगेगा ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : कोई कार्यक्रम निर्धारित करना तो कठिन है परन्तु प्रगति तेजी से हो रही है और हम कम से कम समय में इन चीजों को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे।

पशु-प्रदर्शनियां

†*१७१. श्री विभूति मिश्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को पशु-मेलों में पशु-प्रदर्शनियां आयोजित करने के कोई निदेश दिए हैं ?

†सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : जी, नहीं।

मैं इतना और कह देना चाहता हूं कि मेरे एक परिपत्र में एक इस आशय का सुझाव अवश्य था कि राज्यों में पशु प्रदर्शनियां उन स्थानों पर ही आयोजित की जायें जहां पशु-मेले होते हैं।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार जब खेती पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इतना खर्च करने जा रही है तो जानवरों की नस्ल सुधारने के लिए कैटल शोज़ में जो लोग अच्छे जानवर लाते हैं उन को इनाम आदि देने के लिए निर्देश क्यों नहीं देती है ?

डा० पं० शा० देशमुख : जहां जहां आवश्यकता होती है निर्देश दिए जाते हैं। इस आन्सर में मैं यह नहीं बतला सकूंगा कि नस्लों के सुधार के बारे में क्या प्राविजन है और कौन कौन सी चीजें की जाती हैं। लेकिन नस्लों के सुधार की तरफ काफी तवज्जह दी जाती है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[2]Mammals

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जरूरी काम नहीं है कि कैट्ल शोज हों और उन में जो लोग अच्छे अच्छे जानवर लावें, उन को इनाम आदि मिलें, और क्या केन्द्रीय सरकार इस ओर ध्यान देगी ?

डा० पं० शा० देशमुख : जी, हां ।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** मैं जानना चाहता हूँ कि केन्द्र द्वारा राज्यों को पशु-प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए और प्रथम श्रेणी के पशुओं के देश के अन्य भागों में भी प्रदर्शित किए जाने के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** जहां तक ऐसी प्रदर्शनियों में सर्वोत्तम पशुओं के प्रदर्शित किए जाने का संबंध है, हम प्रादेशिक तथा अखिल भारतीय दोनों प्रकार की प्रदर्शनियां आयोजित करते हैं। केन्द्र द्वारा अधिकाधिक ५००० रुपए या कुल व्यय का ५० प्रतिशत, जो भी कम हो, सहायता के रूप में दिया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह यह जानना चाहते हैं कि क्या केन्द्रीय प्रदर्शनियों में प्रथम श्रेणी के घोषित किए गए पशुओं के विभिन्न राज्यों में घुमाए जाने का कोई प्रयत्न किया गया था ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** वे प्रादेशिक तथा अखिल भारतीय प्रदर्शनियों में आयेंगे ।

अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग

†*१७२. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री पाणिग्रही :
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग निर्मित किया जा चुका है जैसा कि मोटर गाड़ी संशोधन अधिनियम, १९५६ में कल्पना की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो उसका कब तक निर्माण किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों की रायें मांगी गई हैं;

(घ) क्या वे प्राप्त हो गई हैं; और

(ङ) प्राप्त रायें किस प्रकार की हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर) :** (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने मोटर गाड़ी (संशोधन) अधिनियम, १९५६ में कल्पित अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग की स्थापना करने का निर्णय सिद्धान्ततः कर लिया है। आयोग में कार्य करने के लिए अधिकारियों के प्रवरण आयोग द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्य और ब्यौरे से संबंधित अन्य मामलों के प्रश्न पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है और आशा की जाती है कि आयोग का निर्माण शीघ्र ही कर दिया जायगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री श्रीनारायण दास : क्या भारत सरकार ने अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग के निश्चित कार्य निर्धारित किए हैं ?

†श्री हुमायूं कबीर : अधिनियम की धारा ६३ क की उपधारा (२) में कार्यों की व्याख्या की गई है।

†श्री श्रीनारायण दास : आयोग की स्थापना में जो कुछ व्यय होगा उसका कितना भाग राज्यों द्वारा वहन किया जायगा ?

†श्री हुमायूं कबीर : यह एक केन्द्रीय आयोग है जिसे भारत सरकार स्थापित कर रही है। अस्तु, मैं नहीं समझता कि राज्यों के हिस्सा बंटाने का प्रश्न उत्पन्न होगा।

†सरदार इकबाल सिंह : क्या इस आयोग में कोई गैर सरकारी व्यक्ति नियुक्ति किया जाएगा ?

†श्री हुमायूं कबीर : आयोग में एक सभापति और कम से कम दो सदस्य रहेंगे। गैर-सरकारी व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

†श्री च० द० पांडे : चूंकि भविष्य के लिये एक निश्चित नीति निर्धारित करने में आयोग द्वारा बहुत समय लिये जाने की सम्भावना है क्या सरकार परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों का विचार करेगी जिससे मोटर गाड़ियों से सम्बंधित समस्त प्रतिबन्धात्मक नियमों की कठोरता कम हो जाय ?

†श्री हुमायूं कबीर : इस आयोग का प्रयोजन अन्तर्राज्यीय परिवहन की सहायता करना है और इसलिये ऐसे परिवहन की सुविधा के लिये प्रत्येक कार्यवाही की जायगी। मैं नहीं समझता कि इन नियमों के बनाने में बहुत अधिक समय लगेगा। अधिनियम के अन्तर्गत कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जो आयोग द्वारा दी जा सकने वाली सहायता का स्वरूप विनिहित करते हैं।

†श्री पाणिग्रही : क्या आयोग ने विभिन्न राज्यों में परिवहन का राष्ट्रीयकरण कुछ और समय के लिये निलम्बित रखने के प्रश्न पर विचार किया है और क्या विभिन्न राज्यों को राष्ट्रीय-करण की दिशा में न बढ़ने का परामर्श दिया गया है ?

†श्री हुमायूं कबीर : मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न इस प्रश्न विशेष से उत्पन्न होता है।

†श्री पाणिग्रही : यह चर्चा हुई थी .....

†अध्यक्ष महोदय : यदि वह उत्पन्न नहीं होता है तो इसका कोई महत्व नहीं है कि इसकी चर्चा हुई थी या नहीं।

†श्री तंगामणि : क्या यह सच है कि मोटर गाड़ियों पर जो कर अभी लगा हुआ है वह विभिन्न राज्यों में अत्यधिक है, और क्या करारोपण में एकरूपता लाई जायगी और उसमें कमी की जायगी ?

†श्री हुमायूं कबीर : मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न भी मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†श्री तंगामणि : यह भी एक प्रश्न है जिसकी.....

†अध्यक्ष महोदय : बहुत सारे प्रश्न ही क्यों न रहे हों परन्तु यहां यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

गन्ना

+

†*१७३. { डा० राम सुभग सिंह :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री रूप नारायण :
श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में लाली रोग[8] से उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल को कितनी क्षति हुई;

(ख) उसको रोकने के लिये कौन कौन सी योजनायें तैयार की गई हैं; और

(ग) योजना को कार्यान्वित करने में कितना व्यय होगा ?

†सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) इस रोग से उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुल क्षतिग्रस्त क्षेत्र क्रमशः ६२५ और ५,५०० एकड़ है ।

(ख) जबकि इस रोग के उन्मूलन की एक योजना बगहा (बिहार) के कुछ चुने हुये क्षेत्रों में मई, १९५७ से चल रही है, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों के लिये एक समन्वित योजना भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति द्वारा राज्य सरकारों के प्रयत्नों की अभिपूर्ति करने के लिये तैयार की जा रही है ।

(ग) इसमें चालू वित्तीय वर्ष में ७२,००० रुपये व्यय होंगे जिसमें से ३६,००० रुपये भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति द्वारा दिये जायेंगे । समन्वित योजना की अनुमानित वार्षिक लागत ६६,००० रुपये है ।

†डा० राम सुभग सिंह : उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस रोग के नियंत्रण के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†डा० पं० शा० देशमुख : केवल दो चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं । पहली है स्वस्थ अच्छा रोगमुक्त गन्ने का बीज देना । पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का लगभग १४,९२,८२७ मन बीज वितरित किया गया है । दूसरा कदम है उन तनों को उखाड़ देना जो रोग-ग्रस्त हों और यह कार्य भी किया गया हैं ।

†डा० राम सुभग सिंह : क्या सम्बन्धित क्षेत्रों के गन्नों के कारखानों को रोग-ग्रस्त गन्ने की पिराई जल्दी प्रारम्भ करने का निदेश किया गया है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : मैं ऐसे नहीं बता सकता, मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

†श्री जाधव : क्या यह रोग बार बार हुआ करता है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में
[8]Red rot disease

†**डा० पं० शा० देशमुख :** यह पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। परन्तु हम उसे कुछ भागों में रोकने में सफल रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस योजना से हम उसे सर्वथा समाप्त कर सकेंगे।

†**श्री विश्वनाथ राय :** क्या किसी नये रोग को रोकने के लिये कोई उचित कदम नहीं उठाये हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** यह सही नहीं है। रोग वही है, कोई नया रोग नहीं है।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या बिहार में १९५४ से गन्ने से शक्कर की प्राप्ति में कमी होती जा रही है और इसके क्या कारण हैं और क्या यह रक्त अपक्षय के कारण है अथवा किसी अन्य रोग के कारण ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

वन्य पशुओं[4] का संरक्षण

+

†*१७४. { **श्री वि० च० शुक्ल :**
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश भर में वन्य पशुओं की संख्या कम होती जा रही है;

(ख) सरकार ने वन्य पशुओं के संरक्षण के लिये क्या क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या अभी तक उठाये गये कदमों के असर का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(घ) क्या सरकार देश के वन्य पशुओं की संख्या को कम होने से रोकने के लिये और कोई कदम उठाने का विचार कर रही है ?

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७८]**

(ग) इन कदमों से देश में वन्य पशुओं के संरक्षण के सम्बन्ध में सामान्य चेतना जागृत हुई है। कुछ राज्यों ने अपने रक्षित वन क्षेत्रों में वन्य पशुओं की संख्या में वृद्धि की सूचना दी है।

(घ) उनके अतिरिक्त कोई नहीं जो लोक सभा-पटल पर रखे गये विवरण में बताये गये हैं। इस सम्बन्ध में सुझावों का स्वागत किया जायगा।

†**श्री वि० च० शुक्ल :** कितने राज्यों ने राज्य वन्य पशु बोर्ड स्थापित किये हैं और केन्द्र द्वारा विभिन्न राज्यों को भेजे गये वन्य पशुओं संरक्षण के आदर्श विधेयक के अन्तर्गत कदम उठाये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[4]Wild Life

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मेरे पास वह सूची नहीं है। परन्तु आधा दर्जन से अधिक राज्यों ने, मेरी जानकारी के अनुसार, ऐसा किया है ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : केन्द्रीय सरकार द्वारा उपबन्धित १३५·४ लाख रुपये में से कितना धन विभिन्न राज्यों द्वारा वन्य पशुओं संरक्षण योजना में उपयोग में लाया गया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इन योजनाओं के लिये कुछ समय की आवश्यकता है क्योंकि व्यय नये राष्ट्रीय उद्यानों आदि के लिये किया जाना है। जो व्यय किया गया है उसके सही आंकड़े मेरे पास नहीं हैं, परन्तु मैं समझता हूं कि आम तौर से राज्य उसे प्रयोग में लाने को उत्सुक हैं।

†**श्री पट्टाभिरामन्** : क्या सरकार राज्यों पर इस बात का जोर देने के सम्बन्ध में विचार करेगी कि वे अपनी सीमान्तों के अन्तर्गत कम से कम एक क्रीड़ा-शरण्य[5] अवश्य रखें ताकि वनों के काटे जाने से पशुओं को अप्राकृतिक वातावरण में शरण न लेनी पड़े ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इसका निर्णय राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया जायेगा। हम तो योजना में रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि प्रत्येक राज्य में एक या दो शरण्य हैं।

†**श्री बासप्पा** : क्या मैसूर के राज्यपाल अभी भी वन्य पशु संरक्षण समिति के सभापति हैं और यदि हां, तो क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी हां, वह अभी भी उस पद को प्राप्त किये हुये हैं। वह इस ओर बहुत रुचि रखते हैं और उनको उस पद पर बनाये रखना वांछनीय है ।

†**श्री हेम बरुआ** : माननीय मंत्री द्वारा किये गये राष्ट्रीय उद्यानों के निर्देश को ध्यान में रखते हुये, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कज़ीरंगा[6] स्थित शरण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : ब्यौरा तो राज्य सरकार के पास उपलब्ध होगा। मैं समस्त जानकारी नहीं दे सकता ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार ने कुछ पशुओं के संरक्षण के लिये कोई विशेष कदम उठाये हैं जो नष्ट प्रायः होते आ रहे हैं और यदि हां, तो वे कौन कौन से पशु हैं जिनके सम्बन्ध में ऐसे कदम उठाये गये हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यह तो एक लम्बी सूची हो जायगी जो मेरे लिये अभी बताना सम्भव नहीं है। ऐसे वन्य पशुओं का संरक्षण करना जिनके नष्ट हो जाने की सम्भावना हो, वन्य पशु संरक्षण बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है। गीर शेरों[7] और अन्य पशुओं के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[5]Game Sanctuary

[6]Kaziranga

[7]Gir Lions

ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल

+

† १७५. { **श्री अमजद अली :**
श्री बसुमतारी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल बनाने का उपबन्ध किया गया है;

(ख) पुल की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या वह पुल अमीनगांव से पांडू तक बनाया जायेगा अथवा जोगीघोपा से गोलपाड़ा तक; और

(घ) निर्माण-कार्य कब तक प्रारम्भ होने की आशा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) लगभग १० करोड़ रुपये ।

(ग) पांडू, अमीनगांव ।

(घ) पुल का वास्तविक निर्माण-कार्य १९५८–५९ के काम के मौसम में प्रारम्भ किये जाने की संभावना है । प्रारम्भिक प्रबन्ध किये जा रहे हैं :

†**श्री अमजद अली** : १९४२ में नियुक्त की गई पोप समिति ने पांडू-अमीनगांव की इस पुल-परियोजना का सर्वेक्षण किया था और उस को अनुपयुक्त समझकर छोड़ दिया गया था । बाद में ब्रैडशा समिति ने इस प्रश्न की जांच की और उस ने नदी पर जोगीघोपा-गोलपाड़ा स्थल पर पुल बनाने का निर्णय किया । क्या इस पांडू अमीनगांव के चुने जाने के पूर्व कोई नया सर्वेक्षण किया गया था ?

†**श्री शाहनवाज खां** : पांडू और अमीनगांव के बीच पुल के संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था और वह कार्य वास्तव में १९४३ में प्रारम्भ किया गया था । जोगीघोपा-गोलपाड़ा के वैकल्पिक स्थल से संबंधित सर्वेक्षण और अन्य क्षेत्र अनुसन्धान १९४६ में किये गये थे । उस समय के पश्चात् कोई नये सर्वेक्षण नहीं किये गये हैं । परन्तु हमारे पास जो आंकड़े हैं उन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पांडू का स्थान सर्वोत्तम है ।

†**श्री अमजद अली** : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हों ने जोगीघोपा-गोलपाड़ा का स्थान किस आधार पर छोड़ा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : एक कारण तो यह है कि पांडू स्थित पुल ४२०० फीट लम्बा होगा जब कि जोगीघोपा-गोलपाड़ा पर निर्मित पुल की लम्बाई ७००० फीट से भी अधिक होगी, अर्थात् लगभग दुगनी । इस के अतिरिक्त जोगीघोपा पर पुल बनाने के लिये हमें ११० मील अतिरिक्त रेलवे लाइन डालनी पड़ेगी जिस में बहुत व्यय होगा ।

†**श्री अमजद अली** : ११० मील रेलवे लाइन कहां से कहां तक पड़ेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां** : बोगंईगांव-जोगीघोपा से पांडु तक ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यह निर्माण-कार्य उत्तर-पूर्व सीमान्त रेलवे द्वारा किया जायेगा अथवा कोई पृथक संगठन स्थापित किया जायेगा जैसा कि गंगा के पुल के मामले में किया गया था ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : उस प्रश्न के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों का सुधार

†*१७६. **श्री नवल प्रभाकर :**
डा० राम सुभग सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्न बातें बताई गई हों :

(क) दिल्ली टाउन प्लानिंग आर्गेनाइजेशन द्वारा दिल्ली म गन्दी बस्तियों के सुधार के लिय कितनी निर्माण-योजनायें तैयार की गईं;

(ख) उन बस्तियों की संख्या तथा उन के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या इन योजनाओं पर कार्य शुरू हो गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) से (ग). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७९]**

श्री नवल प्रभाकर : जिन चार बस्तियों के ले-आउट (नक्शे) अब तक तैयार किये गये हैं, दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने उन से कहीं ज्यादा ले-आउट तैयार कर लिये थे । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हीं ले-आउट्स पर अपनी मुहर लगा कर दिल्ली टाउन प्लानिंग आर्गेनाइजेशन (नगर योजना संगठन) ने अपने नाम से प्रस्तुत कर दिया है ?

श्री करमरकर : इन के अलावा और भी योजनायें तैयारी में हैं । मोतियाखान, सराय रोहीला, रणजीत नगर, शादीपुर, खामपुर और मुबारकपुर कोटला के लिये भी योजनायें तैयार की जा रही हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : मैं ने यह प्रश्न किया था कि दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने इस से कहीं ज्यादा ले-आउट तैयार कर लिये थे, तो फिर इन दो सालों में दिल्ली टाउन प्लानिंग आगनाइजेशन ने क्या किया है ? जो नाम माननीय मंत्री महोदय ने गिनाये हैं, वे भी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने तयार कर लिये थे ।

श्री करमरकर : इस बारे में ठीक तरह से गौर किया गया है और तैयारी कर ली गई है । जब इस काम के लिये पैसा मिलेगा, तो कार्यवाही शुरू की जायेगी ।

श्री नवल प्रभाकर : मैं ने जो प्रश्न किया था, उस का उत्तर नहीं मिला है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है उसी को उत्तर समझा जाय ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या गन्दी बस्तियों को हटाने के पूर्व उन में रहने वाले व्यक्तियों को वैकल्पिक स्थान दिया जायेगा ?

†**श्री करमरकर** : यह निर्दिष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में है जिस में माननीय सदस्य बद्धहित हैं। उस विशेष स्थान से संबंधित योजना २०० मकानों की है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि उन कटरों का जिनका सुधार किया गया है नम्बर क्या है और उनके क्या नाम हैं ?

श्री करमरकर : यह एक अलग से सवाल है और यदि माननीय सदस्य अलग से नोटिस दें तो इसका उत्तर भी दिया जा सकता है ।

श्री नवल प्रभाकर : ये कटरे भी गन्दी बस्तियों में ही शामिल होते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : इन गन्दी बस्तियों को साफ करने के बारे में सरकार की ओर से कई एक मौकों पर ऐसा आश्वासन दिया गया है और खास तौर पर हमारे प्रधान मंत्री भी इनको एक दो बार देखने गये हैं कि इनका अन्त होकर रहेगा । इसके साथ यह भी कहा गया कि सरकार इसके बारे में कोई सक्रिय कार्यवाही करेगी और ऐसा करने के लिये अच्छी फ़िजा तैयार किया जाना आवश्यक है । मैं जानना चाहता हूं कि जब ऐसी बात है तो आज क्यों कहा जा रहा है कि जब पैसा मिलेगा तब कुछ किया जाएगा ? जब आपके पास पैसा ही नहीं था तो आपने देश में इस तरह का वातावरण क्यों तैयार किया था .....

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक तर्क है । अन्ततः प्रत्येक वस्तु धन पर ही निर्भर रहती है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण में एक वाक्य ऐसा है जिस में कहा गया है कि इन योजनाओं का कार्यान्वयन अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है । इन योजनाओं के कार्यान्वित किये जाने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री करमरकर** : मैं समझता हूं कि वह उत्तर सर्वथा सही था । एक महीना पहले ही हमें वित्तीय मंजूरी प्राप्त हुई थी और वह कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जा रहा है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या सरकार को इस बात की सही जानकारी है कि बहुत सी अन्य गन्दी बस्तियां भी हैं जिन का इस योजना में उल्लेख नहीं है ?

†**श्री करमरकर** : दिल्ली में अनेक हैं जैसा कि मेरे माननीय मित्र जानते हैं ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या इन गरीब लोगों को देने के लिये मंत्रियों के घरों के नौकरों के क्वार्टर नहीं लिये जा सकते हैं ?

†**श्री करमरकर** : मंत्रियों के घरों के नौकरों के क्वार्टर पहले ही बहुत भरे हुए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बेजवाड़ा–मसुलीपटम लाइन

†*१७७. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **रेलवे** मंत्री १७ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ९८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में बेजवाड़ा से मसुलीपटम और गुडिवाडा से भीमवरम् तक की मीटर लाइन के बड़ी लाइन में परिवर्तन से संबंधित सर्वेक्षण प्रतिवेदन रेलवे बोर्ड को प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उस के कब तक प्राप्त होने की संभावना है; और

(ग) कार्य की प्रगति को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार किया जा रहा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** (क) और (ख). गुडिवाडा-भीमवरम् लाइन के बड़ी लाइन में परिवर्तन के लिये अनुसन्धान एवं अभियंत्रण सर्वेक्षण मंजूर कर दिया गया है । सर्वेक्षण प्रतिवेदनों के दिसम्बर, १९५७ के अन्त तक प्राप्त हो जाने की आशा है ।

(ग) अभियंत्रण सर्वेक्षण की प्रगति अच्छी हो रही है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** यह उन परियोजनाओं में से एक है जिन्हें द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ही पूरा करना है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि इस की यही गति रही तो क्या यह इस योजना काल में पूरा हो जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां :** यह परियोजना अभी तक अनुसंधान की प्रारम्भिक स्थिति में ही है और यह भी निश्चित नहीं है कि क्या परिवर्तन आवश्यक भी है या नहीं; हम इस लाइन की क्षमता को बढ़ाने के अन्य उपाय खोज रहे हैं, जैसा कि सिगनल देने के स्टैण्डर्ड को सुधारना और अधिक क्रासिंग स्टेशन बनाना आदि ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कब सम्मिलित किया गया था ? उसे किन आंकड़ों के आधार पर द्वितीय योजना में सम्मिलित किया गया था ?

†**श्री शाहनवाज खां :** बड़े अच्छे आधार पर सम्मिलित किया गया था; परन्तु हम ने जब इस पर दुबारा विचार किया तो हम ने ऐसा अनुभव किया कि हम संभवत: पैसे भी बचा सकते हैं और फिर भी सामान ला या ले जा सकते हैं ।

†**श्री ब० स० मूर्ती :** क्या यह सच नहीं है कि जब तक बेजवाड़ा मसुलीपटम योजना के सम्बन्ध में साथ ही साथ अनुसन्धान किया जाये, तब तक गुडिवाडा–भीमवरम् योजना के लिये मंजूरी देने का कोई लाभ नहीं ?

†**श्री शाहनवाज खां :** सर्वेक्षण हो चुका है और माननीय सदस्य कृपया उस के परिणामों की प्रतीक्षा करें। उस के बाद ही हम इस बारे में अधिक ठोस आधारों पर चर्चा कर सकेंगे ।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** मेरा यह निवेदन है कि यदि बेजवाड़ा-मसुलीपटम लाइन प्रारम्भ न की जाये तो दूसरी लाइन का कोई लाभ न होगा ।

†**श्री शाहनवाज खां :** संभवत: माननीय सदस्य को ज्ञात है कि भीमवरम्-गुडिवाडा, मसुलीपटम बेजवाड़ा और बेजवाड़ा-गंटूर के सैक्शनों में परिवर्तन करना द्वितीय योजना में सम्मिलित है : हम उन सभी के बारे में सर्वेक्षण कर रहे हैं और उन के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बलराम कृष्णय्या** : क्या इस परिवर्तन से माल गाड़ियों के अतिरिक्त सवारी गाड़ियों को भी लाभ होगा ?

†**श्री शाहनवाज खां**: इस से दोनों प्रकार की गाड़ियों को लाभ होगा।

मैडिकल कालिजों में दाखिला

†*१७८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मैडिकल कालिजों में दाखिले पर सरकार का कोई नियंत्रण है;

(ख) क्या इन कालिजों में किसी राज्य से बाहर के विद्यार्थियों तथा अन्य विशेष प्रकार के वर्गों जैसे विदेशी विद्यार्थियों तथा लड़कियों के लिये कोई स्थान सुरक्षित किये गये हैं; और

(ग) इस प्रकार के कालिजों में प्रवेश के लिये केन्द्र की ओर से किन किन शर्तों पर सहायता दी जाती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) भारत के विभिन्न मैडिकल कालिजों में प्रवेश सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा तैयार किये गये नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस के अधीन इन में प्रवेश के लिये केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकार ही नियम बनाती है या उन्हें मंजूरी देती है।

(ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) दाखिले के बारे में केन्द्रीय सहायता के लिये कोई भी शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों को इस सम्बन्ध में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

†**श्री करमरकर** : उन नये कालिजों को, जिन्हें मंजूरी मिल गई है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्र की ओर से ७५ प्रतिशत अनावर्तक और ५० प्रतिशत आवर्तक खर्च दिया जायेगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सरकार को ज्ञात है कि कई कालिजों में बाहिर के राज्यों के विद्यार्थियों को प्रति व्यक्ति शुल्क के रूप में बड़ी भारी राशि अदा करने के लिये बाध्य किया जाता है और उसी राज्य के तृतीय श्रेणी के विद्यार्थियों की तुलना में बाहिर के प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों को भी छोड़ दिया जाता है ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति क्या है ?

†**श्री करमरकर** : हमारी नीति यही है कि राज्यों के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप न किया जाये।

†**श्री त्यागी** : इन कालिजों में प्रति वर्ष कुल कितनी सीटें होती हैं और क्या उतनी सीटें देश की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं ?

†**श्री करमरकर** : इस समय तो मुझे स्मरण नहीं है कि उन कालिजों में प्रवेश के लिये कुल कितनी सीटें हैं। यदि इस बारे में अलग पूर्वसूचना दी जाये तो वह जानकारी दी जा सकती है। प्रवेश के लिये उपलब्ध सीटें देश की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : क्या ऐसे कालिज देश की वार्षिक मांग के आधार पर खोले जाते हैं अथवा वे केवल इसीलिये खोल दिये जाते हैं कि कोई राज्य ऐसे कालिज प्रारम्भ करना चाहता है ? देश में इतने कालिज हैं कि वे डाक्टरों के सम्बन्ध में देश की वार्षिक मांग को पूरा कर सकें ?

†**श्री करमरकर** : इन कालिजों की संख्या पर्याप्त नहीं है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : इन सभी कालिजों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितनी सीटें रक्षित की गई हैं ?

†**श्री करमरकर** : मैं ने बताया है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी । कुछ सीट रक्षित की गई हैं । उदाहरणार्थ, मद्रास राज्य के विद्यार्थियों की सीटों में से १६ प्रतिशत उन के लिये रक्षित हैं । आसाम की सीटों म से ८ प्रतिशत सीटें पूर्वोत्तर सीमान्त अभिकरण के विद्यार्थियों के लिये रक्षित हैं । मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये १५ प्रतिशत सीटें रक्षित हैं । आन्ध्र में किन्हीं विशेष वर्गों के लिये रक्षित सीटें निकाल कर शेष १६ प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये रक्षित हैं । केरल में उन के लिये ४० प्रतिशत सीटें रक्षित हैं । पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाने पर मैं इसे सभा-पटल पर रख दूंगा ।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या केन्द्रीय प्रविधिक शिक्षा बोर्ड ने प्रत्येक कालिज में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध लगा दिया है; और यदि हां, तो इस प्रतिबन्ध का क्या आधार है ?

†**श्री करमरकर** : मेरे पास वह जानकारी नहीं है । यदि इस बारे में कोई पूर्वसूचना दी जाये तो मैं मैसूर राज्य से वह जानकारी प्राप्त करूंगा ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : राज्य के पुनर्गठन के बाद मद्रास सरकार ने केरल राज्य के मालाबार से आने वाले विद्यार्थियों के लिये सीटें रक्षित करना बंद कर दिया है । क्या यह सच है कि केरल सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की थी कि मद्रास मैडिकल कालिज में केरल के विद्यार्थियों के लिय कुछ सीटें रक्षित कराने में सहायता की जाये; और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री करमरकर**: इस सम्बन्ध में हमें कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं, परन्तु हम ने इस मामले को मद्रास सरकार की सद्भावना पर छोड़ दिया है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है कि किसी भी राज्य के मैडिकल कालिज में दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों को दाखिल नहीं किया जा सकता; और यदि हां, तो क्या उस राज्य में रहने वाले शरणार्थी विद्यार्थी उन कालिजों में दाखिल होने के बारे में किन्हीं कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं ?

†**श्री करमरकर** : उस शिकायत के ब्यौरों के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त करनी है, इस जानकारी के लिये मैं यह प्रश्न राज्य सरकारों को भेज दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० सुशीला नायर : मैं यह समझती हूं कि नीति यह है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित स्थानों के अतिरिक्त शेष विद्यार्थियों को गुणों के आधार पर ही चुना जाये। मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या किन्हीं राज्यों में उस नीति का पालन नहीं किया गया है और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लिये भी सीटें रक्षित की हैं; और यदि हां, तो किस कारण से वैसा किया गया है ?

†श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लिये भी सीटें रक्षित हैं, और वे हैं स्त्री विद्यार्थी। इस के अतिरिक्त जैसाकि मैं ने कहा है, हमारी नीति यही है कि कालिजों में दाखिलों के बारे में राज्यों की स्वेच्छा में हस्तक्षेप न किया जाये।

कन्टाई नमक फैक्टरी

†*१७९. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री बर्मन : }

क्या रेलवे मंत्री १७ अगस्त, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक आयुक्त के विभाग ने रेलवे बोर्ड को पश्चिमी बंगाल की कन्टाई नमक फैक्टरियों से नमक के परिवहन पर आने वाली कठिनाइयों के बारे में और इन फैक्टरियों को एक रेलवे लाइन द्वारा मिलाने की आवश्यकता के बारे में सूचित कर दिया है;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने भी नमक की फैक्टरियों के निकट डिगला तक एक रेलवे लाइन बनाने पर जोर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वेक्षण करने का कोई विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये दी गई अपनी सिफ़ारिशों में तामलुक और कंटाई की ओर से जाने वाली मचादा से डिंघा तक एक रेलवे लाइन की प्रस्थापना सम्मिलित थी।

(ग) जी, नहीं। तथापि १९४६-४७ में तामलुक की ओर से मचादा से कन्टाई तक एक रेलवे लाइन के लिये कागज़ पर नकशे का परीक्षण किया गया था।

†**श्री स० चं० सामन्त :** १९४६-४७ में जो परीक्षण किया गया था उस के बारे में सर्वेक्षकों की क्या राय है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : उन की राय यह थी कि यह लाइन बड़ी महंगी पड़ेगी और उसका लाभ बहुत कम होगा। परन्तु क्योंकि १९४६ से प्रत्येक वस्तु के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं, इसलिये अब तो खर्च का प्राक्कलन लगभग दुगना हो गया है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि १९४८ में इस बात का सर्वेक्षण करने के लिये कि क्या मचादा से कन्टाई तक एक रेलवे लाइन बनाई जा सकती है, एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी, और उस समिति ने एक पूर्व-परीक्षण सर्वेक्षण किया था और उस ने यह राय दी थी कि मचादा से डीघा तक रेलवे लाइन बनाना लाभकारी सिद्ध होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां :** केवल कागज़ों पर ही नक्शे तैयार किये गये थे। लाइन बनाना चाहे कितना भी उचित हो, हमारी वास्तविक कठिनाई वित्ताभाव है। हमारे पास इतना धन नहीं है कि इन लाइनों का निर्माण अभी प्रारम्भ कर सकें।

†**श्री बर्मन :** रेलवे के लाभ की दृष्टि से यदि इस मामले पर विचार किया जाये, तो क्या सरकार ने इस बारे में दो बातों पर विचार किया है—पहली तो यह कि बंगाल का कन्टाई प्रदेश अत्यन्त लाभकारी प्रदेश है क्योंकि वहां पर नमक के उत्पादन की पर्याप्त क्षमता है। बड़े दूर दूर के तटों तथा प्रदेशों जैसे सौराष्ट्र तथा बम्बई से आसाम, बंगाल और बिहार में भेजने के लिये नमक कलकत्ता पत्तन भेजा जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय :** ये तो पक्ष में सुझाव तथा तर्क हैं।

†**श्री बर्मन :** क्या सरकार ने निर्णय करते समय इन बातों पर विचार किया है, और दूसरी बात .

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्नों के रूप में ये सभी सुझाव नहीं दिये जा सकते।

†**श्री बर्मन :** दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि कन्टाई प्रदेश म रेलवे लाइन लगाने से हज़ारों व्यक्तियों को कुटीर उद्योगों में रोज़गार मिल जायगा ?

†**श्री शाहनवाज खां :** हमें इन बातों का ज्ञान है परन्तु जसा मैं ने पहले बताया है, हमारी वास्तविक कठिनाई वित्ताभाव की है। इस की आवश्यकता की सभी बातों पर विचार करने के बाद भी इस लाइन को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करना सम्भव नहीं समझा गया है।

प्रदीप पत्तन

†*१८०. **श्री संगण्णा :**
श्री पाणिग्रही :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ९४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रदीप पत्तन के विकास से सम्बन्ध रखने वाली उड़ीसा सरकार की प्रस्थापनाओं का परीक्षण पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर) :** (क) और (ख). प्रस्थापनाओं के परीक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि जैसाकि उड़ीसा सरकार ने सुझाव दिया है, प्रदीप के एक छोटे पत्तन के रूप में काम प्रारम्भ करने से पूर्व जहाज से किनारे तक सामान ले जाने वाली छोटी नौकाओं के लिये नदी के मुहाने पर रोध को पार करने के लिये मार्ग बना लिया जाये। इस-लिये राज्य सरकार से यह प्रार्थना की थी कि छोटी नौकाओं को परीक्षण के रूप में किनारे से प्रस्थापित लंगर के स्थान तक और वहां से वापिस चलाने का प्रबन्ध करें। उस का परिणाम अभी तक पहुंचा नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री संगण्णा** : क्या सरकार को ज्ञात है कि उड़ीसा सरकार ने १ नवम्बर से विदेशों को लौह अयस्क भेजना प्रारम्भ कर दिया है; और यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार उड़ीसा सरकार की वित्तीय सहायता करेगी और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय करेगी ताकि उड़ीसा सरकार की यह परियोजना सफल हो सके ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : जैसा मैं ने अभी अभी बताया है, हम ने उन्हें कुछ सर्वेक्षण करने के लिये कहा है, और कुछ ही दिन पहले उड़ीसा सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिस में उस ने लिखा है कि कोई भी परीक्षण करने से पहले यह आवश्यक है कि रोध के सागर के पानी की गहराई नाप ली जाये और गहरे जल-मार्गों के बारे में चिन्ह लगा लिये जायें। उड़ीसा सरकार से प्राप्त उस जानकारी को ध्यान में रखते हुए, मैं नहीं कह सकता कि कोई भी अयस्क इसी समय विदेशों को कैसे भेजा जा सकता है।

†**श्री संगण्णा** : यह आशा की गई थी कि एक ब्रिटिश विशेषज्ञ उस पत्तन के बारे में अध्ययन करेगा और उस का निरीक्षण करेगा। मुझे ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि वह ब्रिटिश मिशन उस क्षेत्र का निरीक्षण करने नहीं आया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि उन के वहां न जाने के क्या कारण हैं ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि क्या वह ब्रिटिश मिशन प्रदीप आया था या नहीं। इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है। परन्तु हमें यह तो ज्ञात है कि यह सर्वेक्षण एक जापानी दल ने किया था, और सागर की गहराई नापने का काम उड़ीसा सरकार द्वारा पूरा किया गया है। इसलिये सम्भवतः यह अनुभव किया गया कि ब्रिटिश दल के प्रदीप जाने की कोई आवश्यकता नहीं।

†**श्री पाणिग्रही** : उड़ीसा सरकार ने निर्यात व्यापार को बढ़ाने और अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिये कटक से प्रदीप को पहले ही ५०,००० टन लोहा भेजना प्रारम्भ कर दिया है। उस सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि उसे निर्यात सम्बन्धी प्रारम्भिक सुविधायें दी जायें। क्या उस सम्बन्ध में कोई प्रबन्ध कर दिया गया है और उड़ीसा सरकार को सुविधायें दे दी गयी हैं ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : जो कुछ भी कहा गया है मैं तो उसे केवल दुहरा ही सकता हूं। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कुछ सुविधायें दी गयी थीं। उड़ीसा सरकार को ७ लाख ३० हज़ार रुपये ऋण के रूप में दिये गये थे और उसे यह कहा गया था कि वह ये सर्वेक्षण करावे। उन सर्वेक्षणों के बाद ही तो हम यह निर्णय कर सकते हैं कि वह कितना लाभकरी सिद्ध होगा। हमारा वास्तविक लक्ष्य यह है कि एक ऐसा पत्तन बनाया जाये जिसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पहले ५०,००० टन अयस्क का निर्यात किया जा सके।

†**श्री पाणिग्रही** : लौह-अयस्क के निर्यात से इस पत्तन से लगभग कितनी वार्षिक विदेशी मुद्रा उपलब्ध होगी ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : सर्वेक्षण पूर्ण होने से पहले इस बारे में आंकड़े कैसे बताये जा सकते हैं ? जैसा कि मैं ने कहा है, उड़ीसा सरकार ने अभी दो तीन दिन पहले ही यह बताया था कि जब तक पानी की गहराई का कुछ पता न लग जाये, और उत्प्लव[8] डाल न दिये जायें तब तक कोई भी नौका वहां नहीं जा सकती। अब पानी की गहराई तो नापी जा चुकी है, परन्तु अभी तक उत्प्लव नहीं डाले गये हैं। इसलिये नौकायें नहीं जा सकतीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[8]Buoy

स्टेशनों पर विस्फोटों के बारे में जांच

†*१८१. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आसनसोल, काटपाडी तथा कानपुर में हुये विस्फोटों के बारे में जांच पूरी हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां ।

(ख) काटपाडी विस्फोट के बारे में दण्डाधिकारी द्वारा की गयी जांच का प्रतिवेदन और इन तीनों विस्फोटों के बारे में निरीक्षकों द्वारा की गयी जांच के प्रतिवेदन सोमवार, १८ नवम्बर, को लोक-सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या आसनसोल, काटपाडी और कानपुर की घटनाओं के पीड़ित व्यक्तियों को कोई प्रतिकर दिया गया है, और यदि हां, तो कितना प्रतिकर दिया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** मेरे पास इस समय यह विशेष जानकारी नहीं है । इसके लिये मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता । माननीय सदस्य पहले प्रतिवेदन पढ़ लें, तो फिर बाद में प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** आज तो कोई भी प्रतिवेदन सभा-पटल पर नहीं रखा गया है । वह तो सोमवार को रखा जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** तो वे सोमवार को प्रतिवेदन पढ़ लें और फिर प्रश्नों की पूर्व-सूचना दें । अभी तो सभा की बैठक ३० दिन तक और चलनी है ।

†**श्री तंगामणि :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इन तीनों विस्फोटों से लगभग २५ व्यक्ति मर गये हैं, और इस बात को भी ध्यान में रखते हुये कि एक प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है, सरकार ने इस प्रतिवेदन के आधार पर ऐसे कौन से उपाय किये हैं जिससे इस प्रकार विस्फोट फिर कभी न हो सकें ?

†**श्री शाहनवाज खां :** प्रभावकारी उपाय किये गये हैं और मुझे विश्वास है कि वे सभी उपाय उस प्रतिवेदन में अवश्य ही सम्मिलित होंगे, जिसे सोमवार को सभा-पटल पर रखा जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन सभी उपायों का प्रतिवेदन में उल्लेख है ।

कोचीन पत्तन

†*१८४. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ९३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौधरी समिति ने कोचीन पत्तन के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस उमिति की क्या क्या सिफारिशें हैं; और

(ग) उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** । (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). विशेष कार्य अधिकारी द्वारा की गयी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है, और उसके बाद ही उन्हें प्रकाशित कराने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : बम्बई पत्तन के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की सेवा की शर्तों में कुछ एक अनियमितताओं को दूर करने के लिये सरकार ने जो आदेश पास किये थे, क्या वे कोचीन पत्तन के श्रमिकों पर भी लागू होते हैं ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : इस सारे मामले पर विचार किया जा रहा है और सम्भवतः माननीय सदस्यों को ज्ञात ही होगा कि विशेष कार्य अधिकारी ने वह प्रतिवेदन तीन भागों में प्रस्तुत किया है । तीसरे भाग में सेवा सम्बन्धी शर्तों के बारे में कई सिफारिशें की गई हैं । उन पर इस समय विचार किया जा रहा है । उन्हें अभी तक गोपनीय रखा गया है, यद्यपि श्रमिकों के एक प्रतिनिधि को उसके बारे में बता दिया गया है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : मेरा प्रश्न यह था कि सरकार ने घोषणा की थी कि बम्बई पत्तन के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों, अवकाश सम्बन्धी नियमों तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की कुछ एक अनियमितताएं दूर कर दी गयी हैं । क्या वह आदेश जो कि बम्बई पत्तन के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होता है, कोचीन पत्तन के श्रमिकों पर भी लागू होता है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मेरा विचार है कि वह उन पर लागू होता है । यह सभी पत्तनों पर लागू होता है । मैं यह तो निश्चय से नहीं कह सकता कि वह आदेश कोचीन भी पहुंच गया है या नहीं, परन्तु वह तो सरकार द्वारा स्वीकृत एक सामन्य नियम है जो कि अन्य पत्तनों पर भी लागू होगा ।

†**श्री तंगामणि** : क्या चौधरी समिति का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और क्या वह सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : अपने उत्तर में मैं ने बता दिया था कि वह प्रतिवेदन इस समय विचाराधीन है, और उसमें की गयी सिफारिशों के बारे में निर्णय करने के बाद ही उसे प्रकाशित किया जायेगा ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : सरकार द्वारा उस प्रतिवेदन पर अच्छी प्रकार से विचार करने के बाद और उसके बारे में आदेश पास करने के बाद क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायगी ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : जब वह प्रतिवेदन प्रकाशित होगा तो उस समय स्वभावतः वह संसद् पुस्तकालय में रखा जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गेहूं के बीजों के प्रादेशिक भांडार

†*१८५ **श्री बहादुर सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूं के बीजों के लिये पांच प्रादेशिक भांडार बनाने का निर्णय किया है;

(ख) इनकी स्थापना के बारे में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इसके लिये पंजाब में कौन सा स्थान चुना है; और

(घ) पंजाब के लिये बनायी जा रही योजना पर कितना धन लगेगा ?

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) इस सम्बन्ध में एक योजना तैयार की गयी है ।

(ख) खर्च के बारे में ब्योरेवार प्राक्कलन तैयार करने के लिये प्रारूप योजना राज्य सरकारों को भेज दी गयी है ।

(ग) कोई भी उपयुक्त स्थान जिसके बारे में राज्य सरकार सुझाव देगी ।

(घ) पंजाब सरकार से अभी जानकारी नहीं आई है ।

†**श्री बलराम कृष्णय्या** : क्या आन्ध्र प्रदेश में इसी प्रकार से चावल-बीज के लिये प्रादेशिक स्टोर स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी, अभी तक तो नहीं ।

विमान दुर्घटना

†*१८६. **पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी (श्री रघुनाथ सिंह और श्री अ० सिं० सहगल की ओर से)** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २७ सितम्बर, १९५७ को 'एरो' प्रकार का एक विमान जो बम्बई से इन्दौर जा रहा था बम्बई से ५० मील दूर भिवंडी स्थान पर गिर गया; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एरो–४५ विमान वी टी–डी एच ओ, जो २७ सितम्बर, १९५७ को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ११-२७ बजे बम्बई से इन्दौर के लिये रवाना हुआ था उड़ान के लगभग २० मिनट बाद भिवंडी से छः मील दूर एक जंगल में गिर गया । दुर्भाग्यवश विमान चालक और विमान में बैठे हुए दो अन्य व्यक्ति मारे गये । दुर्घटना का कारण जानने के लिये पूछताछ हो रही है ।

† **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या १९५६ की तुलना में १९५७ में विमान दुर्घटनायें कम हुई हैं या ज्यादा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न एक विशेष दुर्घटना के बारे में है । यदि आप सामान्य प्रश्न पूछना चाहते हों तो शायद माननीय मंत्री पूर्वसूचना मागेंगे ।

†**श्री बीरेन राय** : क्या यह सच है कि भारत में इस प्रकार के विमान की यह चौथी दुर्घटना हुई है जिसमें कुछ व्यक्ति हताहत हुए थे ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : इसी प्रकार के विमान की पहले भी दुर्घटनायें हो चुकी हैं । ५ अप्रैल, १९५५ को जो दुर्घटना हुई थी वह भारत में नहीं पाकिस्तान में हुई थी । भारत में दो और मामूली दुर्घटनायें हुई हैं ।

†**श्री बीरेन राय** : क्या उसके कारण को जानने के लिये पूछताछ हो चुकी है ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : पूछताछ अभी पूरी नहीं हुई है ।

†**श्री त्यागी** : यह देखने के लिये कि विमान उड़ान योग्य है या नहीं विमान का परीक्षण कब किया गया था ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि निजी विमान के लिये, जो यात्रियों के लिये नहीं चलाया जाता, उड़ान के योग्य होने के प्रमाणपत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती । अधिनियम के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है । फिर भी इस विमान का परीक्षण २१ सितम्बर, १९५७ को किया गया था और उसके उड़ान के योग्य होने का प्रमाणपत्र जारी किया गया था जो कि नवम्बर, १९५७ तक मान्य था ।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ऐसा कोई नियम बनाने की सम्भावना पर विचार करेगी जिससे कि निजी विमानों के मालिकों को भी अपने विमान के उड़ान के योग्य होने का प्रमाणपत्र लेना पड़े ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : इस सुझाव पर विचार किया जायेगा ।

कोल्हापुर हवाई अड्डे पर विवश अवतरण

†*१८८. **श्री आसर** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयर लायन्स कारपोरेशन के एक विमान को ३ अक्तूबर, १९५७ को विवश हो कर कोल्हापुर हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि कोचीन बम्बई मार्ग पर ऐसे विवश अवतरण प्रायः होते रहते हैं; और

(घ) उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) और (ख). वी टी–ए वाई एच विमान जब ३-१०-१९५७ को कोचीन-मंगलौर-बेलगाम-बम्बई मार्ग पर मंगलौर से बेलगाम जा रहा था तो वह मौसिम की खराबी के कारण बेलगाम पर नहीं उतर सका । क्योंकि मौसिम अधिक खराब हो रहा था इसलिये पूना में हवाई अड्डे तक जाने में खतरा समझा गया । इसलिये विमान कोल्हापुर की ओर लेजाया गया ।

(ग) नहीं श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री आसर** : क्या पहले भी सरकार को विवश अवतरणों के बारे में पता चला है ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : यदि यह प्रश्न सारे संसार में हुए सब विवश अवतरणों के बारे में है तो मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूं । परन्तु इस मार्ग के बारे में मैं बता सकता हूं । १ अक्तूबर, १९५६ से ३० सितम्बर, १९५७ के दौरान में कोचीन-मंगलौर–बेलगाम–बम्बई मार्ग पर से विमान को कभी नहीं हटाया गया है । १९५६–५७ के सारे वर्ष में अर्थात् जनवरी से दिसम्बर १९५६ तक इंडियन ऐयर लाइन्स कारपोरेशन के विमानों ने केवल तीन बार विवश अवतरण किये ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या ऐसी कोई घटना हुई है कि विमान को उड़ान लेने के तुरन्त बाद विवश हो कर हवाई अड्डे में उतरना पड़ा क्योंकि जो गैसोलीन डाली गई थी उसमें पानी मिला हुआ था ।

†**श्री हुमायूं कबीर** : विमानों के विवश अवतरणों के बारे में सूचनायें मिली थीं और हर मामले में कारण की जांच की जाती है । यदि माननीय सदस्य अचानक किसी विशेष घटना के बारे में पूछें तो सहसा उसका उत्तर देना कठिन हो जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रश्न के क्षेत्र को बढ़ा ही नहीं सकता । इसका सम्बन्ध एक प्रश्न विशेष से है ।

मनीपुर में भूमि संरक्षण

†*१८९. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में झूम काश्त करने, भूमि संरक्षण को और सीढ़ीदार खेतों में काश्त को बढ़ावा देने के लिये कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं;

(ख) इस देश में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) सीढ़ीदार खेतों में काश्त को बढ़ावा देने के लिये १९५७–५८ के लिये कितनी राशि की व्यवस्था की जा रही है; और

(घ) अब तक कितनी भूमि में सीढ़ीदार खेत बना कर उनमें काश्त की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सहकार मंत्री (डा० पं शा० देशमुख)** : : (क) जी हां ।

(ख) एक कृषि पदाधिकारी (भूमि संरक्षण) और कुछ कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं और कृषि तथा वन विभागों वे प्रदर्शन से लिये खेत बनाये हैं।

(ग) ३३०,६०० रुपये ।

(घ) प्रत्येक वर्ष कितने क्षेत्र भूमि के सीढ़ीदार खेत बनाये जाते हैं इस बारे में राज्य ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है और कोई रिकार्ड नहीं रखा है ।

†**श्री ले० अचौ सिंह** : क्या सरकार को विदित है कि मनीपुर की आदिम जातियों के लोग झूम काश्त करते हैं और सरकार ने झूम काश्त बन्द करने के लिये पहाड़ों में वन की भूमि को रक्षित क्षेत्र बना दिया है जिस से वह भूमि छीन ली गई है जिनके वे मालिक हैं ; इस से उनमें बड़ा असन्तोष फैल गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य प्रश्न पूछने की बजाये भाषण दे रहे हैं । वह क्या चाहते हैं ?

†**श्री ले० अचौ सिंह** : क्या सरकार को विदित है कि सरकार ने मनीपुर की पहाड़ियों में जंगली भूमि को जो रक्षित क्षेत्र बना लिया है उस से आदिम जातियों के लोगों की भूमि छिन गई है जिस से उन में बड़ा असन्तोष फैल गया है । सरकार ने उनके असन्तोष को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यदि किसी के साथ अन्याय होता है तो उसका पूरा ध्यान रखा जाता है और शिकायत दूर करने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है ।

†**श्री प्र० के० देव** : झूम काश्त को बन्द करने के कारण विस्थापित होने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मेरा विचार है कि कोई भी व्यक्ति बिल्कुल विस्थापित नहीं हुआ है । हम उनकी हालत में सुधार करना और जिस प्रकार वे कृषि करते हैं उसमें उनकी आय बढ़ाना चाहते हैं ।

ग्राम सेवक और सेविकायें

†***१९२. श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोत्तम ग्राम सेवक और सेविकाओं को छांटने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतियोगिता करने की योजना बनाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस प्रस्थापना पर कितना खर्च होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८०**]

(ग) प्रति वर्ष ६९००० रुपये खर्च होंगे ; परन्तु १९५८–५९ में ६६५०० रुपये खर्च होंगे क्योंकि उस वर्ष मोटर साइकिल प्रधान मंत्री देंगे ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : ग्राम सेवक और सेविकायें अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह जानते ही होते हैं । यदि यह परीक्षण राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है जैसा कि सम्बन्धित पदाधिकारियों और संसद् के सदस्यों ने बताया है तो उनकी परीक्षा किस भाषा में की जायेगी ?

†**श्री सु० कु० डे** : यदि किसी ग्राम सेविका की परीक्षा राष्ट्रीय पुरस्कार देने के लिये की जाती है तो इस में कोई कठिनाई न होगी कि परीक्षा लेने वाली संस्था में कुछ ऐसे सदस्य भी रखे जाय जो स्थानीय भाषा को जानते हों । इसके अतिरिक्त भाषा के आधार पर नहीं बल्कि इस आधार पर पुरस्कार दिया जायेगा कि उसने इस क्षेत्र में कितना कार्य किया है ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : बात यह है . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने बताया है कि उस भाषा को जानने वाला भी कोई सदस्य रखा जायेगा ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : मेरी शंका उचित है । कई राज्य हैं और कई भाषायें । प्रत्येक राज्य ने दो या तीन व्यक्ति भेजे हैं । केन्द्र में एक समिति है । ग्राम सेवकों और सेविकाओं की योग्यता को परखने की क्या कसौटी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि भाषायें तो बहुत हैं, क्या ग्राम सेवकों से यह आशा की जाती है कि वे सब एक विशेष भाषा जानते हों।

†**श्री सु० कु० डे** : राष्ट्रीय पुरस्कार की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये प्रत्येक राज्य केवल एक व्यक्ति को भेजेगा । जो समिति इन १४ अभ्यार्थियों का परीक्षण करेगी उसके लिये निष्पक्ष निर्णय देने के हेतु कसौटी तलाश करना कठिन न होगा।

†**श्री तिम्मय्या** : सामुदायिक विकास खंडों के ग्राम सेवकों और सेविकाओं और समाज कल्याण बोर्ड के ग्राम सेवकों और ग्राम सेविकाओं के कामों में क्या अन्तर है ? क्या एक ही काम दो बार नहीं किया जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस विषय पर प्रकाशित काफी सामग्री संसद् के पुस्तकालय में मिल सकती है । माननीय सदस्य वह पढ़ लें ।

†**श्री तंगामणि** : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में हम देखते हैं कि पुरस्कार प्रतियोगिता के लिये बड़ी लम्बी चौड़ी योजनायें बनाई गई हैं । क्या १९५६–५७ में खंड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर प्रतियोगितायें हुई थीं और यदि हां, तो उस वर्ष कितने लोगों को पुरस्कार दिये गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सु० कु० डे** : पहले इस प्रकार की प्रतियोगिता कभी नहीं की गई। हम यह प्रयोग पहली बार कर रहे हैं ।

†**श्री रघुवीर सहाय** : क्या माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लाई गई है कि एक ग्राम सेवक अथवा ग्राम सेविका के अधीन बहुत से ग्राम रखे जाते हैं और जब तक ग्रामों की संख्या कम न की जाये तब तक कोई ठोस काम नहीं किया जा सकता ?

†**श्री सु० कु० डे** : हम जानते हैं कि ग्राम सेवक अथवा सेविका का क्षेत्र बहुत अधिक होता है। परन्तु द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में जिस विस्तार कार्यक्रम की योजना बनाई गई है उसे देखते हुए ही क्षेत्र इतना अधिक रखना पड़ा है । आशा है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना में ही हम कोई समायोजन कर सकेंगे ।

†**श्रीमती मंजुला देवी** : क्या सरकार को विदित है कि कुछ राज्यों में ग्राम सेवकों के पास कोई काम नहीं है और जनता से उनका कोई सम्पर्क नहीं है और क्या सरकार इस विषय में कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री सु० कु० डे** : मुझे ऐसी कोई बात मालूम नहीं है । यदि माननीय सदस्या कोई विशेष उदाहरण दें तो उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश में खाद्यान्न की कमी

*१९३. **श्री पद्म देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फसल न होने के कारण हिमाचल प्रदेश में खाद्यान्नों की भारी कमी हो गई है ; और

(ख) क्या सरकार का वहां अनाज की सस्ती दुकानों को खोलने की व्यवस्था करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नही ।

(ख) सस्ते अनाज की दुकानें, उपभोक्ता लोगों में खाद्यान्न वितरण करने के लिये, इस क्षेत्र में पहले से ही चालू हैं।

श्री पद्म देव : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि हिमाचल में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां आज दस साल की आजादी के पश्चात् भी लोग अनाज के साथ घास मिला कर खाते हैं और अपना गुजारा करते हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : हमको तो ऐसी किसी बात का पता नहीं है, आनरेबल मैम्बर को पता होगा ।

श्री पद्म देव : मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हिमाचल में पांगे नामक एक स्थान है जहां लोग गेहूं के आटे के साथ या दूसरे आटे के साथ गेहूं का भूसा या जौ का भूसा और पाशाणभेद बूटी के पत्ते मिला कर खाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ऐसे इलाकों के लिए क्या कुछ करने जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अ० प्र० जैन : हमको तो इस बात का पता नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि हालत इतनी खराब है तो माननीय सदस्य राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों को बतायें क्योंकि केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में यह मामला नहीं आता । वह तो केवल स्थानीय सरकार की सहायता कर सकती है ।

श्री पद्म देव : इसी प्रश्न के सम्बन्ध में मैं एक और प्रश्न करना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री को इस बारे में मालूम नहीं ; फिर भी माननीय सदस्य तर्क वितर्क किये जा रहे हैं ।

श्री पद्म देव : क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि हिमाचल में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर ६० रुपया मन चावल और ४० रुपया मन गेहूं मिल रहा है और ऐसा होने पर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ?

श्री अ० प्र० जैन : आनरेबल मैम्बर वहां पर मिनिस्टर रह चुके हैं । उस वक्त तो उन्होंने हमें कोई ऐसी खबर नहीं दी ।

श्री पद्म देव : मैं बतलाना चाहता हूं कि कई बार दी गई है और कई बार कहा भी गया है ।

†**श्री य० सिं० परमार** उठे —

† **अध्यक्ष महोदय** : अब हम मुख्य मंत्री की बात सुनेंगे ।

†**श्री य० सिं० परमार** : क्या यह सच है कि जो ६०० मन मक्की चीनी स्थान पर भेजी जानी थी वह बड़ी खराब हालत में रामपुर के बुद्ध मन्दिर में पड़ी हुई है, और यदि हां तो क्या सरकार यह विनिश्चय करेगी कि इस अपव्यय का कौन सा पदाधिकारी उत्तरदायी है ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और हमें यह सब मालूम नहीं है । मैं पूछताछ करके पता लगाऊंगा कि क्या कोई गलती हुई है ?

†**श्री य० सिं० परमार** : उत्तरदायित्व किस का है केन्द्रीय सरकार का या राज्य सरकार का ? हिमाचल प्रदेश अब अलग राज्य नहीं बल्कि संघ क्षेत्र है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : उत्तरदायित्व स्थानीय प्रशासन का है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को यह भली भान्ति मालूम है ।

मैसूर में विद्युत् शक्ति का सर्वेक्षण

†*१९४. **श्री मोहम्मद इमाम** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने इसका सर्वेक्षण और स्वतन्त्र रूप से निर्धारण किया कि मैसूर राज्य में १९६०–६१ तक कितनी विद्युत् शक्ति की आवश्यकता होगी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी विद्युत् शक्ति की आवश्यकता होगी ; और

(ग) विद्युत् शक्ति की कमी को पूरा करने के लिये कौन सी योजनाय स्वीकृत की गई हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) पुनर्गठित मैसूर राज्य में १९६०–६१ तक अनुमानतः ३००,३०० किलोवाट विद्युत् शक्ति की आवश्यकता होगी ।

(ग) एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८१]**

†**श्री मोहम्मद इमाम** : यह देखते हुए कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि १५०,००० किलोवाट विद्युत् शक्ति की कमी होगी क्या ऐसा करना ठीक न होगा कि शरावत्ति परियोजना के निर्माण की गति को बढ़ा कर १९६०–६१ तक कम से कम उसकी पहली स्टेज को तैयार रखा जाये ? अन्यथा सारे राज्य को कठिनाई होगी ।

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं कि कमी इतनी अधिक होगी । परन्तु विद्युत् शक्ति की कमी तो हर एक राज्य में है । यह सब तो निधि के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है ।

†**श्री मोहम्मद इमाम** : क्या शरावत्ति घाटी परियोजना के लिये आवश्यक मशीनों का आयात करने का प्रबन्ध किया जायेगा ? मैसूर राज्य की आशायें इसी पर निर्भर करती हैं ।

†**श्री स० का० पाटिल** : मशीनों के आयात के लिये भी निधि चाहिये ।

†**श्री मोहम्मद इमाम** : क्या इसके लिये इतनी निधि की व्यवस्था की गई है जिससे कि विद्युत् शक्ति की कमी को दूर करने के लिये परियोजना की पहली स्टेज पूरी हो जाये ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जहां तक पहली स्टेज का सम्बन्ध है १७८,००० किलोवाट का प्रबन्ध कर लिया गया है । विदेशी विनिमय की कठिनाई तो हर जगह है । इसका सामना करते हुए जहां तक सम्भव होगा इसे शीघ्र सम्पन्न करने की कोशिश की जायेगी ।

†**श्री मोहम्मद इमाम** : क्या विदेशी विनिमय की कठिनाई दूर हो जायेगी . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का एकाधिकार नहीं है । मैं ने श्री बासप्पा को पुकारा है ।

†**श्री बासप्पा** : हौने मार्दू अथवा शरावत्ति घाटी परियोजना ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से हैं जिन पर काफी खर्च किया जा चुका है और जहां बिजली पैदा करने से अपेक्षाकृत कम खर्च होता है। इससे दक्षिण में कई राज्यों को, आंध्र को भी, लाभ पहुंचेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैंने आन्ध्र का नाम इसलिये लिया कि तुंगभद्रा में विद्युत् शक्ति का अनुपात १ से ३ है जबकि शरावत्ति में यह १ से ४ होगा । यहां तक कि आंध्र राज्य भी इस पर निर्भर करता है ।

†**श्री स० का० पाटिल :** मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि शरावत्ति परियोजना सर्वोत्तम परियोजनाओं में से एक है । इसमें कोई मतभेद नहीं है और इसे यथासम्भव शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या मैसूर विद्युत् प्रणाली को मद्रास की ग्रिड प्रणाली से मिलाया जायेगा ?

†**श्री स० का० पाटिल :** हमारी योजना अन्त में यही करने की है । एक अखिल भारतीय ग्रिड बनाया जाना है और प्रारम्भ देश के उस भाग से किया गया है ।

†**डा० क० ब० मेनन :** क्या मैसूर राज्य से शरावत्ति परियोजना को हाथ में लेने के फलस्वरूप किसी जल विद्युत् योजना को छोड़ दिया गया है ।

†**श्री स० का० पाटिल :** अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है । मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

कडपा में मालगाड़ी की टक्कर

\+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १** { **श्री सें० वें० रामस्वामी**
श्री फिरोज़ गांधी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री बोस :
श्री राम शंकर लाल :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विश्वनाथ रेड्डी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ सितम्बर, १९५७ को एक मालगाड़ी जिसमें दो इंजन लगे थे, कुछ मील पीछे लुढ़क कर कडपा रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक गाड़ी से टकरा गई;

(ख) कितने व्यक्ति घायल हुये ;

(ग) सम्पत्ति को कितनी हानि हुई;

(घ) यह दुर्घटना कैसे हुई; और

(ङ) क्या किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) १६-९-५७ को मालगाड़ी संख्या १५८० अप, जिसमें दो इंजन लगे थे, ४ बजकर ५० मिनट पर कडपा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई और लगभग ५ मील आगे जाने पर मील संख्या १५६/९–१० पर जहां निरन्तर चढ़ाई थी, रुक गई और फिर पीछे लुढ़क कर कडपा स्टेशन आ गई और ६ बजकर ७ मिनट पर कडपा स्तेशन पर संख्या ४२६ अप रायचुर-मद्रास सवारी गाड़ी से, जो उसी समय स्टेशन पर आई थी, टकरा गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) एक व्यक्ति को गंभीर तथा २८ व्यक्तियों को साधारण चोट आई।

(ग) रेलवे सम्पत्ति को लगभग १५०० रु० की क्षति हुई।

(घ) जिस सहकारी रेलवे निरीक्षक ने जांच की है उसका कहना है कि जब मालगाड़ी चढ़ाई के ऊपर पहुंचने वाली थी उस समय इस बात का ध्यान किये बिना कि कहीं गाड़ी पीछे लुढ़क न जाये, गाड़ी के वैगनों के ब्रेक हटा दिये गये थे इसी कारण यह दुर्घटना हुई।

(ङ) मालगाड़ी के इंजन के ड्राइवर को इस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या इंजनों के रवाना होने के पहले वैकुअम ब्रेकों की परीक्षा कर ली गई थी ? इंजनों के ब्रेक कैसे फेल हो गये? क्या इंजनों के ब्रेकों का प्रयोग किया गया था ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : शेड से निकलने के पहले ही इंजनों के ब्रेकों की परीक्षा हमेशा कर ली जाती है। इस इंजन के संबंध में भी इस सामान्य नियम का पालन किया था। इस मामले में बात यह थी कि एक बहुत ढालू पहाड़ी पर चढ़ाई का मामला था। जब गाड़ी चढ़ाई की चोटी पर पहुंच गई तो इंजनों ने काम करना बन्द कर दिया। जब इंजन फेल हो गया तो अपने आप सभी वैगनों में ब्रेक लग गये। अतः ड्राइवर ने फायरमैन से कहा कि वह गाड़ी से उतर कर ब्रेक हटा दे ताकि वैकुअम की व्यवस्था हो जाये और गाड़ी को उपर जाने में ब्रेक रुकावट न पैदा करें। जब फायरमैन ने नीचे जाकर वैकुअम हटा दिया तो गाड़ी पीछे की ओर लुढ़कने लगी। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की। उसने वैकुअम ब्रेक तथा हाथ से ब्रेक लगाने के यंत्र का भी प्रयोग किया। पर चूंकि लाइन बहुत ढालू थी वह कोई भी ब्रेक लगा नहीं पाया। उसने इंजन के ड्राइवर से चिल्लाकर कहा कि वह इंजन का ब्रेक लगाये। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। पर चूंकि गाड़ी बहुत तेजी से लुढ़क रही थी अतः कुछ भी काम नहीं हो पाया।

†**श्री त्यागी** : उत्तर बहुत सन्तोषजनक है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इंजन को क्यों नहीं रोका गया ? क्या इंजन के ड्राईवर ने सीटी बजाकर सिगनल मैन या स्टेशन मास्टर या सहायक स्टेशन मास्टर का ध्यान आकृष्ट किया ताकि दुर्घटना को होने से बचाया जा सके ? यदि ड्राइवर इस प्रकार सीटी बजा कर खतरे का ज्ञान करा देता तो उसकी गाड़ी का मार्ग किसी लूप लाइन की ओर कर दिया जाता।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : उस समय कोई लूप लाइन खाली नहीं थी।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या यह सच है कि दोनों इंजनों के ब्रेकों की मशीन में खराबी थी और इसी कारण ड्राइवर ब्रेकों का प्रयोग नहीं कर पाया ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जिस सरकारी रेलवे निरीक्षक ने इस मामले की जांच की है उसने विशेष रूप से यह कहा है कि दोनों इंजनों के ब्रेकों की मशीनें ठीक हालत में थीं। बात शायद यह थी कि गाड़ी इतनी तेजी से पीछे को लुढ़क रही थी कि ड्राइवर गाड़ी और ब्रेक पर नियंत्रण नहीं कर सका। यह एक दुर्भाग्य-पूर्ण दुर्घटना है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या रेलवे बोर्ड में किसी ऐसे विभाग की व्यवस्था है जो दुर्घटना स्थल पर तुरन्त पहुंच कर वर्तमान दुर्घटना की तुलना वैसी ही पिछली दुर्घटना से करता है और इस बात पर विचार करता है कि भविष्य में वैसी दुर्घटना न होने पावे

†**श्री शाहनवाज़ खां** : मैं आप की बात समझ नहीं पाया।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या रेलवे में किसी ऐसे विभाग की व्यवस्था है जो घटना स्थल पर तुरन्त पहुंच कर दुर्घटना का कारण आदि पता लगाता है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हमारे पास इस काम के लिए एक बहुत बड़ा विभाग है। सरकारी रेलवे निरीक्षकों को छोड़कर, जो इनकी जांच करते हैं, हमारे विभाग में भी ऐसे विशेषज्ञ हैं जो दुर्घटना के तुरन्त बाद ही इन सभी बातों की छानबीन करते हैं। वे पूरी छानबीन करते हैं और ऐसी दुर्घटनाओं को फिर होने से रोकने के लिए प्रभावी काम उठाये जा रहे हैं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जायगा ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : यह संचार मंत्रालय के दृष्टिकोण पर निर्भर है। यह प्रश्न संचार मंत्रालय को संबोधित होना चाहिये, हमें नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : संचार मंत्रालय को यह परामर्श देना रेलवे मंत्री का काम है कि इसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिये या नहीं। केवल इस बात से बचने के लिये ही कि जो मंत्रालय उत्तरदायी है उसे ही दुर्घटना की जांच का काम सौंपा जाये, दूसरे मंत्रालय से इस काम में सहायता देने के लिये कहा गया है। वह न्याय-विभाग का पदाधिकारी होगा और न्यायाधीश के रूप में मामले की जांच कर अपना प्रतिवेदन देगा। यह निश्चय करना उस मंत्री का काम नहीं है कि इस प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखा जाये या नहीं। मैं उन मंत्री महोदय से यह कहने वाला नहीं हूं कि वह यह उत्तरदायित्व ले लें। यदि रेलवे मंत्री महोदय यह नहीं चाहते कि दूसरे मंत्री महोदय यह उत्तरदायित्व लें तो वे नहीं लेंगे। इसे करना या न करना पूरी तरह रेलवे मंत्रालय पर ही निर्भर है।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : जी, नहीं। वैधानिक स्थिति यह नहीं है। जांच करके प्रतिवेदन संचार मंत्रालय को दिया जाता है। प्रतिवेदन की जांच वह मंत्रालय करता है। इसलिये इस बात का निश्चय वह मंत्रालय ही करेगा कि इस प्रतिवेदन को प्रकाशित किया जाय, या सभा-पटल पर रखा जाय या नहीं। रेलवे मंत्रालय उस मंत्रालय को यह या वह करने का परामर्श देने में सक्षम नहीं है। वैधानिक स्थिति यह है।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : रेलवे मंत्रालय द्वारा निश्चय कर लिये जाने के बाद निश्चय करने की जिम्मेदारी संचार मंत्रालय पर है..... (हंसी) माननीय सदस्य मेरा वाक्य पूरा होने से पहले ही हंस पड़े। रेलवे मंत्रालय द्वारा यह निश्चय कर लिये जाने के बाद कि लापरवाही के लिये मुकदमा चलाया जायेगा या नहीं, एक निश्चय किया जाता है। इन दोनों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। रेलवे मंत्रालय द्वारा यह निर्णय होते ही कि मुकदमा चलाना पड़ सकता है, संचार मंत्रालय यह प्रतिवेदन तब तक सभा-पटल पर नहीं रख सकता जब तक कि मुकदमे की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी :** जिस समय वह न्यायाधीन हो उस समय उसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता।

†**अध्यक्ष महोदय :** स्पष्ट है कि माननीय सदस्यों ने निर्णय मेरे ही ऊपर छोड़ दिया है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं वह इसे सभा-पटल पर रख दें।

†**श्री हुमायूं कबीर :** पिछले सत्र में जिस समय यह प्रश्न आया था, उस समय हम इस प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखना चाहते थे लेकिन उस समय विधि मंत्रालय ने हमें यह राय दी थी कि क्योंकि मुक़दमा दायर किया जा चुका है इसलिये जब तक निर्णय नहीं ज्ञात हो जाता तब तक उसे सभा-पटल पर नहीं रखा जा सकता।

†**श्री त्यागी :** कानूनन।

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा को मंत्री महोदय से कुछ जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। कुछ माननीय सदस्य यह चाहते थे कि इस प्रश्न में जिस प्रतिवेदन का प्रश्न उठा था उसे सभा-पटल पर रख दिया जाय। मैंने रेलवे मंत्री से ऐसा करने का अनुरोध किया। इस पर उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं, अन्य मंत्री महोदय पर है। दूसरे मंत्री महोदय कहते हैं कि यदि कोई मुकदमा चलाया गया हो या चलाया जाने वाला हो तो कानूनन इसे सभा-पटल पर नहीं रखा जा सकता। जहां तक मुकदमे का संबंध है, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय क्या स्थिति है। मैं आपको कोई ऐसा कार्य करने की राय नहीं दूंगा जो उस मुकदमे के हित के विरुद्ध जाती हो। यदि मुकदमा न चलाया गया हो तो तब तो उसे सभा-पटल पर रखने में कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती।

†**श्री जगजीवन राम :** मैंने आमतौर पर वह बात कही थी; मैं इस दुर्घटना विशेष की बात नहीं कर रहा। आमतौर पर स्थिति यह है कि प्रतिवेदन संचार मंत्रालय को दिया जाता है। पिछले सत्र में जिस समय श्री फिरोज़ गांधी ने यह प्रश्न उठाया था, मैंने कहा था कि मैं संचार मंत्रालय से प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने का अनुरोध करूंगा। जिस समय संचार मंत्रालय से मैंने यह प्रश्न उठाया, उस समय स्वयं मुझको यह पता नहीं था कि यह उलझनें पैदा हो जायेंगी। फिर, विधि मंत्रालय के परामर्श से जांच करने पर यह पता चला कि यदि रेलवे के निरीक्षक के प्रतिवेदन के फलस्वरूप कोई मुकदमा चलाना पड़ा तो निरीक्षक के प्रतिवेदन को प्रकट करना उचित नहीं होगा।

†**कुछ माननीय सदस्य :** क्यों नहीं ?

†**श्री जगजीवन राम :** यह मैं नहीं बता सकता। क्योंकि यह मसला न्यायाधीन होगा। इसका निर्णय करना आपके हाथ में है। यदि मुकदमा नहीं चलना है तो निश्चय ही मैं प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रख दूंगा।

†**कुछ माननीय सदस्य :** किस कानून के अनुसार.....

†**श्री त्यागी :** गृह-कार्य मंत्रालय और विधि मंत्रालय का भी इससे संबंध है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य इस छोटे से मसले के बारे में बहुत उत्तेजित हो उठे प्रतीत होते हैं। शान्ति शान्ति। मैं गृह-कार्य मंत्री को पुकार रहा हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : जैसा कि रेलवे मंत्री बता चुके हैं, यदि इस प्रतिवेदन के आधार पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया तो इसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा। यदि मुकदमा चलाया जाने वाला होगा तो हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि विधि हमें इसे सभा-पटल पर रखने की अनुमति देती है या इससे मुकदमें पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। प्रतिवेदन को रोक लेने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। जल्दी या देर से, मुक़दमा शुरु होने या खतम होने के बाद तो इसे सभा-पटल पर रख ही दिया जायगा। इसका निश्चय संबंधित विधि के उपबंधों के आधार पर किया जायगा ।

†**श्री त्यागी** : मुकदमा चलाने या न चलाने का निश्चय कौन सा मंत्रालय करेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम दूसरी बातों की ओर भटके जा रहे हैं। रेलवे मंत्रालय, जो इसके लिये उत्तरदायी है, यह राय दे सकता है कि मुकदमा चलाया जाय या नहीं, और दूसरे अभिकरण न्यायालय में वास्तव में मुकदमा चलाने का कार्य करेंगे। मुझे मालूम नहीं कि रेलवे मंत्री महोदय ने अन्तिम रूप से क्या निश्चय किया है और वे मुकदमा चलायेंगे या नहीं, और ऐसी स्थिति में.....

†**कुछ माननीय सदस्य** : यह सभा का विशेषाधिकार है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मैं मुकदमा चलाने के लिये कोई समिति नियुक्त कर सकता हूं ? शान्ति, शान्ति। मंत्री महोदय ने हमें सूचित किया है यदि मुकदमा चलाया जाने वाला हो तो वैधानिकता के प्रश्न के अलावा भी इसे सभा के समक्ष रखना संभव नहीं होगा। यह भी कहा गया है कि जिस अधिनियम के अधीन निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है, संभवतया उसमें ऐसे कुछ नियम हैं, मुझे मालूम नहीं, जिन पर विचार करने के बाद विधि मंत्रालय की यह राय है कि जिस समय मुकदमा चल रहा हो या चलाने का विचार हो, उस समय इसे सभा के समक्ष रखना या प्रकाशित करना कानूनी दृष्टि से ठीक नहीं होगा। मैं इस स्थिति की जांच करूंगा। गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि वह भी स्थिति की जांच करेंगे।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं भी इसका पता लगाऊंगा।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिये। रेलवे मंत्री ने यह कहा था कि संविधान और अधिनियम दोनों के अधीन उनका या अन्य कोई मंत्रालय प्रतिवेदन सभा-पटल पर नहीं रख सकता। संविधान अथवा उस अधिनियम में ऐसा कोई भी उपबंध नहीं है जो मंत्रालय को उसे रखने से रोकता हो। इसके अलावा औचित्य तो इसी में है कि इसे रखा जाना चाहिये।

†**कुछ माननीय सदस्य** : यही सही स्थिति है।

†**श्री हुमायूं कबीर** : यही तो वह बात है जिस की विधि मंत्रालय जांच कर रहा है।

†**श्री साधन गुप्त** : मैं एक निवेदन करूं ? यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिसका प्रभाव हमारे विशेषाधिकार पर पड़ता है। इससे पहले कि आप इस पर अपना विनिर्णय दें, क्या हम इस मसले पर चर्चा कर सकते हैं और क्या मंत्री महोदय उस विधि का संकेत कर हमारी सहायता करेंगे जो यह निषेध करती हो। क्योंकि, साधारणतया, हम किसी भी मुकदमे को प्रभावित नहीं कर

---

†मूल अंग्रेजी में

रहे हैं। यदि हम उसे सभा पटल पर रखें तो केवल इसी बात का मुकदमे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि आपके पास उसका प्रकाशन रुकवाने के लिये पर्याप्त शक्ति मौजूद है। मुझे विश्वास है कि यदि उन्हें मालूम हो कि कोई मुकदमा चलाया जाने वाला है तो माननीय सदस्य ऐसा कोई प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं करेंगे जिसमें कोई ऐसी बात हो जो उस मुकदमें को प्रभावित करे। इसलिये, मैं तो नहीं समझता कि सिर्फ इसलिये ही कि मुकदमा चलाया जाने वाला है उस प्रतिवेदन को हमसे रोका जा सकता है, बशर्ते कि कानून में ही ऐसी कोई बात न हो जो इसका निषेध करती हो। इसलिये, यदि मंत्रालय उस कानून को बताकर हमारी सहायता कर सके तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस समय मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि यदि कोई माननीय सदस्य मुझे यह सूचित करना चाहें कि रेलवे मंत्री अथवा संचार मंत्री महोदय ने जो बात कही थी, स्थिति उसके विपरीत है, अर्थात् यदि कोई मुकदमा दायर हो चुका हो या दायर किया जाने वाला हो, तो इसे सभा-पटल पर रखना अननुमत नहीं है, तो वे मेरे पास संक्षिप्त टिप्पण भेज सकते हैं। मैं उन पर विचार करूंगा।

†**श्री नौशीर भरूचा** : इस संबंध में कोई विधि नहीं है। उन्हें ही बताने दीजिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस संबंध में देख-सुन कर मुझे सूचित करें और संक्षिप्त टिप्पणी भेजें। मैं इस मामले में जल्दबाजी में कोई निश्चय नहीं करूंगा। वह चाहे एक दिन लगायें या एक हफ्ता लें। कोई जल्दी तो है नहीं।

†**श्री साधन गुप्त** : हम उनसे वह विधि बताने के लिये तो कह ही सकते हैं।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं कह चुका हूं कि सरकार का कतई यह इरादा नहीं है कि प्रतिवेदन को रोक लिया जाय। हम स्थिति की जांच करेंगे। यदि मौजूदा विधि के अनुसार कोई अड़चन न हुई, तो प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने का प्रयास किया जायगा।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : एक बात मैं भी कहूं? वैधानिक स्थिति की जांच कर ली जाये, और जैसा कि गृह-कार्य मंत्री महोदय ने कहा है, उसकी जांच की भी जायेगी। आपकी और सभा की जानकारी के लिये मैं यह कह सकता हूं कि उनके प्रतिवेदन प्रकाशित हो चुके हैं और सभा-पटल पर और पुस्तकालय में रखे जा चुके हैं। आम नियम के रूप में महत्वपूर्ण या बड़ी दुर्घटनाओं संबंधी सभी महत्वपूर्ण प्रतिवेदन न केवल सभा की जानकारी के लिये, वरन् समस्त जनता की जानकारी के लिये प्रकाशित कर दिये जाते हैं।

†**श्री आचार** : क्या हम विधि का वह उपबन्ध जान सकते हैं जिसके अधीन इसे सभा-पटल पर रखना निषिद्ध है?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अनावश्यक रूप से सभा का समय ले रहे हैं। किसी ने अंतिम रूप से यह नहीं कहा है कि विधि निषेध करती है। गृह-कार्य मंत्री महोदय ने कहा है कि वह इस बात की जांच करेंगे। जांच करने के बाद यदि मैंने देखा कि कुछ और प्रकाश पड़ना चाहिये तो मैं कुछ और माननीय सदस्यों की सहायता मांगूंगा। इस मामले में कुछ भी कठिनाई नहीं है। इसमें विनिर्नय देने की आवश्यकता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

यात्रा अभिकर्त्ता

†*१८२. { **श्री मुरारका :**
श्री नथवानी : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्रा अभिकर्ताओं को जो कमीशन दिया जाता है क्या उसे कम कर देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उस में किस सीमा तक कमी की जायेगी; और

(ग) १९५६–५७ में यात्रा-अभिकर्ताओं को कमीशन के रूप में कुल कितनी राशि दी गयी थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). जी हां। जहां तक देश के भीतर यात्रा के लिये यात्रा अभिकर्ताओं द्वारा जारी किये गये टिकटों का संबंध है, कमीशन की दर १-१२-१९५७ से ५ प्रतिशत से घटा कर ३¹/₂ प्रतिशत की जाने वाली है ।

(ग) लगभग ५.८ लाख रुपये ।

नदी पर नाव-सेवा के भाड़े

†*१८३. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पलेजाघाट और महेन्द्रू के बीच सीधे टिकट नहीं मिलते;

(ख) क्या इन दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वालों को जुर्माना अथवा दूना किराया चुकाना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक घाट से दूसरे घाट तक जाने वालों को लाने ले जाने के लिये राज्य-सरकार ने पृथक नाव-सेवाओं को लाइसेन्स दे रखे हैं । इसलिये रेलवे किसी यात्री की एक घाट से दूसरे घाट तक का टिकट नहीं ले सकती और ऐसे जिन यात्रियों को घाट पर बिना टिकट पकड़ा जाता है उन से किराया और अतिरिक्त भाड़ा वसूल किया जाता है क्यों कि वे लोग बिना टिकट यात्रा करने वाले होंगे ।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में नाली व्यवस्था

†*१८७. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रो में नालियों की दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण इस वर्ष काफी मूल्य की फसलें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं ;

(ख) क्या सरकार नाली-व्यवस्था की योजना को प्राथमिकता देने जा रही है ;

(ग) किन-किन योजनाओं पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) इस दोष पूर्ण नाली व्यवस्था को पूरी तरह हटाने में सरकार को कितना खर्च बैठेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । नजफ़गढ़ के नाले से रेत निकालने और उसके प्रवणन[10] के लिये ४ लाख रुपये मंजूर किये जा चुके हैं और काम चालू है और उसके अगले बरसात से पहले ही पूरे हो जाने की आशा है ।

(ग) लोक-सभा पटल पर विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८२**]

(घ) ३७.०० लाख रुपये ।

विशाखपटनम की सूखी गोदी[11]

†*१९०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विशाखपटनम शिपयार्ड में सूखी गोदी के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : इस योजना की २१५ लाख रुपयों की कुल प्राक्कालित लागत में से लग भग २.३३ लाख रुपये कुछ प्रारंभिक निर्माण कार्यों पर व्यय किये जा चुके हैं जिन्हें इस परियोजना के सलाहकार इंग्लैंड के मेसर्स रेन्डल पामर एण्ड ट्रिटन द्वारा दिये गये परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया था । धन की कमी की वजह से इस योजना की और आगे क्रियान्वित फिलहाल रुक गयी है ।

भाखड़ा नंगल से दिल्ली, पंजाब और राजस्थान को बिजली का संभरण

†*१९१. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा और नंगल की जल-विद्युत् परियोजनाओं में से दिल्ली, राजस्थान और पंजाब को कितनी बिजली दी जा सकने की आशा है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८३**]

रेलवे कर्मचारियों के लिये पेंशन

†*१९५. **श्री तंगामणि** : क्या **रेलवे** मंत्री २८ अगस्त, १९५७ के तारांकित **प्रश्न संख्या** ११९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से रेलवे पर पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). रेलवे पर पेन्शन व्यवस्था १-४-५७ से लागू करने का निश्चय किया गया है और आशा है कि आदेश एक दो सप्ताह में जारी हो जायेंगे ।

बंगाल में चावल का संभरण

†*१९६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में परिवर्तित राशन योजना के अधीन सस्ते किस्म का चावल नहीं मिल रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[10]Grading
[11]Dry Dock

(ख) क्या उन्हें पता है कि इस के फलस्वरूप खुले बाजार में चावल के भाव बढ़ गये हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल को सस्ता चावल देने वाली है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, नहीं । जिलों में आयात किया हुआ बर्मी चावल अब भी वितरित किया जा रहा है लेकिन कलकत्ते में बढ़िया अमरीकी और देशी चावल ऊंचे भावों पर वितरित किया जा रहा है ।

(ख) पश्चिमी बंगाल में हाल में चावल बाज़ार के भावों में अधिक उतार-चढाव नहीं आये हैं ।

(ग) केन्द्र के रक्षित कोष से पश्चिम बंगाल को जो चावल दिया जाता है उस का अधिकांश भाग सस्ते मोटे चावल के रूप में होता है ।

केरल में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिये निर्माण कार्य

†*१९७. **श्री कोडियान** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस आशय का कोई प्रस्ताव भेजा है कि केरल के तट पर कुछ चुने हुए स्थानों पर समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिये जो निर्माण कार्य किये जा रहे हैं उन्हें अन्य तटवर्ती प्रभावित क्षेत्रों तक भी बढ़ा दिया जाय;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस प्रकार का है; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता मांगी है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (ग) जी, हां ।

(ख) और (ग). लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिन में अपेक्षित जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८४]**

भाखड़ा नंगल परियोजना के कोटला और गंगुवाल बिजली घर

†*१९८. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोटला और गंगुवाल के बिजली घरों में अतिरिक्त इकाइयां कब तक लग जायेंगी और उन से बिजली कब तक पैदा होने लगेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : कोटला और गंगुवाल के बिजली घरों में १९६०–६१ तक अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन करने के लिये तैयार हो जाने की आशा है ।

पशुओं के प्रति निर्दयता का निवारण

†*१९९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ६ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १९५९–क के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहां तक भारत सरकार का संबंध है क्या पशुओं के प्रति निर्दयता का निवारण करने वाली समिति के प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन के संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** :(क) और (ख). पशुओं के प्रति निर्दयता का निवारण करने वाली समिति के प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशें अब भी भारत सरकार के विचाराधीन हैं ।

कागज बनाना

†*२००. **श्री श्री नारायण दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १८ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २३४२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति ने पटसन के कागज बनाने की जो परीक्षात्मक योजना बनाई थी क्या उस के कोई परिणाम निकले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या;

(ग) क्या प्रयोग के फलस्वरूप इस बात की अच्छी संभावना है कि इस आशय के प्रयास सफल होंगे; और

(घ) क्या इस प्रस्ताव के आर्थिक पहलू का अध्ययन कर लिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति की प्रौद्योगिकीय गवेषणा प्रयोगशाला में परीक्षात्मक योजना के अधीन कार्य आरम्भ हो गया है लेकिन उपकरणों की कमी की वजह से, जो साधारणतया देश के बाहर से ही मिल सकते हैं, कोई विशेष प्रगति संभव नहीं हुई। लेकिन प्रयोगशाला के उपकरण यथासंभव स्थानीय रूप से ही तैयार कराने के प्रयास किये जा रहे हैं और यह काम पूरा होते ही पूरे जोर शोर से कार्य शुरू हो जाने की आशा है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दिल्ली की बस्तियों के लिये निर्माण-आयोजनायें

†*२०१. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब से दिल्ली विकास (अस्थाई) प्राधिकार का गठन हुआ है तब से उसने विभिन्न बस्तियों के लिये निर्माण आयोजनायें मंजूर करने के लिये अलग अलग प्रतिमान निर्धारित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :(क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८५**]

रेल-समुद्र समन्वय समिति

†*२०२. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल-समुद्र समन्वय समिति की सिफारिशों पर विचार पूरा हो गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि ऊपर (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)**: (क) से (ग). रेल-समुद्र समन्वय समिति ने कई सिफारिशें की हैं जिनमें से सब से महत्व पूर्ण तटीय भाड़े की दरों में वृद्धि के संबंध में है। लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि इस प्रश्न पर सरकार ने क्या निश्चय किया है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८६**] समिति की अन्य सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

अन्दमान के वन

†*२०३. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हासदा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ६ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १५४१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स पी० सी० राय के अधीन काम करने वाले मजदूरों की कितनी बकाया मजूरी अब तक दी जा चुकी है ;

(ख) मुख्य भूमिको जहाजों द्वारा भेजी गयी लकड़ी पर अब तक कितनी बकाया रायल्टी वसूल की गयी है; और

(ग) क्या सभा पटल पर हर वर्ष रायल्टियों का एक विवरण रखा जायेगा जिसमें भुगतान की तिथि भी दी हुई हो ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) २,०२,५०० रुपये।

(ख) और (ग). लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८७**]

पेरम्बूर का सवारी-डिब्बे बनाने वाला कारखाना

†*२०४. **श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में पेरम्बूर के सवारी-डिब्बे बनाने वाले कारखाने के लिये बर्मा से कुल कितनी लकड़ी मंगायी गयी है ;

(ख) यह कितने मूल्य की है; और

(ग) क्या यह भारत में नहीं मिल सकती थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) सवारी-डिब्बे बनाने वाले कारखाने के लिये कुछ भी लकड़ी बाहर से नहीं मंगायी गयी है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन को नया रूप प्रदान करना

†*२०५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन को नया रूप प्रदान करने में कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : मीटर लाइन के हिस्से को नया रूप प्रदान करने का कार्य, जिस की अनुमानित लागत १३.२८ लाख रुपये दिसम्बर, १९५५ में मंजूर की गयी थी, ६० प्रतिशत पूरा हो गया है ।

बड़ी लाइन वाले हिस्से को नया रूप प्रदान करने का कार्य, जिस की अनुमानित लागत ३८.५० लाख रुपये जून, १९५७ में मंजूर हुई है, अभी ही आरम्भ किया गया है और ऐसे क्वार्टरों के स्थान पर नये क्वार्टरों के निर्माण की व्यवस्था जारी है जिन को नया रूप प्रदान करने की योजना के अधीन गिराना जरूरी है । स्थायी मार्ग सामग्री की व्यवस्था की जा रही है ।

बिहार में बरौनी में बिजली घर

†*२०६. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :
श्री विभूति मिश्र :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री त्रि० कु० चौधरी :
श्री झूलन सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी मुद्राओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बिहार में बरौनी स्थान में एक बिजली घर की स्थापना के बारे में क्या वर्तमान स्थिति है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: बरौनी में एक तापीय बिजली घर की, जिस में १५-१५ हजार किलोवाट के दो बिजली संयंत्र होंगे, योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गई है । विदेशी मुद्राओं संबंधी वर्तमान कठिन स्थिति के कारण, बिहार सरकार इस बिजली घर के लिये सामग्री और उपकरणों के संभरण के लिये आस्थागित भुगतान की शर्तें प्राप्त करने का प्रयास कर रही है । बिहार सरकार और उन फर्मों के बीच जिन के टेंडर प्राविधिक रूप से उपयुक्त समझे गये हैं, भुगतान की शर्तों के बारे में बात चीत चल रही है । बिजली घर और साथ के क्वार्टरों के के लिये जमीन ली जा चुकी है और कर्मचारियों के क्वार्टरों के नमूनों और प्राक्कलनों को अन्तिम रूप प्रदान किया जा चुका है ।

वायु अनुकूलित डिब्बे[१२]

†२२६. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायु अनुकूलित डिब्बों पर रेलवे ने अभी तक कुल कितनी रकम खर्च की है;

(ख) वायु अनुकूलित डिब्बों की व्यवस्था एवं संचालन के लिये नियोजित अतिरिक्त व्यक्तियों पर कितनी रकम खर्च हुई है;

(ग) सम्पूर्ण रेलों में वायु अनुकूलित डिब्बों में प्रति दिन कितने स्थान उपलब्ध होते हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

[१२]. Air Conditioned Coaches.

(घ) प्रति दिन बुक कराये गये स्थानों की औसत संख्या प्रतिदिन कितनी है; और

(ङ) वायु अनुकूलित डिब्बों से अभी तक कितनी आय हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पूर्वोत्तर रेलवे पर दावे

†२२७. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे को दावों के सिलसिले में निम्नलिखित वर्षों में क्रमशः कितनी रकम देनी पड़ी :—

(१) १९५३–५४

(२) १९५४–५५

(३) १९५५–५६

(४) १९५६-५७, और

(५) १ अप्रैल, १९५७ से १ सितम्बर, १९५७;

(ख) उपरोक्त रेलवे पर दावों के सम्बन्ध में कितनी राशि बकाया है;

(ग) पलेजाघाट और मोकामा घाट में चोरी तथा गोलमाल की घटनाओं के विरुद्ध दावा याचिकाओं की कुल संख्या कितनी है और इन दावों में निम्नलिखित वर्षों में कितनी रकम अन्तर्ग्रस्त थी :

(१) १९५५–५६

(२) १९५६–५७, और

(३) १ अप्रैल, १९५७ से १ सितम्बर, १९५७;

(घ) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में गोलमाल और चोरी की घटनाओं में विशेष कमी नहीं हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इन घटनाओं के स्रोत पर अंकुश लगाने और अपराधियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिये क्या कर रही है अथवा करने का विचार रखती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**:(क) पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा दावों के रूप में वर्षवार दी गई रकम इस प्रकार है :

१९५३-५४	३६,६९,७७९
१९५४-५५	३७,१२,५०३
१९५५-५६	५३,६२,७४४
१९५६-५७	५३,९३,६९४
१ अप्रैल से १ सितम्बर १९५७ . . .	१८,७७,२९९

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ३० सितम्बर, १९५७ तक लगभग ५६,५९,००० रुपये ।

(ग) ऐसी कोई पृथक सांख्यकी नहीं रखी जाती है जिस में पलेजाघाट और मोकामा घाट जैसे अलग स्टेशनों के लिये गोलमाल और चोरी के सम्बन्ध में दावों की संख्या दी गई हो ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । फिर भी, और अधिक सावधानी बरती जा रही है ।

रेलवे लाइनें

†२२८. **श्री सुगन्धि** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलमार्गों की कुल लम्बाई मीलों में, प्रत्येक गाज और जोन की अलग अलग और ऐसे प्रत्येक जोन का क्षेत्र वर्गमील में कितना है ;

(ख) वे जोन कौन कौन से हैं जिन में इस समय दोहरी लाइनें हैं तथा उन की कुल लम्बाई क्या है ; और

(ग) वे जोन कौन कौन से हैं जिन में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में नये रेल मार्ग बनाये गये थे ; और

(घ) वे कौन से जोन हैं जहां उक्त अवधि में छोटी लाइन को बड़ी लाइन अथवा मीटर लाइन में परिवर्तित कर दी गई हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). माननीय सदस्य कदाचित् प्रथक जोन रेलवे पद्धतियों की ओर निर्देश कर रहे हैं ; उन का ध्यान १९५५-५६ के लिये भारतीय रेलों सम्बन्धी रेलवे बोर्ड के प्रतिवेदन, खण्ड २ में विवरण संख्या ८, की ओर आमंत्रित किया जाता है जिस में विभिन्न रेल मार्गों और प्रत्येक रेलवे तथा गाज की दोहरी लाइनों के बारे में जानकारी दी गई है । रेलवे मार्ग अन्वायाम[13] होता है अतः केवल मीलों के रूप में ही उसे व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्येक जोन पद्धति में वर्गमील बताया जा सकता है ।

(ग) और (घ). नई रेलवे लाइनें और छोटी लाइनों को बदलने के बारे में जानकारी "भारतीय रेलों से सम्बन्धित प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति" नामक पुस्तिका के पृष्ठ ११ और १२ पर तालिका १ और ३ में दी गई है । इस की प्रतियां संसद् के सदस्यों को १९५६-५७ के बजट पत्रों के साथ संभरित की गई थी ।

रेल के इंजन

†२२९. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में निर्मित रेलवे इंजन की वर्तमान लागत बताने की कृपा करेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : डब्ल्यू० जी० रेल इंजन की औसत निर्माण लागत १९५६-५७ में ४ लाख ८ हजार रुपये थी । इस में लाभांश प्रभार सम्मिलित नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

13. Longitudinal

कांगड़ा घाटी में रेल मार्ग

†२३०. ाज :
ट १९८ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा घाटी सैक्शन रेलवे लाइन के रेल-मार्ग को जवानवाला शहर और गुलेर स्टेशन के बीच स्थानान्तरित कर देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस पर कितनी सम्भावित लागत होगी और कार्य का सूत्रपात कब होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

जयपुर डाकघर

†२३१. **श्री वें० च० मलिक** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २९ जुलाई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस के पश्चात् जयपुर मुख्य डाकघर के भवन का निर्माण आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्राधिकार को बार बार टेंडर आमंत्रित करने पर इस कार्य के लिये ठेकेदार नहीं मिल सका है । इस कार्य को राज्य लोक निर्माण विभाग के सुपुर्द करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

ग्राम्य सहकारी संस्थाय[14]

†२३२. **श्री श्री नारायण दास** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २२ सितम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १२५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रों के समीपवर्ती स्थानों में रहने वाले कृषकों को कृषि सम्बन्धी नवीन विकास कार्यों में और ग्राम्य सहकारी समितियों की रचना में अनुदेश देने के लिये विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों के क्षेत्राधिकार तथा कार्यों को उदार रूप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितने कृषकों को इस प्रकार के अनुदेश प्राप्त हुए हैं और कौन-कौन से केन्द्र यह कार्य कर रहे हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में
[14]Rural Co-peratives.

(ग) क्या योजना में बताई गई पद्धति में उन प्रशिक्षणकर्ताओं की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है जो अध्ययन हेतु डेनमार्क भेजे गये थे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी , नहीं ; इस समय ऐसा नहीं किया गया है । विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों का उपयोग अभी भी ग्राम सेवकों के प्रशिक्षण में ही पूर्णत: प्रयोग किया जा रहा है । ये ग्रामसेवक कृषि तथा अन्य सम्बन्धित विषयों पर ग्रामवासियों को नवीनतम जानकारी प्रदान करते हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) उपरोक्त जानकारी की दृष्टि से विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणकर्ताओं की सेवाओं का उपयोग ग्रामसेवकों को प्रशिक्षित करने में किया जाता है ताकि वे किसान तथा अन्य ग्रामवासियों को खेती के सुधार तथा कृषि को उन्नत करने और ग्राम्य जनता के धन्धों के सिलसिले में सहायता प्रदान कर सकें ।

पंजाब में राष्ट्रीय राजपथ

†२३३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजपथ की कुल कितनी लम्बाई (प्रत्येक पथ की पृथक्-पृथक्) है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में विकास योजनायें क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८८**]

खाद्यान्न वितरण

†२३४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल से नवम्बर, १९५७ तक भारत में आने वाले खाद्यान्न को अभावग्रस्त सभी राज्यों में वितरित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वितरण का राज्यवार परिमाण कितना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). भारत में आने वाले खाद्यान्न का कुछ भाग केन्द्रीय संचय-स्थल में रखा जाता है और कुछ भाग गोदी से सीधे आवंटी राज्यों को भेज दिया जाता है । केन्द्रीय डिपो के स्टाक में से भी वितरण किया जाता है । अप्रैल से अक्टबर,

---

†मूल अंग्रेजी में

१९५७ तक कुल २३.२२ लाख टन अनाज का आयात किया गया था जबकि वितरित किये गये अनाजकी मात्रा १८.४४ लाख टन थी ।

राज्य	टनों में मात्रा
आंध्र प्रदेश	२२.७
आसाम	३७.२
बिहार	२९६.२
बम्बई	३०३.३
दिल्ली	५४.९
जम्मू और काश्मीर	४८.३
केरल	१५१.९
मध्य प्रदेश	२२.८
मद्रास	७१.२
मैसूर	३९.२
हिमाचल प्रदेश	१.६
उड़ीसा	७.१
पंजाब	८.७
राजस्थान	१७.१
उत्तर प्रदेश	१८७.९
पश्चिमी बंगाल	४६३.४
त्रिपुरा	१९.१
अन्य	९१.७
कुल	१,८४४.३

चावल का आयात

†२३५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत चार वर्षों में आयात किये जाने वाले चावल की कुल मात्रा, वर्षवार तथा उसका मूल्य; और

(ख) उपरोक्त आयात में से कितने परिमाण में वह बेचा गया और कितनी कीमत वसूल हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क)

वर्ष	मात्रा (,००० टन में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
१९५३	१७५	१४२३
१९५४	६०३	४०४६
१९५५	२६५	१७८५
१९५६	३२५	१६६७
	कुल १३६८	८९२१

(ख) सम्पूर्ण मात्रा बेची जा चुकी है और बिक्री से लगभग ५५ करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

रेलवे आय

२३६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, अगस्त, और सितम्बर, १९५७ और १९५६-५७ के इन्हीं महीनों में रेलवे की कितनी आय है ; और

(ख) इस आय में वृद्धि अथवा कमी के क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क)

(आंकड़े लाख रुपयों में)

	१९५६	१९५७	विभेद
जुलाई . .	२७,६२	२९,५८	(+) १,९६
अगस्त . .	२६,६२	३१,५२	(+) ४,९०
सितम्बर .	२६,११	२९,८१	(+) ३,७०
कुल	८०,३५	९०,९१	(+)१०,५६

(ख) इस का आंशिक कारण यातायात में वृद्धि और आंशिक रूप में १ जुलाई, १९५७ से सामान और पार्सल के आने जाने में अनुपूरक शुल्क में ६ १/४ प्रतिशत से बढ़ कर १२ १/२ प्रतिशत होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ[15]) के अन्तर्गत निधि आवंटन

†२३७. श्री श्री नारायण दास :
श्री विभूति मिश्र :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यूनिसेफ के अन्तर्गत कार्यक्रमों के विभिन्न वर्गों के लिये १९५७-५८ में उपयुक्त प्राधिकार द्वारा स्वीकृत आवंटन के बारे में पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे और यह बतायेंगे कि :

(क) क्या यह आवंटन उन योजनाओं के लिये है जो बनाई जा चुकी हैं अथवा अब बनाई जायेंगी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में
[15]Unicef.

(ख) क्या केन्द्रीय अथवा सम्बन्धित राज्य सरकारों को भी योग देना पड़ेगा और यदि हां, तो किस सीमा तक यह किया जायेगा ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ) पत्री वर्ष का पालन करता है और विभिन्न कार्यक्रमों के लिये सामान्यतया वर्ष में दो बार (मार्च-अप्रैल और सितम्बर) में आवंटन करता है ।

(क) यूनिसेफ केन्द्र तथा राज्यों द्वारा, स्थिति के अनुसार, पहले से ही बनाई गई योजनाओं के लिये संभरण और उपकरण के रूप में आवंटन करता है ।

(ख) विभिन्न वस्तुएं और उपकरण यनिसेफ द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों को वितरण के लिये दी जाती हैं और राज्य सरकारें उचित समझी जाने वाली एजेंसियों और पद्धतियों की सहायता से उन का वितरण करती हैं ।

अप्रैल और सितम्बर, १९५७ में आवंटन का ब्यौरा इस प्रकार है :—

अप्रैल, १९५७

	डालर
(१) प्रसूति तथा शिशु कल्याण (प्रायमरी स्वास्थ्य केन्द्रों का विकास)	१,५१५,०००
(२) क्षय रोग नियंत्रण	१३१,०००
(३) शिशु रोगों के सम्बन्ध में ट्रेनिंग और मद्रास में सेवायें	३८,०००
(४) गलगांठ नियंत्रण	१६,५००
(५) स्कूल और स्कूल-पूर्व की अवस्था में पोषण (८,५०० शार्ट टन मक्खन निकला हुआ दूध) केवल भाड़ा . .	३८३,०००
	२,०८३,५००

सितम्बर १९५७

	डालर
(१) प्रसूति तथा शिशु कल्याण	
(क) ग्राम स्वास्थ्य (प्रायमरी स्वास्थ्य केन्द्रों का विकास)	१,५४६,०००
(ख) हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश (शिशु रोग सम्बन्धी ट्रेनिंग और सेवायें)	४६,०००
(ग) मद्रास (नर्सों को शिशु रोगों के सम्बन्ध में ट्रेनिंग) .	५,०००
(२)(क) रोग का पता लगाने और इलाज करने के एकक के रूप में तीन चलती गाड़ियों के लिये उपकरण और नवीन राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के आवश्यक भाग के रूप में १९५९ से कार्य आरम्भ करने वाली एक चलती फिरती सर्वेक्षण यूनिट १४४,०००	१९६,०००
(ख) बी० सी० जी० आन्दोलन के सिलसिले में यूनिसेफ द्वारा पूर्व समय में दी गई मोटरों के स्थान पर, जो १९५८ के पश्चात् प्रयुक्तनीय नहीं रहेंगी, नई मोटरें देना ५२,०००	

†मूल अंग्रेजी में

	डालर
(३) दुग्ध संरक्षण : अहमदाबाद . . .	३३०,०००
(४) पेनिसिलीन प्लांट उत्पादन (घाटा) . . .	२५,५२१
(५) बी० सी० जी० क्षयरोग विरोधी टीका (घाटा) . .	१,२३६
	२,१४९,७५७

१९५८ में आवंटन सम्बन्धी जानकारी अगले वर्ष १९५८ में मालूम हो सकेगी ।

मुजफ्फरपुर दरभंगा रेल-मार्ग

२३८. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के मुज़फ्फरपुर-दरभंगा रेल-मार्ग का यातायात और इंजीनियरिंग सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जी हां । रेलवे सर्वे रिपोर्टों की जांच कर रही है ।

उर्वरक

२३९. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से किसी ऐसी योजना के बारे में निर्णय किया है, जिस के अधीन किसानों को अनाज के बदले में उर्वरक दिये जायेंगे ;

(ख) क्या इस योजना को अन्तिम रूप दे कर मंजूर कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या है ;

(घ) इस योजना के प्रशासनिक और वित्तीय परिणाम क्या हैं ;

(ङ) क्या इस योजना का कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(च) यदि हां, तो योजना की कार्यान्वित के फलस्वरूप अनाज की कितनी मात्रा का संग्रह किया जा चुका है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). एक योजना विचाराधीन है, परन्तु इस का अन्तिम निर्णय अभी होना बाकी है ।

(ग) से (च). प्रश्न नहीं उठते ।

भोजन यान[19]

†२४०. **श्री केशव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोजन यानों में प्रथम श्रेणी के यात्रियों के अतिरिक्त अन्य यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध है ;

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) इस प्रकार के आदेश जारी नहीं किये गये हैं । द्वितीय और तृतीय श्रेणी का टिकट रखने वाले यात्री भी भोजन के लिये निर्धारित घंटों में बिना अतिरिक्त शुल्क दिये भोजन यान में प्रवेश की यात्रा सम्बन्धी सुविधा का उपभोग कर सकते हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लोहे के कबजे और पेचों की बिक्री

†२४२. { **श्री सुबोध हासदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे पर स्मिथी वर्कशाप खड्गपुर में निर्मित लोहे के कब्जे और पेच वृहद् मात्रा में बाजार में बेचे गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अनधिकृत विक्रय को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां । हाल की जांच से यह प्रकट हुआ है कि खड़गपुर के रेलवे लोको वर्कशाप की स्मिथी शाप में इस्पात का कब्जों का अनधिकृत निर्माण हुआ है । इस प्रकार के कब्जों की निश्चित संख्या और वर्कशाप के बाहर उन्हें ले जाने के बारे में आगे जांच की जा रही है ।

(ख) जी हां । इस विषय की रिपोर्ट पुलिस में कर दी गई है और कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं । इस दिशा में विभागीय जांच अभी चल रही है ।

दिल्ली में तपेदिक के रोगी

२४३. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल—अक्तूबर, १९५७ के दौरान में पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित तपेदिक के रोगियों को कितनी आर्थिक सहायता दी गई ; और

(ख) उक्त अवधि में कितने रोगियों को अस्पताल में भर्ती किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[19]Restaurant Cars.

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १२,९३८ रुपये ।

(ख) अप्रैल से अक्तूबर १९५७ की अवधि में दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती किये गये तपेदिक के रोगियों की संख्या ११३७ है जिनमें १८२ विस्थापित तपेदिक के रोगी हैं ।

दिल्ली में मलेरिया-निरोधक दल

२४४. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मलेरिया-निरोधक दल में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) यह दल किस विभाग की देखरेख में कार्य करता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) मलेरिया-निरोधक दल दिल्ली में २९९ व्यक्ति सारे साल काम करते हैं और साल में २ से ८ महीनों के लिये ७०४ व्यक्ति सामयिक कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किये जाते हैं ।

(ख) यह काम भारतीय मलेरिया संस्था, दिल्ली के निदेशक की देख-रेख में, जो दिल्ली में मलेरिया निरोधक संकार्यों के कार्यभारी अफसर भी हैं स्थानिक निकायों द्वारा अपने अपने जगह पालिका-क्षेत्रों में (जिनमें प्रतिरक्षा मलेरिया-निरोधक दल शामिल है) चलाया जाता है । दिल्ली प्रशासन के चिकित्सा एवं लोक-स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रशासकीय नियन्त्रण रखा जाता है ।

एरणाकुलम-क्विलोन रेलवे

†२४५. **श्री कुमारन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने एरणाकुलम-क्विलोन सैक्शन को ओलावक्कोट डिविजन के स्थान पर मदुरै डिवीजन में सम्मिलित करने का निर्णय कर लिया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : जी हां ।

नागार्जुन सागर बांध पर हस्पताल

†२४६. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री १७ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ९५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस समय के बाद नागार्जुन सागर बांध पर स्थित 'लैफ्ट बैंक हास्पिटल' में मरीज़ों की भरती आरम्भ हो गई है; और

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी नहीं ।

(ख) ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य के निर्धारित कार्यक्रम को पूरा न करने के परिणाम स्वरूप पूर्व निश्चय के अनुसार नवम्बर, १९५७ में हस्पताल नहीं खोला जा सका । जनवरी, १९५८ तक हस्तताल का निर्माण कार्य पूरा करने के लिये वैकल्पिक प्रबन्ध कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिमी बंगाल के बांकुड़ा जिले में मेडिकल कालेज

†२४७. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री बर्मन :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिमी बंगाल के बांकुड़ा जिले के ग्राम्य क्षेत्रों में स्थानीय जनता द्वारा एक नये मेडिकल कालेज का संगठन किया जा रहा है; और

(ख) क्या देश में चिकित्सकों के अभाव को दृष्टिगत करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त संस्था को कुछ सहायता देने का विचार रखती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) संस्था को सहायता देने के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

सियालदा सैक्शन पर दुर्घटनाएं

†२४८. **श्री कुमारन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के सियालदा सैक्शन पर २४ सितम्बर, १९५७ को पांच व्यक्ति गाड़ी के नीचे आने से मर गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)**: पूर्वी रेलवे के सियालदा डिवीज़न में २४ सितम्बर १९५७ को इस प्रकार की पांच दुर्घटनायें हुई थीं । वे इस प्रकार हैं :—

सियालदा–नाईहाती सैक्शन पर तीन दुर्घटनायें हुईं जिनमें पटरी पार करने वाले तीन व्यक्ति मरे;

कलकत्ता–बेलीगंज सैक्शन में एक दुर्घटना जिसमें एक फायरमैन की मृत्यु हुई ; और

सियालदा–बानगांव सैक्शन पर पांचवीं दुर्घटना के परिणामस्वरूप चलती गाड़ी में से उतरने का प्रयत्न करते हुये एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया ।

भुवनेश्वर में मुर्गी खाना[17]

†२४९. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा भुवनेश्वर में एक निर्देशक पौल्ट्री फार्म आरम्भ करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां ।

(ख) भुवनेश्वर के पास एक प्रादेशिक पौल्ट्री फार्म की स्थापना के लिये उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार को कुछ निःशुल्क जमीन देने की सहमति प्रकट की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[17]Poultry Farm.

विकास आयुक्तों का सम्मेलन

२५०. **श्री भक्त दर्शन :** क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३१ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ६७४ के उत्तर के बाद मसूरी में हुये विकास आयुक्त सम्मेलन के निर्णय को कार्यान्वित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) : मसूरी सम्मेलन की "मुख्य सिफारिशें अथवा निष्कर्ष" राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा साधारणतः स्वीकार कर ली गई हैं। कुछ सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं और शेष कार्यान्वित की जा रही हैं। सूचना प्राप्ति का पूरा प्रबन्ध रखा जा रहा है। "एस्टीमेट कमेटी" द्वारा दिये निर्णय को ध्यान में रखते हुये एक पुस्तक, जिसमें सभी प्रकार की सूचनायें होंगी तैयार की जायेगी और सभी प्रकार की सूचनाओं के प्राप्त हो जाने पर उसे पुस्तकाकार प्रकाशित किया जायगा। हुई प्रगति का पुनरावलोकन सामुदायिक विकास के वार्षिक सम्मेलन पर किया जायगा।

आउट-एजेन्सियां

२५१. **श्री भक्त दर्शन :** क्या रेलवे मंत्री ३ दिसम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बीच रेलवे के प्रत्येक जोन के किन-किन स्टेशनों पर आउट एजेन्सियां खोली गई हैं ;

(ख) इस समय किन किन नये स्थानों पर आउट एजेन्सियां खोलने का विचार किया जा रहा है ; और

(ग) इन एजेन्सियों के कब तक खुल जाने की सम्भावना है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). विवरण सभा-पटल पर रखा गया है [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८९]

हिमाचल प्रदेश में वेटरिनेरी असिस्टेंट सर्जन

२५२. **श्री नेक राम नेगी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन वर्षों से वेटरिनेरी असिस्टेंट सर्जन के स्थान रिक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे रिक्त स्थानों की संख्या क्या है और उन्हें रिक्त रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि पुराने वेटरिनेरी डाक्टरों को नये डाक्टरों की अपेक्षा कम वेतन मिलता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). वेटरिनेरी असिस्टैण्ट सर्जनों के ४० स्वीकृत पदों में से ३२ पद देश में वेटरिनेरी ग्रेजुएटों की बहुत कमी होने के कारण खाली हैं। अन्य राज्यों के निवृत्त वेटरिनेरी असिस्टेंट सर्जनों या उप-नियुक्ति वालों की सेवायें भी इन पदों को भरने के लिये उपलब्ध नहीं हो सकी हैं।

(ग) जी नहीं। अधिक योग्य और अनुभव वाले नये डाक्टरों को नियमों के अनकूल ज्यादा से ज्यादा ५ एडवान्स्ड इन्क्रीमेंटस आरम्भ में ही दिये जाते हैं।

दिल्ली में नये जनाने अस्पताल

†२५३. **श्री विश्व नाथ राय :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुये नये जनाने अस्पताल खोलने और वर्तमान अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या वर्तमान अस्पतालों में सुधार करने के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई कदम उठाया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख). दिल्ली में नये जनाने अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विक्टोरिया जनाना हस्पताल, दिल्ली में ४१ बिस्तरे और बढ़ा दिये गये हैं । उस अवधि में सफदरजंग अस्पताल में स्त्री रोगों और प्रसूति सम्बन्धी २०० बिस्तरों का एक प्रसूति ब्लाक बढ़ा देने का विचार है । लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल में लगभग १०० अतिरिक्त बिस्तरों के उपबन्ध के लिये एक नया वार्ड बनाने और उसके विस्तार की एक योजना भी विचाराधीन है । द्वितीय पंच वर्षीय योजना अवधि में विलिंगडन अस्पताल में एक प्रसूति वार्ड के निर्माण का भी प्रस्ताव है । सफदरजंग और विलिंगडन अस्पतालों के सामान्य सुधार के लिये भी कदम उठाये गये हैं । उसके अतिरिक्त दूसरी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में पुरुषों और महिलाओं के लिये लगभग १,०७७ बिस्तरे बढ़ाने अथवा नये सिरे से उनकी व्यवस्था के लिये कार्यवाही की जायेगी ।

स्टेशनों पर लाउड स्पीकर

†२५४. **श्री नथवानी :**
श्री मुरारका :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेलवे स्टेशनों के नाम जहां अभी तक लाउड स्पीकरों की व्यवस्था की गई है ;

(ख) इन लाउड स्पीकरों की कुल लागत कितनी है ; और

(ग) क्या ये उपकरण बाहर से मंगाये गये थे अथवा भारतीय निर्माताओं से खरीदे गये थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९०]

(ख) ६,४०,२६४ रुपये ।

(ग) कुछ बाहर से मंगाये गये हैं और कुछ भारतीय संसाधनों से प्राप्त किये गये हैं ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में बनाये गये जहाज

†२५५. **श्री अब्दुल सलाम :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड (प्राईवेट) लिमिटेड [विशाखापत्तनम् से १९५७-५८ में प्रयोग के लिये कितने जहाज तैयार होंगे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक जहाज़ की भार क्षमता कितनी है ; और

(ग) प्रत्येक जहाज का कितने टन वजन है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) से (ग). १९५७-५८ में तीन जहाज प्रयोग हेतु उपलब्ध होने की आशा है ।

	एम० वी० "अन्दमान"	एम० वी० "स्टेट आफ उड़ीसा"	एम० वी० "जल विक्रय"
डेडवेट . .	४०६० टी	८००० टी	७००० टी
जी आर टी . .	५९३४	५१६९	४५८४
बिस्थापन . . (कुल वज़न)	७९००	१२४०२	१०८४०
इंजन का हार्सपावर . .	२१००	४९६०	२८००
परीक्षण गति . .	१३ नाट	१४ नाट	१२ नाट
यात्री आवास का ब्यौरा .	६६ के बन दर्जा ५५० डेक पास	एक भी नहीं	एक भी नहीं
	६१६		

"याज़" रोग[18] के नियंत्रण के लिये अन्तर्राज्यीय योजना

†२५६. **श्री संगण्णा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री 'याज़' (एक प्रकार का चर्म रोग जिसमें फफोले पड़ जाते हैं) के नियंत्रण की अन्तराज्यीय योजना के सम्बन्ध में २६ अगस्त ,१९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ११९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि व्यय की राशि के सम्बन्ध में विषमता के क्या कारण थे और तीनों राज्यों में कितने रोगियों की चिकित्सा की गई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : कारण निम्नलिखित थे :

(१) विभिन्न राज्यों में याज़ नियंत्रण का कार्य विभिन्न समयों में प्रारम्भ हुआ ।

(२) कार्य के क्षेत्र तथा रोग के प्रभाव के सम्बन्ध में भी विभिन्न राज्यों में अन्तर है ।

(३) विभिन्न राज्यों की स्थानीय समस्याओं तथा वहां होने वाला व्यय और सर्वेक्षण की गति भी भिन्न भिन्न है ।

रेलवे कर्मचारियों को वेतन तथा भत्ते की अदायगी न होना

†२५७. **श्री नारायणन्कुट्टि मेनन** :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के ओलवकोट और त्रिचिनापल्ली डिवीज़न में रेलवे कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन तथा भत्ते नहीं मिले हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

[18]Yaws.

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस सम्बन्ध में कर्मचारियों और श्रम संघों द्वारा किये गये विभिन्न अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). कर्मचारियों की वेतन सम्बंधी कोई बकाया राशि नहीं है । ओलवकोट डिवीज़न में निश्चित समय से अधिक तक कार्य करने के लिये और यात्रा भत्ते का कुछ बकाया भुगतान करना है डिवीजनल व्यवस्था के पूर्व जिला कार्यालयों में यह राशि बकाया रह गई थी । त्रिचनापल्ली डिवीज़न में अतिरिक्त समय में काम करने के लिये कुछ भी देना बाकी नहीं है । तथापि यात्रा भत्ता दो महीने से नहीं दिया गया है ।

(ग) इस बकाया भुगतान का निबटान करने के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है ।

आंध्र में चावल की खरीद

†२५८. **श्री नारायणन्कुट्टि मेनन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश से अगस्त और सितम्बर, १९५७ में पृथक् पृथक् कितने टन चावल प्राप्त किये गये थे ;

(ख) प्रत्येक महीने में कितनी कीमत दी गई थी ;

(ग) १९५७ में अगस्त के द्वितीय सप्ताह में आंध्र के तिडीपल्लईगुदम की चावल मण्डी में चावल का क्या बाजार भाव था ; और

(घ) १९५७ के अगस्त के आरम्भ में आंध्र प्रदेश में चावल का फालतू स्टाक कितना था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) अगस्त, १९५७ में ५,१६० टन और सितम्बर, १९५७ में १७,०६० टन ।

(ख) अगस्त और सितम्बर, १९५७ में दी गई कीमतों का विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९१**]

(ग) विविध प्रकार के (उबले हुये और कच्चे) चावलों के लिये प्रति मन कीमत १८.२५ रुपये और २०.२५ रुपये थी ।

(घ) लगभग २ लाख टन ।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत गवेषणा केन्द्र खड़कवासला

†२५९. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खडकवासला स्थित केन्द्रीय जल तथा विद्युत गवेषणा स्टेशन में कितने सैक्शन हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्य गवेषणा संगठनों द्वारा प्रायः किस प्रकार का कार्य उस स्टेशन को निर्देश किया जाता है ;

(ग) विभिन्न राज्यों में गवेषणा कार्य का समन्वय किस प्रकार होता है, और

(घ) खडकवासला स्टेशन के पूना से स्थानान्तरित कर देने पर इसे कौन सी अतिरिक्त सुविधायें प्राप्त हुई हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० क० पाटिल)** : (क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् गवेषणा स्टेशन में ८ सैक्शन हैं—चार खडकवासला में और चार पूना में ।

(ख) राज्य सरकारों और जलशक्ति से सम्बन्धित अन्य आदर्श प्रयोग के प्राधिकारी उक्त गवेषणा केन्द्र से प्रायः जलशक्ति, नदी नियंत्रण, नौवहन, बाढ़ नियंत्रण और देश की नदी घाटी योजनाओं तथा पत्तनों की डिजाइन के सम्बन्ध में उत्पन्न पत्तन सम्बन्धी समस्याएं निर्दिष्ट की जाती हैं ।

(ग) गवेषणा कार्य का समन्वय सिंचाई और शक्ति सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड करता है ? इस बोर्ड के वर्ष में दो सत्र होते हैं । जिनमें राज्य गवेषणा केन्द्रों की गवेषणा समस्याओं पर चर्चा की जाती है तथा परस्पर का ज्ञान-विनिमय होता है । बोर्ड ने एक स्थायी गवेषणा उपसमिति भी स्थापित की है जो कार्यक्रम का पुनरीक्षण करती है तथा इन स्टेशनों में किये जाने वाले कार्य की प्रगति पर ध्यान देती रहती है ।

(घ) जल शक्ति के आदर्श प्रयोगों के लिये आवश्यक जल की वृहद मात्रा खडकवासला की झील से सहज ही उपलब्ध हो जाती है जबकि पूना में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी ।

रेल के डिब्बों में विज्ञापन

२६०. **श्री रघुनाथ सिंह** : रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रेलवे मंडल रेल के डिब्बों में विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिये कोई योजना बना रहा है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : कोई खास योजना नहीं बनाई जा रही है । उपनगरीय गाड़ियों में लगाने के लिए इस तरह के विज्ञापन पहले से लिये जा रहे थे । अभी हाल में आदेश दिया गया है कि रेल-प्रशासन मुख्य लाइन की गाड़ियों के डिब्बों में लगाने के लिए भी मानव आकार के व्यवसायिक विज्ञापन ले सकते हैं ।

मर्मा गोया[19] से माल परिवहन

†२६१. **श्री सुगन्धि** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोया सीमान्त के बन्द होने के पूर्व मर्मा गोया बन्दरगाह से दक्षिण रेलवे में प्रतिदिन औसतन कितने माल का यातायात किया जाता था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[19]Marmagoa.

(ख) उस समय यातायात की मुख्य वस्तुयें क्या थीं ;

(ग) वर्ष १९५३–५४, १९५४–५५ और १९५५–५६ में दोनों ओर से कुल कितने सामान का यातायात हुआ ;

(घ) अब यातायात किस प्रकार होता है ;

(ङ) धोरापुरी, गुंटकल और बंगलौर में कितनी भीड़भाड़ हो गई है ; और

(च) क्या यह सच है कि मेंगनीज अयस्क पहिले हुबली भेजी जा रही है और तब वहां से एस० टी० सी० के द्वारा मोटर ट्रकों में जहाजों पर चढ़ाने के लिये भेजी जाती है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ७५०० टन, इस में कुछ अंश रेलों द्वारा जाता था बाकी यातायात के अन्य साधनों द्वारा भेजा जाता था ।

(ख) धातु अयस्क, कोयला, खाद्यान्न और दालें, मिट्टी का तेल, सामान्य वस्तुएं । इनमें सबसे महत्वपूर्ण वस्तु धातु अयस्क है ।

(ग) रेलवे द्वारा यातायात की गई वस्तुओं की राशि निम्नलिखित थी :—

१९५३–५४. . .	६००,००० (लगभग)
१९५४–५५. .	३६०,००० ,,
१९५५–५६ (नवम्बर तक) . .	११०,००० ,,

(घ) भारत संघ के स्टेशनों से आने तथा जाने वाला यातायात अब अन्य पत्तनों मुख्य रूप से बम्बई, मद्रास, विजगापत्तनम, कोकोनद और पसन्तीपटम तथा कोयले के बारे में सीधी कोयला खानों से रेल द्वारा आता जाता है ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) जी हां ।

रेलगाड़ियों का ठीक समय पर चलना

†२६२. श्री सुगन्धि : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के गडग शोलापुर मीटर गेज सैक्शन पर विगत चार वर्षों में अप्रैल, मई, और जून महीनों में सवारी गाड़ियां अनुसूचित समय पर नियमित रूप से आने की क्या प्रतिशतता है ;

(ख) यदि गाड़ियां सामान्यतया अनियमित समय पर चलती हैं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस क्षेत्र के यात्रियों की सहायता के लिये डीजल इंजनों का प्रयोग करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क)

नियमितता की प्रतिशतता

	१९५५	१९५६	१९५७
अप्रैल . .	५७	६०	५०
मई . .	४४	४१	३६
जून . .	४२	४१	३४

नोट :—१९५४ के बारे में रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) जल की कमी और ग्रीष्म ऋतु में उपलब्ध जल की हीनता के परिणामस्वरूप गाड़ियों को पानी के लिये तथा इंजनों की खराबी के कारण रुकना पड़ता है ।

(२) ग्रीष्म ऋतु में यात्रियों की भीड़ ।

(३) होटगी में गाड़ियों को रुकना पड़ता है क्योंकि उन्हें वहां बड़ी लाइन पर देर से आने वाली गाड़ियों से सम्बन्ध स्थापित करना पड़ता है।

(४) लम्बे अनियंत्रित ब्लाक स्टेशन जो एक गाड़ी के भी देर से आने पर अन्य गाड़ियों के समय में अव्यवस्था उत्पन्न कर देता है ।

(५) उक्त सैक्शन पर चार बड़े-बड़े पुल निर्धारित प्रमाप के अनुसार नहीं हैं अतः वहां हलके इंजनों के प्रयोग की आवश्यकता रहती है ।

इस सैक्शन पर गाड़ियों के आने-जाने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है । अगस्त के पश्चात् उनमें सुधार भी हुआ है ।

(ग) इस सैक्शन पर डीजल इंजनों के प्रयोग का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

यात्री सुविधायें

२६३. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि पूर्वोत्तर रेलवे के बरेली-लखनऊ सैक्शन पर भोजीपुरा व सेथल स्टेशनों के बीच स्थित दिवनापुर रेलवे स्टेशन पर न तो कोई शैड है और न कोई इमारत ;

(ख) स्टेशन के महत्व को देखते हुए क्या सरकार वहां एक शैड बनाने के औचित्य पर विचार करेगी ; और

(ग) क्या सरकार इस बात पर भी विचार करेगी कि पीलीभीत जाने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ी को छोड़ कर बाकी सभी रेलगाड़ियां दिवनापुर स्टेशन पर रुका करें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस स्टेशन पर अभी कोई शैड नहीं है ।

(ख) दिवनापुर स्टेशन पर शैड बनाने और दूसरी सुविधाएं देने के बारे में जांच हो रही है ।

(ग) इस सैक्शन पर दोनों तरफ से पांच पांच गाड़ियां चलती हैं । इनमें से हर तरफ से दो गाड़ियां इस स्टेशन पर रुकती हैं। यहां और अधिक गाड़ियां ठहराने के सवाल पर विचार किया गया था लेकिन इसके लिए यातायात काफी नहीं है ।

बरेली स्टेशन के निकट पुल

२६४. श्री मोहन स्वरूप : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बरेली सिटी स्टेशन के निकट लाइन पार करने वाले यात्रियों को रेलवे फाटक न होने के कारण काफी कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का वहां अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज के निर्माण के लिये कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकार को किसी तरह की कठिनाई का पता नहीं है, क्योंकि स्टेशन के दोनों तरफ समपार[20] बने हैं । इनके अलावा यार्ड के बीच से होकर भी एक समपार है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

दक्षिण-पूर्वी रेलवे पर माल-डिब्बों का इकट्ठा हो जाना[21]

†**२६५. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में बैंक सम्बन्ध कार्यों में अव्यवस्था के फलस्वरूप दक्षिण-पूर्वी रेलवे में जमाव इस स्थिति में पहुंच गया कि प्रतिदिन केवल २० वैगन ही भेजे जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस जमाव के कारण रेलवे को कितनी हानि हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) कलकत्ता में बैंक हड़ताल के फल-स्वरूप शालीमार और राय क्रिस्टपुर गुड्स डिपो में माल छुड़ाने वालों को माल लेने में विलम्ब हो गया अतः परिणामस्वरूप ५०० माल डिब्बे एकत्रित हो गये और लगभग तीन सप्ताह तक उनकी यही स्थिति रही । और भरे हुए वेगनों के जमाव के कारण २० सितम्बर से ११ अक्तूबर, १९५७ तक इन दो डिपो पर सामान के यातायात पर नियंत्रण लगा दिये गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[20]Level crossing

[21]Congestion

(ख) वैगनों के इस प्रकार अवरुद्ध हो जाने से रेलवे की हानि का निश्चित अनुमान लगा सकना सम्भव नहीं है ।

त्रिपुरा में मोटर गाड़ी नियमों को लागू करना

†२६७. **श्री दशरथ देब** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि त्रिपुरा में मोटर गाड़ी नियमों की सूक्ष्म क्रियान्विति नहीं की जाती है ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश मोटर दुर्घटनाएं इसीलिए होती हैं ; और

(ग) दुर्घटनाओं की संख्या न्यूनतम करने के लिये मोटर गाड़ी नियमों की क्रियान्विति के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) यह सच नहीं है कि त्रिपुरा में गोटर गाड़ी नियमों का कठोर पालन नहीं किया जाता है । इन नियमों के अन्तर्गत बनाये गये मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ और त्रिपुरा मोटर गाड़ी नियम, १९५४ के उपबंधों का त्रिपुरा शासन द्वारा भली प्रकार पालन किया जाता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता है ।

क्विलोन में छोटे-छोटे पत्तन

†२६८. **श्री कुमारन** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में क्विलोन पर एक छोटे पत्तन के विकास सम्बन्धी प्रस्ताव से सरकार अवगत है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में प्रस्ताब की क्या स्थिति है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) जी, हां । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्विलोन पत्तन के विकास की योजना सम्मिलित है ।

(ख) छोटे-छोटे पत्तनों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों पर है । राज्य सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी । उस समिति की सिफारिश के अनुसरण में राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि क्विलोन में पायर बनाने के बजाय थानगसेरी में एक नौका पत्तन का निर्माण कर दिया जाये । इस सम्बन्ध में पूना गवेषणा केन्द्र में कतिपय आदर्श प्रयोग किये जा रहे हैं। इन प्रयोगों का परिणाम मालूम हो जाने पर उनका परीक्षण किया जायेगा और राज्य सरकार के साथ परामर्श के पश्चात् निर्णय किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

करजाट में जल संभरण

†२६९. **श्री आसर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे प्राधिकारी करजाट ग्राम पंचायत से जल संभरण के लिये आठ आने प्रति हजार गैलन के बजाय एक रुपया प्रति हजार गैलन वसूल करते हैं ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि उपरोक्त जल स्टोरेज का कोई निर्वहन-व्यय नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो जल संभरण की वृद्धिगत दर का क्या कारण है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं । पानी संभरण के लिये वस्तुतः बांध, पाइप लाइन इत्यादि पर खर्च होता है ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता है ।

इम्फाल में तार प्रणाली

†२७०. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल तार घर से तार क्रम संख्या के अनुसार प्रेसित किये जाते हैं तथा एक्सप्रेस तारों को अलग क्रम संख्या के अनुसार कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी नहीं । तारों के साधारण तथा एक्सप्रेस की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता व्यवहृत की जाती है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है ।

इम्फाल से तार भेजना

†२७१. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तार की लाइनें अव्यवस्थित होने पर इम्फाल से तार साधारण मेल द्वारा भेजे जाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि तार संवाद व्यवस्था का निलम्बन होने पर बेतार सेवा प्रतिवेदन केवल एक घण्टे के लिये ही उपलब्ध होती है ; और

(ग) १९५७ में अभी तक इम्फाल तार घर से तार भेजने की व्यवस्था कुल कितने घंटे निलम्बित रही ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी नहीं, केवल कुछ अवसरों के अतिरिक्त ।

(ख) जी नहीं । यह सामान्यतया दिन में सात घंटे उपलब्ध रहती है ।

(ग) जमीन पर होकर जाने वाली तार की लाइनों में ३०५३ घंटे अन्तर्बाधा रही ।

(घ) ३० सितम्बर, १९५७ तक २४४।

कटक में रेलवे डाक सेवा (आर० एम० एस०) डिवीजन

†२७२. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक के वर्तमान रेलवे डाक सेवा (आर० एम० एस०) डिवीजन को निचले क्रम में डालने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां , तो इसका कारण क्या है ;

(ग) कटक में डिवीज़न के मुख्यालय को कब स्थित किया गया था ; और

(घ) इसे प्रथम श्रेणी के डिवीज़न के रूप में न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) कटक में द्वितीय श्रेणी के एक अधिकारी को रेलवे डाक सेवा (आर० एम० एस०) 'एन' डिवीजन का भारसाधन नियुक्त किया गया है और 'एन' डिवीज़न को प्रथम श्रेणी से द्वितीय श्रेणी भार के निचले क्रम में लाने के लिये यथा नियम आदेश जारी किये जा रहे हैं ।

(ख) डिवीज़न के कर्मचारी वर्ग की संख्या द्वितीय श्रेणी के केवल एक ही अधिकारी को, भारसाधक के रूप में नियुक्ति को न्यायसंगत सिद्ध करती है।

(ग) १-१२-१९५६,

(घ) डिवीज़न के लिए जितने कर्मचारी न्यायसंगत सिद्ध होते हैं उतने पहले ही से वहां पूरे हैं और यह देखा गया है कि इसकी प्रतिष्ठा के बढ़ाने के लिए किसी अन्य वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है।

हावड़ा तथा लोहारपुर हाल्ट के बीच रेल गाड़ियां

†२७३. **श्री त्रि० कु० चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीज़न में बी० ए० के० लूप लाइन पर हावड़ा तथा लोहारपुर हाल्ट के बीच एक तेज़ चलने वाली रेल गाड़ी न होने से पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद के पश्चिमी भाग के लोगों को जो महान कठिनाई अनुभव हो रही है क्या सरकार का ध्यान उस की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां तो क्या मुर्शिदाबाद ज़िले के पश्चिमी भागों में यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कटवा जंक्शन तथा लोहारपुर हाल्ट के बीच अथवा कटवा जंक्शन तथा नीमतीता के बीच इस लूप लाइन पर कम से कम एक एक्सप्रैस या एक तेज़ चलने वाली सवारी गाड़ी, अप तथा डाउन, चलाने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) लोहारपुर हाल्ट, नीमतीता से केवल २ मील की दूरी पर स्थित है। इस समय नीमतीता तथा हावड़ा के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए दोनों ओर दो गाड़ियां चलती हैं। उन में से गाड़ी संख्या ३३३ अप/३३४ डाउन, हावड़ा तथा नीमतीता के बीच सीधी चलने वाली गाड़ियां हैं और हावड़ा बंडेल सैक्शन के दस स्टेशनों पर बिना रुके चलती हैं। बंडेल–नीमतीता सैक्शन पर गाड़ियों के ठहरने के वर्तमान स्टेशनों पर गाड़ी को रोक कर इन्हें और तेज़ चलाना उचित न होगा, क्योंकि इस से स्थानीय यातायात को कठिनाई उत्पन्न होगी। रेल मार्ग की स्थिति के कारण और कटवा-नीमतीता/लोहा पुर हाल्ट सैक्शन के स्टेशन आपस में सम्बद्ध न होने के कारण इन गाड़ियों की वर्तमान गति को बढ़ाना भी व्यवहार्य नहीं है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और यातायात के दृष्टिकोण से ऐसा प्रस्ताव न्यायसंगत भी नहीं है।

अनाज की फसल के प्रतिवेदन[२२]

†२७४. श्री त्रि० कु० चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों को संघ सरकार के खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को अपने राज्यों में होने वाली सभी फसलों के बारे में, जिनमें अनाज की फसलें भी हैं, पाक्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने होते हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार के प्रतिवेदन राज्य सरकारों से नियमित रूप से प्राप्त होते हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस वर्ष हाल ही में सितम्बर तथा अक्तूबर के महीनों में कुछ राज्य सरकारों ने इस प्रकार के प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये थे ; और

(घ) जिन राज्यों ने प्रतिवेदन नहीं भेजे उनके नाम क्या हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) राज्य सरकारों को ऋतु संबंधी तथा सभी फ़सलों की स्थिति के संबंध में, जिनमें अनाज की फ़सलें भी हैं, पाक्षिक नहीं बल्कि साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने होते हैं।

(ख) साप्ताहिक प्रतिवेदन नियमित रूप से प्राप्त होते हैं किन्तु कुछ बार उनकी प्राप्ति में कादाचनिक देरी हो जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वातानुकूलित गलियारे वाली एक्सप्रैस गाड़ियां

†२७५. श्री र० ल० रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा मद्रास और दिल्ली तथा हावड़ा के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली वातानूकूलित गलियारे वाली गाड़ियों के कारण ३१ अक्तूबर, १९५७ तक कुल कितनी हानि हुई थी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[२२]Food Crop Reports.

(ख) इसी अवधि में इन गाड़ियों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार पर कितनी रकम खर्च की गई थी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) किसी एक गाड़ी के संबंध में उसका चालन परिव्यय ठीक ठीक मालूम नहीं किया जा सकता है और इसी लिए जिन जिन गाड़ियों की ओर निर्देश किया गया है उनकी कुल हानि अथवा लाभ मालूम करना भी सम्भव नहीं है।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

पाकिस्तान रेलवे को भुगतान

†२७६. श्री बांगशी ठाकुर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५१ से १९५६ तक पाकिस्तान रेलवे को त्रिपुरा के लिए माल ले जाने के संबंध में वहन खर्च के रूप में प्रतिवर्ष कुल कितनी रकम दी गई थी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : १९४९ से भारत-पाकिस्तान के बीच माल यातायात 'पेड-टू-पे' प्रणाली के अनुसार बुक किया जाता है, जिसके अधीन प्रत्येक देश में जाने वाले सीधे यातायात पर भाड़ा उस देश द्वारा परेषक/परेषणी से प्रत्यक्ष रीती से लिया जाता है। त्रिपुरा के लिए परेषण पाकिस्तान के रेलवे स्टेशनों अखौरा, बाला तथा बेलोनिया के रेलवे मुख्य स्थानों द्वारा भेजा जाता है। माल छड़ाते समय इन स्टेशनों पर परेषणी द्वारा सीमावर्ती स्टेशनों से पाकिस्तान रेलवे को देय भाड़े के अंश की अदायगी की जाती है और इस संबंध में भारतीय रेलवे द्वारा न तो कोई भुगतान आवश्यक है और न ही पाकिस्तान रेलवे को कोई भुगतान किया जाता है।

त्रिपुरा में विद्युत संभरण

†२७७. श्री बांगशी ठाकुर : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि त्रिपुरा के समग्र स्थानीय नगरों में बिजली लगाने और स्थानीय उद्योगों की स्थापना में प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से द्वितीय पंच वर्षीय योजना में भारत सरकार कम कीमत पर विद्युत संभरण का विचार रखती है और इस प्रयोजन के लिये त्रिपुरा प्रशासन त्रिपुरा के डिवीज़नल नगरों के लिये कुछ डीजल इंजन खरीदने का विचार रखता है ?

†सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार देश में १०,००० जन संख्या से अधिक वाले समग्र नगरों में बिजली की व्यवस्था करने का विचार रखती है। इसी नीति के अनुसरण में प्रारम्भ में त्रिपुरा के तीन सब डिवीजनल नगर अर्थात धरम नगर, कैलासहर, खोवई और उदयपुर और बाद में अन्य चार नगर—तेलिपुरा, अमर पुर, मेला गढ़ और कुमार घाट में बिजली लगाने का विचार है। त्रिपुरा के सम्पूर्ण नगरों में हाल में बिजली लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उपर्युक्त योजनाओं के सिलसिले में त्रिपुरा प्रशासन के के लिये १२ संख्या ५० किलोवाट और ४ संख्या २५ किलोवाट डीज़ल विद्युत उत्पादक सेट रिजर्व करने का प्रबन्ध किया जा रहा है ये इंजन कनाडा सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त किये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर रेलवे में गार्डों की नियुक्ति

२७८. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १३ अक्तूबर, १९५७ को उत्तर रेलवे में गार्डों की नियुक्ति के लिये कोई ३५,००० उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था जबकि केवल ४५० व्यक्ति ही नियुक्त किये जाने थे ; और

(ख) रेलवे कमीशन द्वारा इतनी अधिक संख्या में उम्मीदवारों को बुलाये जाने के क्या कारण हैं जब कि पहले या दूसरे दर्जे में उत्तीर्ण व्यक्तियों को ही पूर्ववर्तिता दी जाती थी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

आरक्षण प्रपत्र

†२७९. **श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर जगहों के आरक्षण के लिये प्रपत्र भरने की क्या आवश्यकता है;

(ख) लेखन सामग्री तथा नियोजित अतिरिक्त कर्मचारियों का खर्च कितना है ; और

(ग) क्या इस प्रणाली को त्यागने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) गाड़ियों में स्थानों के आरक्षण के लिये आवेदन प्रपत्र इसलिये प्रारम्भ किये गये हैं कि मौखिक आवेदन पत्रों से उत्पन्न होने वाली संभाव्य गड़बड़ी तथा शिकायतें मिट जायें और यह सुनिश्चित किया जाये कि केवल सदाशय प्रार्थी ही उचित बाकी पर आरक्षण प्राप्त करें और कर्मचारी वर्ग द्वारा किये गये आरक्षणों की यथार्थता संबंधित यात्रियों से तदुपरान्त पड़ताल कर के सत्यापित की जा सके ।

(ख) लेखन सामग्री का खर्च अभिहित होता है और साधारणतया प्रति १००० प्रपत्रों के लिये ४ से ५ रुपये तक होता है । मध्य रेलवे के केवल दो स्टेशनों पर अतिरिक्त कर्मचारी नियोजित हैं और इस सम्बन्ध में औसत खर्च लगभग ६५० रुपये प्रति मास है । अन्य किसी स्थान पर कोई अतिरिक्त कर्मचारी नियोजित नहीं हैं ।

(ग) केवल दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

लखनऊ और बरेली के बीच रेल की पटरियां

२८०. **श्री खुशवक्त राय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ और बरेली स्टेशनों के बीच रेल की पटरियां कब बिछाई गई थीं ;

(ख) उक्त पटरियां कब-कब बदली गयीं ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त पटरियों का अनुमानित जीवन समाप्त हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इन पटरियों को कब बदला जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पूर्वोत्तर रेलवे में लखनऊ और बरेली के बीच वाले सेक्शन पर इन वर्षों में पटरियां बिछायी गयी थीं :—

(१)	लखनऊ से सीतापुर .	१८८६ में
(२)	सीतापुर से गोलागोकरन .	१८८७ में
(३)	गोलागोकरन से पीलीभीत जंक्शन	१८९१ में, और
(४)	पीलीभीत जंक्शन से बरेली . .	१८८४ में

(ख) विभिन्न सेक्शनों में पटरियां इन वर्षों में बदली गयीं :—

(१)	लखनऊ से डालीगंज .	१९५२ में
(२)	डालीगंज से लखीमपुर खीरी . .	१९२० और १९२१ में
(३)	लखीमपुर खीरी से मैलानी .	१९१५–१६ में
(४)	मैलानी से पीलीभीत जंक्शन	१९०९ में और
(५)	पीलीभीत जंक्शन से बरेली .	१९०६ में

(ग) मौजूदा पटरियों को बदल कर नयी पटरी बिछाने का निर्धारित समय आ गया है।

(घ) डालीगंज से लखीमपुर खीरी की ओर २५ मील के टुकड़े पर फिर से पटरी बिछाने की मंजूरी १९५७–५८ में दी गयी है। बाकी लाइन पर फिर से पटरी बिछाने का काम १९५८–५९ के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है।

मैलानी तथा कोडियाला घाट के बीच रेल की पटरियां

२८१. **श्री खुशवक्त राय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के मैलानी तथा कोडियाला घाट स्टेशनों के बीच रेल की पटरियां कब बिछाई गयी थीं ;

(ख) क्या रेलवे की इन पटरियों को कभी बदला भी गया था ;

(ग) क्या इन पटरियों का जीवन समाप्त हो चुका है ; और

(घ) क्या यही कारण है कि इन पटरियों पर चलने वाली रेल गाड़ियों की न तो गति बढ़ाई जा सकती है और न रात्रि के समय यहां गाड़ी ही चलाई जा सकती है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मैलानी और सोनारीपुर के बीच १८९३–९४ में रेल पटरियां बिछायी गयी थीं और सोनारीपुर और कोडियाला घाट के बीच १९१० में।

(ख) पटरियां अभी तक बदली नहीं गयी हैं।

(ग) जी हां, कहीं-कहीं पटरियों की आमतौर पर अनुमानित अवधि बीत चुकी है।

(घ) गाड़ियों में रफ्तार की पाबन्दी इसलिये लगायी गयी है क्योंकि पटरियां घिस गयी हैं और फिश प्लेटों में टूट-फूट हो गयी है। रात में गाड़ी न चलाने का कारण यह है कि कहीं जंगल में आग न लग जाये। यह पाबन्दी रात के समय जंगल को आग से बचाने के लिये लगायी गयी है। रात में आग लगने का पता नहीं चल सकता और चूंकि रेलवे लाइन के आसपास आबादी नहीं है, इससे उसे बुझाया भी नहीं जा सकता। हाथी आदि जंगली जानवरों के पटरी पार करने से भी दुर्घटना का डर रहता है। इसे रोकने के लिये भी रात में गाड़ियां नहीं चालयी जातीं। यदि सामान मिल गया तो १९५८-५९ में नयी पटरी बिछाने का विचार है।

पटसन

†२८२. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २० मई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में पटसन के उत्पादकों को उनकी पटसन के विरूद्ध अग्रिम धन देने की कोई योजना है ; और

(ख) क्या काश्तकारों से पटसन के अधिकतम उत्पादन की ऋतु में पटसन खरीदने के लिये सहकारी समितियां खोलने का प्रस्ताव है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) पटसन उगाने वाले राज्यों में, उदाहरणार्थ पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आसाम तथा बिहार में लगभग ५०० सहकारी विपणि समितियां संगठित की जायेंगी। ये समितियां पटसन तथा अन्य कृषि पदार्थों की प्राधि पर ऋण प्राप्त करने में अपने सदस्यों की सहायता करेंगी ।

(ख) सहकारी समितियों के द्वारा पटसन की सब से अधिक खेती के दिनों में पटसन को बड़े पैमाने पर सीधे खरीदने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

आयात किया गया अनाज

†२८३. **श्री बलराम कृष्णय्या** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ पत्तनों में आयात किये गये अनाज के स्टॉक की मात्रा कम पाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो १९५५, १९५६ तथा १९५७ में प्रत्येक पत्तन पर अनाज की कुल कितनी मात्रा कम पाई गई थी ; और

(ग) स्थिति में सुधार के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां।

(ख) विदेश से मंगवाये गये अनाज के लेखे वित्तीय वर्षवार आधार पर रखे जाते हैं। सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में १९५४–५५ से १९५६–५७ तक के पिछले वित्तीय वर्षों में अनाज की जितनी मात्रा कम पाई गई थी वह दिखाई गई है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९२**]।

(ग) यह कमी समुद्र यात्रा के दौरान नमी के सूखने की प्राकृतिक घटना के कारण तथा माल लादने तथा माल उतारने के पत्तनों में माल तोलने के भिन्न ढंगों के कारण होती है, उदाहरणार्थ, माल लादने के पत्तनों पर मशीनी उपकरण द्वारा वजन तोला जाता है और माल उतारने के पत्तन पर माल तोलने के डंडी वाले तराजुओं द्वारा वजन तोला जाता है। आयात की मात्रा को देखते हुए ये कमियां उचित सीमाओं के भीतर ही हैं परन्तु फिर भी माल वसूल करने के पत्तनों पर माल उतारने तथा वजन करने की कार्यवाहियों का उचित पर्यवेक्षण करने के लिये कार्यवाहियां की जा रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

हावड़ा तथा सियालदा स्टेशन के भारिक तथा गोदाम कर्मचारी[23]

†२८४. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह बात मालूम है कि हावड़ा तथा सियालदा स्टेशनों के रेलवे अनुज्ञप्ति प्राप्त भारिक संघ तथा रेलवे गोदाम कर्मचारी संघ ने सत्याग्रह शुरू किया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्ति बन्दी बनाये गये हैं ;

(ग) उनकी मांगें क्या हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) केवल हावड़ा स्टेशन पर पिछले सितम्बर मास में सत्याग्रह किया गया था ।

(ख) १२० ।

(ग) तथा (घ) मांगें ये थीं :—

(क) पार्सल तथा गोदाम भारिकों पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू किया जाये ।

(ख) अनुज्ञप्ति प्राप्त भारिकों के संघ को मान्यता प्रदान की जाये ।

(ग) जिन अनुज्ञप्ति प्राप्त भारिकों को हटाया गया है उन्हें पुनः नियुक्त किया जाये ।

(घ) हावड़ा से कुछ भ्रष्टाचार मुख्यकों को स्थानान्तरित किया जाये ।

इन मांगों के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :–

(क) श्रम और रोज़गार मंत्रालय के परामर्श से इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) क्योंकि अनुज्ञप्ति प्राप्त भारिक रेलवे कर्मचारी नहीं हैं इसलिये सरकार की नीति के अनुसार उनके संघों को मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती ।

फिर भी सियालदा तथा हावड़ा, दोनों स्थानों पर अनुज्ञप्ति प्राप्त भारिकों के चुने गए प्रतिनिधियों की समितियां गठित की गई हैं और अनुज्ञप्ति प्राप्त भारिकों की शिकायतों के सम्बन्ध में जहां कहीं आवश्यक हो वहां औपचारिक कार्यवाही करने के लिये स्टेशन अधीक्षक के साथ इन समितियों की नियतकालक बैठकों में विचार किया जाता है ।

(ग) अनुज्ञप्ति प्राप्त भारिकों को दण्ड देने का कोई मामला नहीं था । तथापि हावड़ा में कुछ भारिकों को आक्रमण करने के विभिन्न मामलों तथा अनुशासन के कारण अनुज्ञप्ति प्राप्त भारिकों के रूप में काम करने से रोक दिया गया था । मामले पर पुनः विचार करने के बाद इन में से कुछेक को पुनः नियुक्त कर दिया गया था । कुछ अन्य भारिकों के मामलों पर पुनः विचार किया जा रहा है और शेष कुछ के मामले में उनके पिछले रिकार्ड के कारण उन्हें पुनः नियुक्त करने का प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) संबंधिक मुख्यकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध नहीं हुए थे और इसलिये स्थानान्तरण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[23]Porters and Godown Workers.

आंध्र सरकार द्वारा रेलवे स्लीपरों का संभरण

†२८५. **श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने स्लीपरों के सम्भरण का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मात्रा कितनी है ; और

(ग) कथित प्रस्ताव का परिणाम क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). भूतपूर्व हैदराबाद रियासत ने, जो अब आन्ध्र प्रदेश का एक भाग है, १९५६ में रेलवे को मार्च १९५८ तक ४५,००० स्लीपर देने का प्रस्ताव किया था। अब तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है।

नव गठित आन्ध्र प्रदेश द्वारा कोई अन्य प्रस्ताव नहीं किया गया है ।

डाक यान[२४]

†२८६. **श्री तंगामणि**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे की मीटर लाइन पर भारत-लंका एकसप्रैस तथा त्रिवेन्दरम् एक्सप्रैस गाड़ियों में उपयोग के लिये द्वितीय योजना की अवधि में कुल कितने डाक यान निर्मित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह सच है कि त्रिवेन्दरम् एक्सप्रैस के डाक यान में जगह अपर्याप्त है ; और

(ग) जगह की तंगी को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १९५७–५८ वर्ष में मीटर लाइन के दस डाक यान बनाने का कार्यक्रम है जिनमें यान की पूरी प्रमाप जगह होगी। ये सभी यान दक्षिण रेलवे को आवंटित किये गये हैं।

(ख) इस समय त्रिवेन्दरम् में यान की पूरी प्रमाप जगह के केवल एक यान की व्यवस्था है। ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि यह जगह अपर्याप्त है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सुपारी गवेषणा केन्द्र

†२८७. **श्री वोडयार** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों के विभिन्न सुपारी गवेषणा केन्द्रों को १९५७-५८ में कितनी रकम आवंटित की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[२४]Mail Vans.

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : राज्यों में विभिन्न सुपारी गवेषणा केन्द्रों को १९५७–५८ में २,१२, ५९९ रुपये की रकम आवंटित की गई है जिस का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

राज्य	आवंटित राशि
१. पश्चिमी बंगाल ।	४८,१००
२. आसाम ।	४४,०७०
३. केरल (मालाबार ज़िले के लिये) ।	३८,३००
४. केरल (मध्य त्रावन्कोर के लिये) ।	३८,२६५
५. मैसूर (मैदानी भागों के लिये) ।	३८,२६५
६. उड़ीसा ।	५,५९९
जोड़ :	२,१२,५९९

दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार

†२८८. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मनोनीत दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) इस प्रकार के मनोनयन में गर्भित सिद्धान्त क्या हैं ; और

(ग) क्या दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार के लिये मनोनीत किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से बस्तियां बसाने के कारबार में कोई हित है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम-निर्देशित

१. श्री सी० आर० कृष्णामूर्त्ति, उप सचिव, वित्त मंत्रालय । उस मंत्रालय के प्रतिनिधि ।

२. श्री ए० वी० वेंकटासुब्बन, उप सचिव,स्वास्थ्य मंत्रालय । उस मंत्रालय के प्रतिनिधि ।

३. श्री जे० एम० रिझवानी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर। निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के प्रतिनिधि ।

दिल्ली प्रशासन के नाम निर्देशित :

१. श्री ब्रह्म प्रकाश ।

२. डा० युद्धवीर सिंह ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के मनोनीत व्यक्ति संबंधित मंत्रालयों, अर्थात, वित्त, स्वास्थ्य, और निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिल्ली प्रशासन के प्रतिनिधि तत्कालीन दिल्ली राज्य सरकार की सिफारिश पर मनोनीत किये गए थे।

(ग) बस्ती बसाने के कारबार में केन्द्रीय सरकार के किसी मनोनीत व्यक्ति का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई हित नहीं है। दिल्ली प्रशासन के किसी मनोनीत व्यक्ति का हित है या नहीं है सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

करमटोला के निकट रेल दुर्घटना

†२८९. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करमटोला (पूर्व रेलवे) रेलवे स्टेशन के निकट २१ अगस्त की रात को जो रेल दुर्घटना हुई थी और जिस में कई व्यक्ति घायल हुए थे क्या उस दुर्घटना के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस दुर्घटना के लिये एक रेलवे ठेकेदार उत्तरदायी था; और

(ग) यदि हां, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी, हां। ३२७ अप सवारी गाड़ी करमटोला के नज़दीक गुज़रते समय आधे कटे हुए एक वृक्ष से टकराई थी और परिणामस्वरूप ६ व्यक्ति घायल हुए थे जिन में से एक को सख्त चोटें आई थीं।

(ख) ठेकेदार तथा साहबगंज के निर्माण-निरीक्षक को भी दुर्घटना के लिये उत्तरदायी ठहराया गया है।

ठेकेदार, यात्रियों की सुरक्षा के लिये पूर्वावधायी कार्यवाहियां करने में असफल रहा था और निर्माण-निरीक्षक ने वृक्ष काटने के सम्बन्ध में ठेकेदार को विशिष्ट हिदायतें नहीं दी थीं।

(ग) उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

रेलवे प्रशिक्षण स्कूल

†२९०. **श्री तिम्मय्या :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे में कुल कितने प्रशिक्षण स्कूल हैं ;

(ख) इस वर्ष अब तक कुल कितने उमीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है ; और

(ग) इन स्कूलों में रेलवे के कर्मचारियों के किन वर्गों को प्रशिक्षण दिया जाता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) से (ग) . रेलों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे लोक सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

हिमाचल प्रदेश में जल संभरण योजनायें

†२९१. **श्री य० सिं० परमार :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के महासू ज़िले में फोगू के निकट चेयोग के लिये लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल सम्भरण की एक योजना कार्यान्वित की गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि जल स्रोत के स्थान पर कोई उचित जलाशय निर्मित नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप जल दूषित हो जाता है और जल सम्भरण की व्यवस्था अनियमित तथा अपर्याप्त है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार को मालम है कि जब से विभाग द्वारा योजना प्रारम्भ की गई है तब से गांव के जिस तालाब से पहिले सिंचाई होती थी अब उसे पानी नहीं मिल रहा है ; और

(घ) क्या यह सच है कि विभाग में कोई अर्ह लोक स्वास्थ्य इंजीनियर नहीं है और लगभग सभी जल सम्भरण योजनाओं का कोई परिणाम नहीं निकला है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय उसे लोक सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

नासिक रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण

†२९२. **श्री जाधव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नासिक रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण पर कितनी रकम खर्च की गई है ;

(ख) क्या इमारत का निर्माण कार्य समाप्त हो गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि इमारत के दक्षिणी भाग में दरार आ गई है ; और

(घ) जिस भाग में दरार आई है उस की मरम्मत पर कितनी रकम खर्च होगी और यह खर्च कौन उठायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) स्टेशन के पुनर्निर्माण का प्राक्कलित खर्च २,२८,२७३ रुपये है और अक्तूबर १९५७ तक १,८७,५६७ रुपये खर्च हो चुके थे। अभी कार्य का लेखा बन्द नहीं किया गया है ।

(ख) जी हां, अक्तूबर, १९५७ के महीने में ।

(ग) आर० सी० सी० शहतीर झुक गये थे और उन्हें कुछ हानि हुई थी और कुछ दरार भी आये थे ।

(घ) लोहे के ढांचे में टांका लगाने के कार्य को छोड़ कर मरम्मत का अन्य काम ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर किया गया था । इसलिये मरम्मत का ठीक खर्च मालूम नहीं है। लोहे के ढांचों में टांका लगाने आदि पर रेलवे विभाग द्वारा ८४९ रुपये ३२ नए पैसे खर्च किये गए थे । यह रकम ठेकेदार से वसूल की जा रही है ।

इगतपुरी में बिजली लगाना

†२९३. **श्री जाधव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा इगतपुरी रेलवे नगर के लिये एक ग़ैर सरकारी समवाय के द्वारा बिजली दी जा रही है ;

(ख) यदि हां तो उपरोक्त समवाय को रेलवे द्वारा किस दर पर बिजली दी जा रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) समवाय द्वारा जनता को किस दर पर बिजली दी जा रही है ;

(घ) क्या यह सच है कि ज़िला नगरपालिका ने रेलवे से यह कहा है कि विद्युत् सम्भरण उनके अभिकरण के द्वारा होना चाहिये; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को अस्वीकार क्यों किया गया था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) तथा (ख) : रेलवे द्वारा स्थानीय अनुज्ञप्ति धारी, इगतपुरी विद्युत् सम्भरण समवाय को इगतपुरी नगरपालिका क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था करने के लिये १९३८ से फालतू विद्युत शक्ति, २·५ आने प्रति यूनिट की समान दर पर दी जाती रही है।

(ग) रेलवे को मालूम नहीं है कि सम्भरण समवाय द्वारा बिजली की क्या दर ली जाती है ।

(घ) तथा (ङ). जी, नहीं । अपने अभिकरण के द्वारा बिजली की व्यवस्था करने के लिये इगतपुरी नगरपालिका द्वारा कभी भी रेलवे से नहीं कहा गया है और इन्कार करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

भारतीय कवियों के चित्र वाले डाक टिकट

†२९४. **श्री अब्दुल सलाम** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक टिकटों पर चित्र प्रकाशित करके कितने भारतीय कवियों को सम्मान प्रकट किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : कबीरदास, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, मिर्ज़ा ग़ालिब तथा रवीन्द्र नाथ ठाकुर, इन छः कवियों के चित्र प्रकाशित किये गए हैं।

जालन्धर में रेल का ऊपरी पैदल पुल

†२९५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जालंधर छावनी तथा जालंधर शहर के बीच ऊपरी पैदल पुल के निर्माण के सम्बन्ध अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस पुल के निर्माण के लिये अनुसूचित अवधि कितनी है और क्या उस अवधि में निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता :

(ग) जालंधर छावनी तथा जालंधर शहर के बीच ग्रांड ट्रंक सड़क के मील २५३ पर एक ऊपरी सड़क पुल निर्मित करने के लिये १,५४,५६२ रुपये का एक प्राक्कलन मई, १९५६ में

---

† मूल अंग्रेजी में

पंजाब सरकार को भेजा गया था। तब से इस मामले पर पंजाब सरकार से बातचीत की जा रही है। २-८-५७ को पुल के नकशे के सम्बन्ध में पंजाब सरकार से अन्तिम ब्यौरा प्राप्त हो गया है और उत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

फीरोजपुर रेलवे बस्ती में रेलवे हाई स्कूल

†२९६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फीरोज़पुर रेलवे बस्ती में प्रस्तावित रेलवे हाई स्कूल की स्थापना के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : फ़ीरोज़पुर में एक रेलवे हाई स्कल स्थापित करने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेल के डिब्बे

†२९७. **श्री यादव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि रेल के डिब्बे प्राप्त करने में बड़ी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप आन्ध्र प्रदेश में गैरिविडी खानें बन्द हो गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है कि ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न न हो ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख). जून १९५७ में गैरिविडी क्षेत्र के खान स्वामियों से प्राप्त एक अभ्यावेदन के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र से विशाखापटनम् पत्तन तक मैंगनीज़ अयस्क पहुंचाने के लिये अत्यधिक विद्यमान रेलवे क्षमता तथा पत्तन की क्षमता का प्रबन्ध कर दिया गया है। उसके यातायात के लिये प्रतिदिन २५ से ३० डिब्बों का एक कोटा निश्चित किया गया है और माल भेजने का काम जुलाई से अक्तूबर तक, अपने कोटे से भी बढ़ गया है, सिवाय अगस्त और सितम्बर में जब कि विशाखापटनम् पत्तन में मज़दूरों की हड़ताल के कारण यह काम घट गया था। ३१-१०-१९५७ को विशाखापटनम् पत्तन पर कुल २,४९,५६२ टन मैंगनीज़ अयस्क था जो लगभग ३० जहाज़ों में भरे जाने वाले माल के तुल्य था।

उस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि रेल डिब्बों की कमी के कारण गैरीविडी क्षेत्र में खानें बन्द हो गयी थीं।

भारतीय पत्तनों की क्षमता

†२९८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, काण्डला, कोचीन और विशाखापटनम् पत्तनों की वास्तविक क्षमता कितनी है और वह मांग की तुलना में कितनी कम है ?

---

†**मूल अंग्रेजी** में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)**: मुख्य पत्तनों की क्षमता निश्चित रूप मे बताना बड़ा कठिन है। किसी भी पत्तन की यातायात सम्बन्धी क्षमता केवल इसी बात पर निर्भर नहीं करती कि उसे कितनी भौतिक सुविधायें जैसे जल कोष्ठ, क्रेन तथा अन्य उपकरण प्राप्त हैं, अपितु बहुत सी अन्य बातों पर भी निर्भर करती है जिनमें जहाजों के पहुंचने की संख्या प्रत्यक्ष परिवहन (अर्थात् रेल, सड़क, अन्तर्देशीय जल परिवहन आदि) की क्षमता जो कि पत्तन और पृष्ठ देश को मिलाता है, सीमाशुल्क तथा अन्य आयात निर्यात औपचारिकताओं द्वारा व्यापार पर लगाई गई शर्तें, ज्वारभाटा तथा ऋतु सम्बन्धी अवस्थाओं, किये जाने वाले काम की पारियों (शिफ्ट) की संख्या, और मजदूरों द्वारा किये जाने वाले काम आदि सम्मिलित हैं, जो कि अलग अलग स्थानों पर अलग हैं। १९५६–५७ में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, विशाखापटनम्, कोचीन, और काण्डला के पत्तनों से लाये या ले जाये गये माल के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

	लाख टन
कलकत्ता	८९
बम्बई	१२२
मद्रास	२६
विशाखापटनम्	१५
कोचीन	१८
काण्डला	५

२. कलकत्ता तथा बम्बई पत्तन उपरोक्त मात्रा में सामान के यातायात को किसी प्रकार की अतिरिक्त कठिनाई के बिना स्वाभाविक रूप से संभाल लेते हैं। पर हां उन अवसरों पर अधिक कठिनाई होती है जब कि बहुत से जहाज इकट्ठे हो जाते हैं। कोचीन तथा काण्डला पत्तन अपने वर्तमान व्यापार को बड़ी सरलता से संभाल लेते हैं। मद्रास और विशाखापटनम् द्वारा किया जा रहा काम उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार होने योग्य काम की अपेक्षा बहुत अधिक है। सभी प्रमुख पत्तनों में द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अधीन विकास कार्य किये जा रहे हैं जिससे उन्हें कुछ अतिरिक्त सुविधायें दी जा सकें ताकि वे प्रस्तावित अतिरिक्त काम को भी संभाल सकें।

छोटे पत्तनों का विकास

†२९९. **सरदार इकबाल सिंह**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पत्तनों के विकास के लिये भारत सरकार की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो किस किस पत्तन का विकास किया जायेगा ; और

(ग) किस प्रकार की प्रस्थापना है और उसके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)**: (क) से (ग). छोटे पत्तनों का विकास करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। केन्द्रीय सरकार तो पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता देती है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में समुद्रीय राज्यों के छोटे पत्तनों के विकास के सम्बन्ध में एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९३**]। द्वितीय योजना में सम्मिलित इन पत्तनों के लिये बनाई गई विकास योजनाओं में सामान को जहाज से उतारने, भूमि पर लाने, सामान को स्टोर करने, नौवहन सम्बन्धी सहायता आदि कई अन्य सुविधायें भी सम्मिलित हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

भाखड़ा-नांगल परियोजना के लिये वस्तुओं का क्रय

†३००. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाकड़ा नांगल परियोजना के लिये कुछ वस्तुओं को संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय के अभिकरण के द्वारा खरीदा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उत्सर्जन से किन मुख्य वस्तुओं को खरीदा जाता है ; और

(ग) वर्षवार कुल कितनी रकम की वस्तुयें खरीदी गई हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे यथासंभव शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

वाइकाउन्ट विमान सेवायें

†३०१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया इन्टरनेशनल द्वारा इस समय कुल कितने मार्गों पर विमान चलाये जाते हैं ;

(ख) क्या अन्य मार्गों पर भी वाइकाउन्ट विमान सेवा का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) इस समय इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा ४५ हवाई मार्गों पर तथा एयर इंडिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन द्वारा १३ मार्गों पर विमान चलाये जा रहे हैं ।

(ख) तथा (ग). वर्तमान दिल्ली/कलकत्ता/रंगून/कलकत्ता/दिल्ली वाइकाउन्ट मार्ग के अतिरिक्त निम्न मार्गों पर वाइकाउन्ट विमानों को चलाने की एक अस्थायी योजना है :—

१. दिल्ली/बम्बई/कराची/बम्बई/दिल्ली ।
२. बम्बई/दिल्ली/कराची/दिल्ली/बम्बई ।
३. बम्बई/कलकत्ता/बम्बई ।
४. बम्बई/मद्रास/त्रिची/कोलम्बो/त्रिची/मद्रास/बम्बई ।
५. दिल्ली/हैदराबाद/मद्रास/कलकत्ता ।
६. कलकत्ता/मद्रास/हैदराबाद/दिल्ली ।
७. कलकत्ता/दिल्ली/कलकत्ता—जिसे यदि संभव हुआ तो बाद में दिल्ली/श्रीनगर/दिल्ली तक बढ़ा दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंडियन एयर लाइन्स तथा एयर इंडिया कार्पोरेशन का कार्य-संचालन

†३०२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा इंडियन एयर लाइन्स और एयर इंडियां कार्पोरेशन की पूंजी के लिये अभी तक कुल राशि दी गई है ; और

(ख) पहले वाले अंशधारियों को प्रतिकर के रूप में कुल कितनी राशि दी गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री हुमायूं कबीर)**: (क) सरकार द्वारा अक्तूबर, १९५७ के अन्त तक दोनों वायु निगमों की पूंजी के लिये दी गई कुल राशि निम्न लिखित है :—

(१) इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन	८,६१,२३,००० रुपये
(२) एयर-इंडिया इन्टर्नेशनल कार्पोरेशन	१०,२०,७४,००० रुपये
कुल	१८,८१,९७,००० रुपये

एयर इंडिया इंटर्नेशनल कार्पोरेशन को प्राप्त उपरोक्त राशि में से उसने १७–९–५७ को १८.८६ रुपये की राशि अदा कर दी है ।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन की प्राक्कलन समिति के ४३वें प्रतिवेदन के पैरा २५ और एयर इंडिया इटर्नेशनल कार्पोरेशन के तीसरे वार्षिक प्रतिवेदन के पैरा (४) की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

भारतीय रेलों की प्रकृष्ट सेवा

†३०३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे की प्रकृष्ट सेवा (प्रथम श्रेणी) में प्रतियोगी परीक्षा द्वारा तथा पदोन्नति के द्वारा कितने प्रतिशत नियुक्तियां की जाती हैं ;

(ख) १९५५–५६ तथा १९५६–५७ में प्रथम श्रेणी के पदों पर द्वितीय श्रेणी के कितने अधिकारियों को पदोन्नत किया गया था ;

(ग) प्रथम श्रेणी की सेवा की वेतन-श्रेणी के न्यूनतम तथा अधिकतम क्रम क्या है; और

(घ) इस समय इस श्रेणी में कुल कितने अधिकारी हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा ६६$^{२}/_{३}$ प्रतिशत नियुक्तियां की जाती हैं जिन में से १६$^{२}/_{३}$ प्रतिशत का विशिष्ट कोटा भूतपूर्व रियासतों के रेल अधिकारियों को उस समय तक लिये जाने के लिये पृथक रखा गया है जब तक कि प्रत्येक पात्र अधिकारी को पदोन्नति के लिये विचार किये जाने का एक अवसर नहीं मिल जाता और ३३$^{१}/_{३}$ प्रतिशत नियुक्तियां पदोन्नति द्वारा की जाती हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५५–५६ १९५६–५७
२१ ८१

(ग) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९४]**

(घ) रेलवे प्रशासन से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

चीनी के कारखाने

†३०४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: गन्ना पेरने की समस्त ऋतु में सभी कारखानों को उनकी सम्पूर्ण क्षमता के अनुसार चलाने के लिये कुल कितना गन्ना अपेक्षित होगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : १९५७–५८ के लिये अनुमान है कि कारखानों को २ करोड़ १० लाख टन गन्ने की आवश्यकता है।

दावों की अदायगी

†३०५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के फीरोज़पुर तथा दिल्ली डिवीज़नों में रेलवे विभाग द्वारा व्यापारियों को उनके सामान के खो जाने के कारण १९५५ से अब तक दावों के कुल मूल्य की कितनी राशि दी गई है ; और

(ख) इस समय कुल कितने दावे विचाराधीन हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) १९५५, १९५६ के वर्षों के लिये तथा १९५७ में ३० सितम्बर तक के लिये ४७,६३,८१९ रुपये दिये गये हैं।

(ख) ३०–९–५७ तक उत्तर रेलवे से दिल्ली तथा फीरोज़पुर डिवीज़नों के सम्बन्ध में बकाया दावों की कुल संख्या १,६३४ है।

अभिज्ञात संघों से अभ्यावेदन

†३०६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में अभिज्ञान संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों की संख्या कितनी है ; और

(ख) निर्णय के लिये लम्बित मामलों की संख्या तथा अब तक निबटाये गये मामलों की संख्या कितनी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे लोक-सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३१ अगस्त, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २७२६ की प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूं ।

†**श्री दातार** : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २६ अक्तूबर, १९५७ की अधिसूचना संख्या ३३९१ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये एल० टी०—३५३/५७]

भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया इंटरनेशनल कार्पोरेशन

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : मैं एयर कारपोरेशन्स अधिनियम, १९५३ की धारा ३७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) वर्ष १९५६–५७ के लिये भारतीय विमान निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी–३५४/५७]

(दो) वर्ष १९५६–५७ के लिये एयर इंडिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०–३५५/५७]

†**श्री बीरेन राय** (कलकत्ता–दक्षिण-पश्चिम) : क्या इसकी प्रतियां सदस्यों को दी जायेंगी ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : यदि पर्याप्त प्रतियां प्राप्त हुईं तो मैं उन्हें बंटवा दूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि पर्याप्त प्रतियां न भी हुईं तो जितनी प्रतियां हों उन्हें सूचना कार्यालय में रखा जा सकता है ताकि जो सदस्य चाहें उन्हें देख लें ।

†**श्री हुमायूं कबीर** : क्या बारह प्रतियां पर्याप्त होंगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : काफी होंगी ।

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाएं

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्न अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

(एक) दिनांक २१ सितम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० २९८७ ।

(दो) दिनांक २१ सितम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० २९८८ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०–३५६ ५७]

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा का कार्य

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं श्री सत्यनारायण सिंह की ओर से अगले सप्ताह के कार्य के सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहता हूं।

सोमवार १८ नवम्बर से आरम्भ होने वाले सप्ताह में इस सभा में सरकारी कार्य निम्न क्रम के अनुसार होगा :—

(१) आज के क्रम पत्र से बचा हुआ विधान सम्बन्धी कार्य ।

(२) नौ-सेना विधेयक, प्रतिवेदित रूप में ।

(३) जीवन बीमा निगम की कार्य विधि के अन्तरिम प्रतिवेदन पर सर्वश्री साधन गुप्त और राधा रमण द्वारा जिस प्रस्ताव की सूचना दी गई है उस पर चर्चा।

(४) बुधवार, २० नवम्बर को द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर और आगे चर्चा।

(५) भारत के रक्षित बैंक अध्यादेश [१९५७ की संख्या ६] के सम्बन्ध में संकल्प, जिसकी सूचना श्री नौशीर भरूचा ने दी है ।

(६) भारत का रक्षित बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक ।

(७) दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक, प्रतिवेदित रूप में ।

(८) दिल्ली विकास विधेयक, प्रतिवेदित रूप में ।

अपराधी परिवीक्षा विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब अपराधी परिवीक्षा विधेयक पर और आगे विचार करेगी। श्री दातार अपना भाषण जारी रखें ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : कल मैंने बताया था कि कतिपय आधुनिक तथा मानवीय दृष्टिकोण से किस प्रकार अपराधी के सुधार के विषय पर विचार करना चाहिये। मैं अब इस विधान के इतिहास का उल्लेख करूंगा ।

इंगलैंड में १९०७ में एक अपराधी परिवीक्षा अधिनियम था । भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति से बहुत पहले १९२५ में इस प्रश्न पर विचार के लिये, जेल महानिरीक्षकों की बैठक बुलाई गई और उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में भी इंगलैंड के अधिनियम के आधार पर एक अधिनियम बनाना चाहिये । उस समय की भारत सरकार ने १९३१ में एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया परन्तु बाद में विधान सम्बन्धी और बहुत सा कार्य होने के कारण इसे छोड़ दिया। फिर १९३४ में जेल महानिरीक्षकों की बैठक ने यह सिफारिश की कि संविधि पुस्तिका में अपराधी परिवीक्षा सम्बन्धी विधि लाने के लिये तुरन्त कुछ कार्यवाही करनी चाहिये । तब भारत सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को सूचना दी कि क्योंकि उनके पास इस विषय के लिये समय नहीं है अतः प्रान्तीय सरकारें अपने अपने विधान मण्डलों में विधान बनायें। तदनुसार मध्य प्रान्त ने १९३७ में एक विधान बनाया और उत्तर प्रदेश ने १९३८ में एक विधान बनाया। मैसूर और बंगाल ने भी अधिनियम बनाये परन्तु वे अधूरे थे और बहुत से प्रान्तों में कोई भी अधिनियम नहीं बनाया गया।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अतः १९५२ में सत्ता प्राप्ति के पश्चात् फिर इस प्रश्न को लिया गया । १९५२ में जेल महानिरीक्षकों का एक सम्मेलन किया गया और उन्होंने सिफारिश की कि अपराधियों की स्थिति सुधारने के लिये कुछ करना चाहिये और अपराधी को या तो उचित चेतावनी दे कर अथवा परिवीक्षा पर रिहा कर देना चाहिये और कि इस प्रश्न पर यथा शीघ्र कार्यवाही होनी चाहिये ।

इस बीच में संयुक्त राष्ट्र के अपराध विज्ञान के विशेषज्ञ डा० रेकलेस भारत आये । वे विभिन्न भागों में गये और उन्होंने एक प्रतिवेदन तैयार किया जिस में इस विषय में बहुत अच्छी और सराहनीय बातें लिखी गई थीं । उनकी स्पष्ट प्रथम सिफारिश यह थी कि उत्तर प्रदेश के प्रथम अपराधी अधिनियम के आधार पर भारत में एक एकरूप तथा पूर्ण विधि होनी चाहिये ।

उसी वर्ष परिवीक्षा अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ और उन्होंने भी यही कहा कि इस प्रश्न पर शीघ्र कार्यवाही होनी चाहिये । उन्होंने बहुत से सुझाव दिये जो इस विधेयक में ले लिये गये हैं और इस प्रकार यह विधेयक हमारे सामने है ।

इस प्रश्न पर भी विचार किया गया था कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ५६२ के उपबन्धों में रूपभेद किया जाये अथवा उन्हें विस्तृत किया जाये । आपको विदित ही है कि वहां भी जहां प्रथम अपराधियों का सम्बन्ध है न्यायालय उसे चेतावनी दे कर छोड़ सकता है अथवा परिवीक्षा पर छोड़ सकता है अतः यह प्रश्न उठा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में और उपबन्ध बढ़ाने चाहिये अथवा सब विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में एकरूप विधेयक बनाना चाहिये । स्वभावतः दण्ड प्रक्रिया संहिता में कुछ पहलुओं को नहीं लिया जा सकता था जिनका उल्लेख मैं अभी करूंगा ।

इसके बारे में हमने राज्य सरकारों से पूछा था और उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में उपबन्ध बढ़ाने की अपेक्षा इस विषय पर एक व्यापक विधि बनाना अधिक अच्छा होगा । अतः प्रायः सभी राज्यों की सहमति से हम यह विधेयक लाये हैं ।

इस विधेयक में उपबन्धित सिद्धान्तों का मैं यहां संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं । इस विधेयक का सम्बन्ध केवल दण्डित अपराधी को परिवीक्षा पर रिहा करने से नहीं है वरन् यह भी संभव है कि उसके मामले का निबटारा एक भिन्न दृष्टिकोण से और संभवतः कुछ पहले ही किया जा सके ।

उदाहरणतः जब एक व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी जांच की जाती है और न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह अपराधी है परन्तु उसे यथास्थिति कारावास या जुर्माने का दण्ड देने से पूर्व क्या उसे चेतावनी दे कर रिहा कर देना संभव है अथवा वांछनीय है ? इस विधेयक में यह पहला नया सिद्धांत रखा गया है । विभिन्न प्रान्तीय विधियों में हम ने यह सिद्धान्त स्वीकार किया है किन्तु कुछ अपराधों में जिनका उल्लेख खण्ड ३ में किया गया है—विभिन्न प्रकार की चोरियों, चल सम्पत्ति का दण्डनीय गबन, धोखा देना, इत्यादि—जिनके लिये भारतीय दण्ड संहिता में दो वर्ष से अधिक दण्डावधि की व्यवस्था नहीं है, ऐसे मामलों में न्यायालय अब इस प्रश्न पर विचार कर सकेंगे कि क्या अपराधियों को कारावास या जुर्माने का दण्ड देने की बजाये यह अच्छा न होगा कि उन्हें अच्छे चलन की परिवीक्षा पर रिहा कर दिया जाये ।

इसके साथ ही मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हमने "दोष सिद्धि" शब्दों का प्रयोग जान बूझ कर ही किया है और "दोष सिद्धि" शब्द का प्रयोग नहीं किया जो एक कानूनी शब्द है । "दोष सिद्धि" शब्द से एक व्यक्ति अनर्ह हो जाता है और उसके चाल चलन पर एक धब्बा

[श्री दातार]

लग जाता है। इसलिये हमने जिस सिद्धान्त का अनुसरण किया है वह यह है कि इसके लाभ केवल २१ वर्ष से कम आयु वाले अपराधियों को ही न मिले क्योंकि एक बड़ी उम्र का आदमी भी कुछ एक परिस्थितियों में अपराध कर सकता है जिस पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने की आवश्यकता होती है और इसीलिये हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया है सोच समझ कर किया है।

दण्डाधिकारी पर्याप्त सीमा तक स्वविवेक से काम ले सकता है। वास्तव में जब दण्डाधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि एक व्यक्ति उस प्रकार के अपराधों का दोषी है जिनका मैं ऊपर उल्लेख कर चुका हूं तो कुछ बातों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। यदि न्यायाधीश इस बात पर सन्तुष्ट हो जाये कि एक अपराधी द्वारा किये गये अपराधों के होते हुये भी दूसरी कार्यवाही में भला होगा तो वह उसे कारावास के दण्ड देने के स्थान पर दूसरे तरीके का अनुसरण भी कर सकता है क्योंकि उस खण्ड में स्पष्टत: लिखा गया है कि "दोषी समझने वाले न्यायालय की यदि यह राय हो कि अपराध को तथा जिन परिस्थितियों में वह अपराध किया गया है उनको तथा अपराधी के चाल चलन को देखते हुये ऐसी कार्यवाही करना ठीक है....." पहली बात तो यह है कि व्यक्ति को नेक चलनी की परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है इसमें दोषी या अपराधी को छोड़ा जाता है किन्तु उस अपराधी को न्यायालय को सन्तुष्ट करना पड़ता है कि वह नेक चलन रहेगा। इस प्रयोजन के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता में भी एक ऐसा ही उपबन्ध है जिसके अनुसार अपराधी को नेक चलनी की प्रत्याभूति का मुचलका देना पड़ता है। इसे आप दण्ड भी कह सकते हैं या दूसरा तरीका भी कह सकते हैं जिसका उल्लेख दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ५६२ में किया गया है।

दूसरा तरीका यह है कि अपराधी को चेतावनी दे कर रिहा किया जा सकता है कि उसे ऐसा अपराध नहीं करना चाहिये था कि उसने बहुत गलत काम किया है कि उसे अपने आप को सुधारना चाहिये और कि उसे एक अच्छा नागरिक बनने का अवसर दिया जाता है। खण्ड ३ में इसी का उपबन्ध किया गया है।

ऐसे अपराधों को छोड़ कर जिनके लिये फांसी या आजीवन कारावास का दण्ड दिया जाता है शेष समस्त अपराधों के लिये यदि न्यायालय की राय यह हो कि अपराधी को नेक चलनी की परिवेक्षा पर रिहा कर देना ठीक रहेगा तो ऐसे अपराधी को इस प्रकार रिहा किया जा सकेगा। यह मामला चेतावनी के पश्चात रिहा करने के मामले से पृथक है। इस मामले में एक व्यक्ति को नेक चलनी की परिवीक्षा पर रिहा किया जायेगा। उसे न्यायालय को सन्तुष्ट करना होगा कि वह नेक चलन रहेगा। उसे किस तरह से रहना है ऐसे मामलों में किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जायेगी ये सब बातें उस खण्ड में रख दी गई हैं जिस में यह कहा गया है "इस समय प्रवर्तनशील किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी न्यायालय ..... उसे किसी दण्ड देने के स्थान पर यह आदेश दे सकेगा कि उसे व्यक्तिगत मुचलके के आधार पर ही चाहे जमानत पर हो या न हो रिहा किया जाये।"

उसमें यह भी कहा गया है कि यह कालावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये क्योंकि जब अपराधी नेक चलनी की जमानत देगा तो यह अनिश्चित काल के लिये सिर पर नहीं लटकती रहनी चाहिये। अत: इस विधेयक की योजना यह है कि सभी मामलों में कालावधि ३ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

इस खंड में कुछ और उपबन्ध भी किये गये हैं। कोई आदेश देने से पूर्व न्यायालय परिवीक्षा पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन को ध्यान में रख सकता है। कुछ राज्यों में ये पदाधिकारी नियुक्त हैं और अन्य में नियुक्त किये जायेंगे। विधेयक में बताया गया है कि उनकी नियुक्ति किस प्रकार की जायेगी।

परिवीक्षा पदाधिकारी ऐसे व्यक्तियों के आचार की निगरानी करेगा जो अपराधी थे और परिवीक्षा पर रिहा किये गये थे। वे उन्हें उचित व्यवहार के लिये परामर्श भी देगा।

यदि किसी मामले में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी व्यक्ति को कारावास का दंड नहीं देना चाहिये वरन् नेक चलनी की परिवीक्षा पर रिहा करना चाहिये परन्तु उस के आचार व्यवहार अथवा उस के पूर्व आचार सम्बन्धी कतिपय ऐसी बातें हैं जिन की अधिक जांच की आवश्यकता है तो न्यायालय एक आदेश दे सकता है जिसे पर्यवेक्षण आदेश कहते हैं; कि वह व्यक्ति विशेष कालावधि के लिये परिवीक्षा पदाधिकारी की देख रेख में है। कतिपय ऐसे गंभीर मामलों में यह प्रक्रिया अपनाई गई है जो इतने गंभीर नहीं कि उन्हें आजीवन कारावास दिया जाता।

उद्देश्य यह है कि देश की सुरक्षा और शांति का ध्यान रखते हुये यथा सम्भव ठीक बरतो जाये और ऐसे व्यक्तियों को अपने ही ढंगों से अथवा उस पदाधिकारी की सहायता से अपना सुधार करने का अवसर दिया जाये, जो पदाधिकारी वस्तुतः पदाधिकारी नहीं वरन् ऐसे अपराधी लोगों के सुधार के हेतु उन का मित्र है। इस प्रयोजन के लिये ऐसे परिवीक्षा पदाधिकारी को चाहिये कि वह उन्हें रास्ता दिखाये और यथा सम्भव शिष्ट ढंग से उन्हें कोई काम करने से रोके और ऐसे व्यक्ति पदाधिकारी से सलाह ले सकते हैं और अपना सुधार भी कर सकते हैं। इसी कारण इसी खंड में पर्यवेक्षण का उपबन्ध किया गया है।

यदि ऐसे व्यक्ति से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने अथवा ऐसा व्यवहार करने पर भी जिस का उपबन्ध इस विधेयक में किया गया उस के आचरण में सुधार नहीं होता, या वह विधि का उल्लंघन करता है या कुछ शर्तों को पूरा नहीं करता तो न्यायालय उपयुक्त कार्यवाही कर सकता है और वह कुछ मामलों में दोबारा अपराध को रोकने के लिये जुर्माना लगा सकता है।

मामले के एक और पहलू पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इन सब मामलों में जहां तक अपराध के किये जाने का सम्बन्ध है न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई व्यक्ति अपराधी है। यदि अभियुक्त अपराधी है तो इस का यह अभिप्राय है कि शिकायत करने वाले को हानि हुई है और उसे कुछ क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिये। अतः यह उपबन्ध रखा गया है कि जब उपरोक्त प्रकार के आदेश दिये जायें तो न्यायालय अपराधी से कह सकता है कि उसने अपराध कर के किसी व्यक्ति को जितनी हानि या चोट पहुंचाई उस के अनुसार उपयुक्त क्षतिपूर्ति उस व्यक्ति को दे और साथ ही उसे अभियोग की उतनी लागत दे जितनी न्यायालय उपयुक्त समझे।

ये उपबन्ध दीवानी अपराधों सम्बन्धी विधि के बारे में हैं। परन्तु सारे मामले पर सम न्याय और सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। अपराधी के प्रति उचित व्यवहार करते हुये यह भी आवश्यक है कि शिकायत करने वाले या पीड़ित व्यक्ति को कुछ क्षतिपूर्ति मिले। अतः यह समन्यायपूर्ण उपबन्ध किया गया है कि ऐसे सब मामलों में न्यायालय अपराधी को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दे सकता है।

[श्री दातार]

इन शर्तों में परिवर्तन करने का भी न्यायालय को अधिकार है। न्यायालय ज़मानत काल को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। यदि अपराधी व्यक्ति को दो वर्ष की नेक चलनी की परिवीक्षा पर रिहा किया गया हो और उस का आचरण बहुत अच्छा रहे तो न्यायालय उसे शेष काल पूरा करने की शर्त से मुक्त कर सकता है और उसे मुचल्के के दायित्व से मुक्त कर सकता है ।

अभी मैं ने दो उपबन्धों का उल्लेख किया है। एक बिना दोष सिद्धि या दंड के अपराधी को चेतावनी के पश्चात् रिहा करना है और दूसरे वह नेकचलनी की परिवीक्षा पर रिहा किया जायेगा। पहले मामले में व्यक्ति को अधिक अवसर दिया गया है। दूसरे में समाज के हित और समाज की सुरक्षा तथा शांति के हित में व्यक्ति से कहा जाता है कि वह आचरण अच्छा रखे।

बाल अपराधियों के सम्बन्ध में और कार्यवाही की गई है। जहां अपराधी व्यक्ति २१ वर्ष से कम आयु का हो तो दंड कम करने में आयु का ध्यान रखा जाता है ।

यह इस लिये है कि उस की आयु कम और अवयस्क है और उसे इतना ज्ञान नहीं अथवा उस की बुद्धि इतनी विकसित नहीं कि वह समझ सके कि बुरे कामों का क्या परिणाम होता है । फिर कुछ सहायता देने के लिये विधि की आवश्यकता होती है। ऐसे सब मामलों में जहां अपराधी २१ वर्ष से कम आयु का हो सामान्यत: न्यायालय को खंड ३ अथवा ४ का आश्रय लेना पड़ता है अर्थात् उसे चेतावनी दे कर अथवा नेकचलनी की परिवीक्षा पर रिहा कर दिया जाता है । परन्तु कुछ मामलों में अवयस्क लोग भी पूर्णत: विकसित हो जाते हैं। उन में सचेतनता जागृत हो जाती है परन्तु उसकी दिशा गलत होती है। ऐसे मामलों में अपराधी को उचित दंड देना वांछनीय होता है। यदि न्यायालय ऐसे मामले में अन्यथा निर्णय दे तो उसे अपवाद का कारण बताना पड़ेगा। इसी कारण इस की शब्दावलि भिन्न प्रकार से रखी गई है। यदि न्यायालय २१ वर्ष से कम आयु के अपराधी को कारावास का दंड दे तो उसे मामले की परिस्थितियों, अपराध की किस्म और अपराधी के आचरण के आधार पर देखना होगा कि खंड ३ या ४ के अन्तर्गत निर्णय वांछनीय नहीं है ।

अत: कतियप परिस्थितियों पर न्यायाधीश को न्यायिक आधार पर विचार करना होगा। जब दंडाधिकारी या सेशन न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि साधारण विधि के अधीन कोई व्यक्ति अपराधी है तो तुरन्त उसे दंड दिया जाता है। परन्तु इस मामले में भिन्न प्रकार की प्रक्रिया है। न्यायालय के उपरोक्त कसौटी के आधार पर दंड देना होगा। वर्तमान विधि में इन बातों पर विचार नहीं किया जाता कि अपराध किस प्रकार का है, अपराधी का आचरण कैसा है और उसने अपराध क्यों किया है। परन्तु अब यह आवश्यक समझा गया है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् कि व्यक्ति अपराधी है इन मानवीय तथा सहानुभूतिपूर्ण बातों पर विचार किया जाय और न्यायालय देखे कि यद्यपि अपराधी को विधि अनुसार दंड मिलना चाहिये परन्तु उसे या तो चेतावनी देकर या नेक चलनी की परिवीक्षा पर छोड़ देना ठीक होगा।

यहां प्रक्रिया में परिवर्तन इस लिये किया गया है कि यह समझा गया है कि जो व्यक्ति २१ वर्ष से कम आयु का है और उस के विवेक का विकास नहीं हुआ और वह न केवल किसी काम के परिणामों को समझता है और न ही यह कि उस ने जो काम किया है वह किस प्रकार का है । अतएव २१ वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिये विशेष उपबन्ध किया गया है ।

फिर यदि वह खंड ८ के सम्बन्ध में उचित व्यवहार नहीं करता या कोई शर्त पूरी नहीं करता तो अधिपत्र या सम्मन जारी किया जाता है। फिर यदि न्यायालय देखे कि उस व्यक्ति ने जान बूझ कर वह काम किया है तो मूल अपराध का दंड देने के साथ ही न्यायालय उसे ५० रुपये तक जुर्माना लगा सकता है ।

इसके बाद और आगे के आनुषंगिक उपबन्ध हैं । एक यह कि इस प्रकार के आदेश न केवल वह अदालत ही दे सकेगी जिसमें कि अभियोग चलाया गया हो प्रत्युत समुचित मामलों में उच्च न्यायालय अथवा अपीलीय न्यायालय भी यह आदेश जारी कर सकेंगे ।

इस प्रश्न का एक और पहलू भी है, जिस पर कि विचार किया जाना चाहिये । हमें समाज की सुरक्षा का ध्यान रखना है, । कुछ अपराध व्यक्तिगत रूप के होते हैं, जिनका सम्बन्ध शिकायत करने वाले व्यक्ति से ही होता है। परन्तु कई ऐसे अपराध हैं जिनका प्रभाव सारे समाज पर होता है। ऐसे अपराध सामान्यतः हस्तक्षेप्य होते हैं । इसमें समाज के हित के लिये बिना किसी व्यक्तिगत शिकायत के भी सरकार को कार्यवाही करनी पड़ती है। इसलिये इसमें यदि अपराधी के प्रति कोई समन्याय या रहम करना हो तो वह समाज के हितों की रक्षा करते हुये ही किया जा सकता है ।

हो सकता है कि किसी मामले में खंड ३ अथवा ४ के अन्तर्गत जारी किये गये आदेश समुचित रूप में न्यायिक न हों। ऐसे मामलों में, विधेयक के उपबन्धों द्वारा यह व्यवस्था करनी पड़ती है कि अपील के समय मामले पर समुचित ढंग से विचार किया जा सके। इस लिये आप देखेंगे कि अन्य उच्च अदालतें इस मामले पर विचार करती है कि न्यायाधीश अथवा दंडाधिकारी ने खंड ३ अथवा ४ के अन्तर्गत जो स्वविवेक द्वारा कार्यवाही की है वह ठीक ढंग से की गयी है अथवा नहीं। उच्च न्यायालयों को अधिकार है कि वे अपना निष्कर्ष निकालें। हालात के अनुसार और अपराध के सम्बन्ध में एक भिन्न निष्कर्ष के फलस्वरूप उच्च न्यायालय और अपीलीय अदालत, विचार करने के बाद पहले आदेश को रद्द कर सकती है क्योंकि उनका यह मत हो सकता है कि वह व्यक्ति समन्यायपूर्ण आदेश का पात्र नहीं है। और समाज के हित में उसे देश की सामान्य विधि के अन्तर्गत निश्चित काल कारावास की सजा दी जानी चाहिये । इसकी व्यवस्था कर दी गयी है। परन्तु यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अपीलीय और उच्च न्यायालय जो सजा देंगे वह उससे अधिक न होगी जो कि व्यक्ति को अपराधी घोषित करने वाली अदालत देती।

विधि के प्रमुख उद्देश्यों पर विचार करने के बाद कुछ आनुषंगिक उपबन्ध भी बनाने होते हैं। एक परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में है। जिन हालात में इस परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति होगी उसे खंड २ में स्पष्ट कर दिया गया है। वह नगर दंडाधिकारी के नियन्त्रण में काम करेगा । उसके काम की व्याख्या खंड १२ में पूरी तरह कर दी गयी है ।

खंड १३ बहुत महत्वपूर्ण है । सामान्यतः जब कोई अपराध करता है और उसे भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत सजा मिलती है। इससे वह कुछ मौलिक अधिकारों से वंचित हो जाता है। उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। जब कोई व्यक्ति किसी नैतिक अपराध के कारण सजा पाता है तो उसे सरकारी पद के लिये अयोग्य समझा जाता है। हो सकता है कि खंड ३, ४ और ७ के अन्तर्गत आने वाले मामलों के लिये यह प्रतिबन्ध न्यायोचित न हो, इस लिये खंड १३ में कहा गया है :

"किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी एक व्यक्ति जो अपराध का दोषी पाया गया हो....."

[श्री दातार]

हमने जानबूझ कर 'एक व्यक्ति जो अपराध का दोषी पाया गया हो' शब्दों का प्रयोग किया है। हमने 'दोषसिद्धि' शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्योंकि उस नियमित शब्दावलि के कतिपय निहितार्थ हैं। 'दोष सिद्धि' और 'सजा' यह तो दंडविधि के विशेष शब्द हैं। इसलिये हमने सामान्य भाषा का प्रयोग किया है कि एक व्यक्ति एक अपराध का दोषी पाया गया हो "और उस पर धारा ३ और ४ की व्यवस्था के अनुसार मुकद्दमा चलाया गया हो, तो उस पर वह अनर्हता का उपबन्ध लागू नहीं होगा जो कि ऐसी विधि अधीन दोषसिद्धि पर लागू होता है।"

हमने जानबूझ कर काफी सुविधा दी है ताकि व्यक्ति पूरा लाभ उठा सकें। परन्तु यदि यह पता चले कि व्यक्ति का व्यवहार ठीक नहीं रहा और रिहाई के बाद उसे पुनः मूल अपराध में ही सजा मिली है, तो उसे अनर्हता से विमुक्ति का यह लाभ प्राप्त नहीं होगा।

कुछ अन्य आनुषंगिक उपबन्ध भी हैं। खंड १६ के अन्तर्गत नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। बहुत से संशोधन इस मतलब के हैं कि यह नियम केन्द्रीय सरकार को बनाने चाहियें। इस सम्बन्ध में हमारी स्थिति यह है कि देश के विभिन्न भागों में स्थिति भिन्न भिन्न है, इसलिये यह नियम बनाने का अधिकार विभिन्न राज्य सरकारों को दिया जा रहा है। परन्तु उनमें एकरूपता लाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था कर दी गयी है कि उसके लिये केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना जरूरी है। यह इसलिये कि हम सामान्य दृष्टिकोण से राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नियमों पर दृष्टि डाल सकें। उसका उद्देश्य केवल यही है कि इन नियमों में अधिक से अधिक एकरूपता आ जाये और यह नियम अपने में पूर्ण हो। इसीलिये केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति की व्यवस्था की गयी है।

यह कहा गया है कि जहां तक बाल अपराधों और स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, १९५७ के अधीन आने वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है कतिपय विधियां लागू नहीं होनी चाहियें। अधिनियम प्रायः अपने आप में पूर्ण हैं, इसलिये इसके उपबन्धों को उन पर लागू करने की आवश्यकता नहीं।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ५६२ जो इसी प्रकार के विषयों पर लागू होती है, वह उन अपराधियों पर लागू नहीं होगी जिन पर यह अधिनियम लागू होगा। खंड १८ में यह कहा गया है कि धारा ५६२ उन राज्यों और भागों में लागू नहीं होगी जहां कि यह अधिनियम लागू होगा।

यह भी बता दिया गया है कि विभिन्न राज्यों में यह अधिनियम उनके निर्णय के अनुसार ही लागू होगा। एक ही दिन इसका सभी राज्यों में लागू होना आवश्यक नहीं। इन मामलों में स्थानीय कठिनाइयां हो सकती हैं। इस मतलब के लिये खंड १ (३) में निश्चित तौर पर कहा गया है कि यह उसी दिन लागू होगा जिस दिन कि इसे लागू करने के लिये राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा घोषणा करेगी। राज्य के विभिन्न भागों में विभिन्न तिथियों पर भी इसे लागू किया जा सकता है। क्योंकि इसे राज्य की सीमा में लागू करने के राज्य सरकार के अधिकार पर आपत्ति नहीं की जा सकती।

यह प्रयत्न किया गया है कि विधि में पूर्ण रूप से मानवीय भावना पैदा की जाये। तमाम प्रकार के परित्राणों की व्यवस्था कर दी गयी है ताकि समाज के हित को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। एक व्यवस्था की गयी है जिसके अन्तर्गत परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे, और उसका यह कर्त्तव्य है कि वह पूरा प्रयत्न करके अपने अधीन व्यक्ति का समुचित सुधार करे ताकि वह देश का अच्छा नागरिक बन सके। और इसी उद्देश्य के लिये ही तो यह विधेयक प्रस्तुत किया

गया है। यह उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित है जो कि केवल भारत में ही नहीं प्रत्युत संसार के अन्य भागों में भी लागू किये जा रहे हैं। मुख्य सिद्धान्त तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी स्वीकार किये हैं ।

हमने उन सभी सिफारिशों पर भी विचार किया है जोकि राष्ट्र संघ अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गयी थीं। और हमने विधि को पूर्ण रूप से आधुनिक रूप देने का प्रयत्न किया है। और समाज के हितों को भी सुरक्षित रखा गया है और वर्तमान परिस्थितियों में यथा संभव आधुनिक रूप भी दिया गया है। इस लिये मुझे विश्वास है कि सदन विधेयक के उपबन्धों का समर्थन करेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं अपना संशोधन संख्या २४ जो कि विधेयक को, राय जानने के लिये परिचालित करने के सम्बन्ध में है प्रस्तुत करता हूं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मैं अपने संशोधन संख्या २५ और ३८ जो कि क्रमशः प्रवर समिति को सौंपे जाने तथा राय जानने के लिये परिचालित करने के सम्बन्ध में हैं, प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह संशोधन संख्या २४, ३८, और २५ सभा के समक्ष हैं।

†**श्री नौशीर भरूचा :** मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। यह कई राज्यों और हमारे समाज के वर्तमान हालात के अनुकूल नहीं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

मंत्री महोदय केवल सुधारने वाली बात ही करते रहे हैं। परन्तु केवल मात्र इससे भी काम नहीं चलता। बम्बई विधान सभा में पूछा गया था कि क्या नशाबन्दी के कारण अपराध कम हुये हैं ? परन्तु पुलिस आयुक्त की रिपोर्ट से पता चला कि अपराध कम होने के स्थान पर कई गुणा बढ़ गये हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वह विभिन्न राज्यों की विधि तथा व्यवस्था की स्थिति से सन्तुष्ट हैं। मेरा विचार है कि मंत्रालय ने इस ओर समुचित ध्यान दिया नहीं लगता ।

विधेयक के मूल सिद्धान्त यह हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा ३७९ और ३८० के अन्तर्गत आने वाले मामूली अपराधों को चेतावनी दे कर ही छोड़ दिया जाय। तो क्या धोखे देने के बड़े बड़े ४२० के मामले केवल चेतावनी देकर ही छोड़ दिये जायेंगे ।

खंड ४ के अन्तर्गत जो सिद्धान्त हैं वह इससे भी खराब हैं। उसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को एक बार अपराध करने की छुट्टी है। इससे तो बहुत गड़बड़ होगी। मान लीजिये कोई बलातकार करता है और इसके लिये जान तो ली नहीं जा सकती, दस वर्ष की सजा है। इसके लिये दस वर्ष की कैद है। परन्तु यह अपराध खंड ४ के अन्तर्गत आ जाता है। इसी प्रकार के और भी गम्भीर अपराध हैं जिनके लिये फांसी नहीं दी जा सकती, परन्तु उन्हें इस खंड के अन्तर्गत ले लिया गया है। क्या हम अपराधों का सुधार इस प्रकार करना चाहते हैं कि अदालत तो किसी को गम्भीर अपराध के लिये सजा दे, और बाद में उसे कहा जाय कि वह यदि आगे के लिये अच्छे व्यवहार

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री नौशीर भरूचा]

का करार करे तो उसे छोड़ दिया जायेगा ? मेरा कहना है कि आज का समाज इसके लिये तैयार नहीं है । इस प्रकार के सभी बड़े बड़े अपराध जो प्रत्येक नगर और राज्य में प्रतिदिन होते हैं इसके अन्तर्गत आ जायेंगे ।

अब हमने व्यवस्था यह की है कि हमने यह बात अदालतों पर छोड़ दी है कि अपराध पर विचार कर, जैसी सजा उचित समझे दे दे । इन अदालतों की मनोवृत्ति क्या है, यह मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं । वे काफी ढील देते हैं । गुंडागर्दी तो वैसे ही दिन प्रति दिन बढ़ रही है, मामला अदालतों पर छोड़ दिया तो खुदा ही हाफिज है । जो कोई दोष स्वीकार भी करेगा उसे भी खंड ४ का लाभ दे दिया जायेगा । मैं अदालतों को खंड ४ को अपनाने के लिये अधिकार देने का पक्षपाती नहीं हूं ।

माननीय मंत्री महोदय कहेंगे कि उच्च न्यायालय इसका ध्यान कर लेगा । यह समाज के लिये काफी संरक्षण नहीं । साथ ही मुझे विधि के प्रवर्तन के बारे में शंकायें हैं । उदाहरणतः यदि बम्बई में कोई हिन्दू दो विवाह करे और उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया जाये तो क्या वह तीसरा विवाह कर सकता है ?

अब इस बात पर आ जाइये कि खंड ३ और ४ में कहा गया है कि इससे पूर्व कोई 'दोषसिधि' न हुई हो इससे तो हजारों छोटे छोटे मामले जिन से दफ्तरों की अलमारियां भरी रखी हैं समाप्त हो जायेंगे । छोटे छोटे नगरपालिका के अन्तर्गत आने वाले अपराधों का तो फिर कहना ही क्या है । नई दिल्ली में रात को कोई साइकिल ऐसा नहीं मिलेगा, जिसके लैम्प हो, क्या इसके लिये कोई कानून नहीं ? हमारे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ५६२ है और वह काफी है । बहुत से हालात पर अदालत उसी के अन्तर्गत विचार कर सकती है । मेरे विचार में बढ़ रहे अपराधों के वातावरण में यह विधान बहुत ही खतरनाक रहेगा ।

मेरा रचनात्मक सुझाव यह है कि इस विधेयक को पूर्णतः ही छोड़ देना चाहिये । और इस सम्बन्ध में मैंने जो मत प्रकट किया है वह मेरा ही नहीं प्रत्युत उसके पीछे काफी जनमत है ।

†**श्री रघुवीर सहाय** (बदायूं) : मैंने श्री भरूचा का भाषण ध्यान पूर्वक सुना है पर मैं उनके विचारों से सहमत नही हूं । श्री भरूचा ने कहा कि अपराधियों को परिवीक्षा पर रिहा करने का विचार बिल्कुल नया है । उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ५६२ का भी उल्लेख किया पर उन्होंने यह नहीं बताया कि इसके विरोध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है । यह वर्तमान विधेयक धारा ५६२ के आधार पर ही तैयार किया गया है । अतः यह कोई नयी बात नहीं है । यदि कोई नयी बात है तो वह २१ वर्ष से कम आयु वाले लोगों के बारे में ही है कि उन्हें चेतावनी देकर परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाये । केवल खण्ड ७ में कुछ परिवर्तन हैं ।

अतः इस विधेयक में कोई नयी बात नहीं है । बात यह है कि अभी तक हमारे देश में दंडाधिकारी इस धारा ५६२ के पक्ष में नहीं थे और न उसका उपयोग ही करते थे । इस विधेयक में तो धारा ५६२ में दी गयी बातों से भी कुछ अधिक बातें दी गयी हैं जैसे खण्ड ७ में कहा गया है कि २ वर्ष से कम आयु वालों को सामान्यता कैद की सजा नहीं दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ खुली जेलें शुरू की हैं और वहां के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह प्रयोग बहुत सफल रहा है । लखनऊ में अपराधियों तथा भूतपूर्व अपराधियों की एक सभा भी होने जा रही है । यह बहुत बड़ी बात है । अन्य राज्य सरकारों को भी ऐसे सुधारों पर विचार करना चाहिये । अब देखना यह है कि यह प्रयोग कितना सफल होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जेल में रखना ठीक नहीं है । कुछ व्यक्तियों को जेल में रखना आवश्यक है पर हर एक को नहीं । अतः हमें इस बात पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस विधेयक में जो उपबन्ध हैं न्यायाधीश लोग ठीक ढंग से उनका प्रयोग करें। साथ ही अपराधियों को परिवीक्षा पर छोड़ने के लिए जो शर्तें रखी गयी हैं उनमें यह भी शर्त सम्मिलित कर ली जानी चाहिए कि यदि अपराधी अपने अपराध सम्बन्धी सारी बातें बिना कुछ छिपाये हुये बता दें तो उन्हें परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाय । यह सुझाव मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३४२ के खण्ड (२) में 'गलत उत्तर' देने के लिए काफी गुजाइश दी गई है । अतः कम से कम इस नये विधेयक में हम सच-सच सारी बात स्वीकार करने का उपबन्ध अवश्य करें । हमारे न्यायालयों में झूठी बातें कहने का काफी चलन है उसे हमें हटाना चाहिए ।

जनता की राय जानने के लिए इस विधेयक को परिचालित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे धारा ५६२ की ही बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में लोगों को सब बातें पता हैं । मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†श्री साधन गुप्त (कलकत्ता-पूर्व) : श्री भरूचा की बहुत सी बातों से सहमत होते हुये भी मैं विधेयक का स्वागत करता हूं । श्री भरूचा ने आज से ५० वर्ष पुराने दण्ड के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है पर अब समय बदल गया है । आज आवश्यकता इस बात की है कि मनोवैज्ञानिक ढंग से हम अपराधी को समझायें कि उसने क्या गलती की है । अपराधी को दण्ड देने की बजाय चेतावनी देना अधिक उचित है । जो व्यक्ति पहली बार कोई अपराध करता है वह बहुत शर्मिन्दा होता है और यदि उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया जाये तो वह सुधर सकता है । पर यदि उसे जेल भेज दिया जाता है तो वह पक्का अपराधी बन जाता है और जेल में तरह तरह के नये नये अपराध भी सीखता है । अतः दण्ड देकर जेल में रखने की प्रथा को अवश्य रोकना चाहिए ।

अब वह समय नहीं रहा जब प्रत्येक अपराधी को कुछ न कुछ दण्ड दिया ही जाता था । आज से लगभग १०० वर्ष पूर्व इंगलैण्ड में ४० शिलिंग की चोरी करने पर मृत्यु दण्ड दिया जाता था । पर ऐसे कठोर दण्डों से भी अपराधों में कोई कमी नहीं हुई । अतः दण्ड प्रणाली के कारण अपराधियों की संख्या पहले से बढ़ ही गई है ।

आजकल न्यायालयों के पास भी कोई ऐसे अधिकार नहीं हैं कि वह अपराधी को बिना दण्ड दिये मुक्त कर दें । पर हमें अपराधी को एक कट्टर अपराधी नहीं बनाना है बल्कि उसका सुधार करके उसे एक योग्य नागरिक बनाना है । अतः मैं परिवीक्षा तथा चेतावनी के उपबन्धों का स्वागत करता हूं । पर यह उपबन्ध केवल ऐसे अपराधियों पर ही लागू होंगे जिन्हें केवल २ वर्ष तक की सजा दी जा सकती होगी यह बात ठीक नहीं है । गम्भीर मामलों में भी यह उपबन्ध लागू होने चाहिएं । कई बार महान अपराधी भी अपने अपराध पर पश्चाताप करते हैं और दोबारा अपराध न करने का निर्णय कर लेते हैं ऐसे मामलों में जिनमें आवश्यक दण्ड देना न्यायालय ठीक समझेगा दण्ड देना चाहिए । पर कई बार हत्या तक के ऐसे मामले होते हैं जिनमें लोगों की सहानुभूति अपराधी के साथ होती है क्योंकि वह अपराधी परिस्थिति से बाध्य होकर वह अपराध करता है । ऐसे मामलों के लिए न्यायालय को अधिकार होना चाहिए कि वह यदि उचित समझे तो चेतावनी देकर या परिवीक्षा पर अभियुक्त को रिहा कर दे । हमें इस बात से भयभीत नहीं होना चाहिए कि न्यायालय इन अधिकारों का अनुचित प्रयोग करेंगे । अतः मेरा निवेदन है कि न्यायालयों को यह अधिकार दे दिया जाना चाहिए वे सभी परिस्थितियों पर विचार करके ही अपना निर्णय देंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री साधन गुप्त]

बाल अपराधियों सम्बन्धी उपबन्धों का मैं स्वागत करता हूं। कच्ची उम्र के बच्चों को जेल में रखना ठीक नहीं क्योंकि जेल के कट्टर अपराधियों के साथ में रह कर यह बच्चे भी अपराधी बन जाते हैं। अतः बाल अपराधियों को परिवीक्षा पर या चेतावनी देकर रिहा करने सम्बन्धी उपबन्धों का मैं समर्थन करता हूं।

एक बात हमें और कहनी है कि इस विधेयक में वर्तमान व्यवस्था यही है कि किसी भी व्यक्ति को परिवीक्षा पदाधिकारी बनाया जासकता है। यह बात ठीक नहीं है। यदि यह मामला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जायेगा तो राज्यों में पुलिस पदाधिकारियों को परिवीक्षा पदाधिकारी नियुक्त कर दिया जायेगा पर हमारे पुलिस विभाग के पदाधिकारी इस काम के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं। अतः पुलिस पदाधिकारियों को तभी परिवीक्षा पदाधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए जब न्यायालय उन्हें इस काम के लिए योग्यता का प्रमाण पत्र दे दे।

अन्त में मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे हिचकिचाहट छोड़ कर यह अधिकार न्यायालयों को देने की व्यवस्था करें कि जब तक कि न्यायालय यह आवश्यक न समझे कि किसी अपराधी को छोड़न समाज के लिऐ हानिकारक होगा तब तक अपराधियों को चेतावनी देकर या परिवीक्षा पर रिहा करने का अधिकार न्यायालय को हो। इस प्रकार न्यायालयों में एक स्वस्थ परम्परा का विकास होगा जिससे समाज को बहुत लाभ होगा।

†श्री ब०स० मूर्ति (काकिनाडा–रक्षित–अनुसूचित जातियां): उपाध्यक्ष महोदय मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक द्वारा हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि अपराधी स्वयं अपने अपराध को महसूस करके पश्चाताप करे। श्री भरूचा ने कहा कि खण्ड ४, ५ और ६ में बहुत छूट दी गयी है और उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। पर बात ऐसी नहीं है क्योंकि उपखण्ड (३) (क) में उपबन्ध है कि यदि परिवीक्षा काल में कोई अपराधी सन्तोषजनक आचरण नहीं करता तो उसे मूल दण्ड दिया जा सकता है। अतः हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हमें अपने देश के बच्चों तथा नवयुवकों को ठीक मार्ग पर ले जाना है तो हमें इस उपाय का स्वागत अवश्य करना चाहिए। आज वह समय नहीं है जब खून का बदला खून' का सिद्धान्त माना जाता था। अब तो हमें अपने देश के नवयुवकों को अपराधी प्रवृत्ति में पड़ने से रोकने की आवश्यकता है। श्री भरूचा ने ह सालमण्ड के दण्ड सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है पर उनका दण्ड सिद्धान्त पुराना हो चुका है और आज संसार सुधारवाद की ओर बढ़ रहा है न कि दण्डवाद की ओर।

चाहे कैसा भी अपराधी हो पर हमारी ओर से उसे पूरा अवसर मिलना चाहिए कि वह अपने आचरण को सुधार ले। अपराधियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण बहुत उदार होना चाहिएं। देश में अवयस्क बच्चों के अपराधों का न्याय करने के लिए विशेष प्रकार के न्यायालय होने चाहिएं जिनमें बहुत योग्य तथा अनुभवी न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार अपने अपराध को स्वयं महसूस करके शर्मिन्दा होंगे और ठीक रास्ते पर आ जायेंगे।

जैसा कि श्री साधन गुप्त ने कहा कि परिवीक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति में बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए। मनोविज्ञान तथा अन्य ऐसी सुधारात्मक बातों का ज्ञान रखने वालों को ही परिवीक्षा पदाधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि अपराधियों का सुधार हो सके।

यदि हम इस विधान द्वारा कुछ नवयुवकों का सुधार कर सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। बाल न्यायालय खोले जाने चाहिए और परिवीक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। आशा है मंत्रालय इस सम्बन्ध में उचित प्रबन्ध करेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं। मैं जानता हूं कि मौजूदा समाज में इस तरह के कानूनी तरीके का अपनाना अभी इतना सहल नहीं हो पाया है। अभी एक बहुत ही माननीय सदस्य ने जो कि एडवोकेट हैं इस बिल का विरोध किया है। कुछ दूसरे वकील भाइयों ने इसका समर्थन भी किया है। मैं वकील नहीं हूं और मैं यह भी मानता हूं कि मैंने अपने देश की न्याय पद्धति और न्याय प्रशासन का भी पूरा अध्ययन नहीं किया है लेकिन जहां तक दंड संहिता का सम्बन्ध है मैं जानता हूं कि दण्ड देने के कई उद्देश्य हैं। सब से बड़ा उद्देश्य यह है कि अपराध करने वाले के मन में इस बात का भय पैदा हो कि समाज कानून-भंग को बहुत कड़ी नज़र से देखता है और चाहता है कि दूसरे लोग अपराधी की सज़ा को देख कर आगे अपराध न करें। सज़ा का एक दूसरा उद्देश्य यह भी होता है कि जो लोग समाज की मान्यताओं—नैतिक मान्यताओं, कानूनी मान्यताओं और दूसरी मान्यताओं—के विरुद्ध कार्य करते हैं उनसे समाज की रक्षा की जाय। मनुष्य समाज के आरम्भ से देखा गया है कि समाज की स्थापित मान्यताओं के विरुद्ध जाने वाले लोगों को बड़ी बड़ी कड़ी सज़ायें दी जाती थीं। अगर सभ्यता का—मानव समाज का—शूरू से ले कर अब तक का इतिहास देखा जाय, तो स्पष्ट है कि शुरू में साधारण से साधारण अपराध के लिए—जिसे आज हम साधारण अपराध कहते हैं—मृत्युदंड दिया जाता था, अंग भी काट लिए जाते थे। जो व्यक्ति चोरी करता था, उस के हाथ काट दिये जाते थे। बहुत सी ऐसी सज़ायें दी जाती थीं और ऐसे तरीके अपनाए जाते थे, जिन्हें आज हम असभ्य कहते हैं। किसी साधारण से अपराध करने वाले व्यक्ति को उबलते हुए तेल में अपना हाथ डाल कर अपनी निर्दोषिता साबित करने के लिए कहा जाता था। अगर उस का हाथ न जलता, तो उसे शुद्ध समझा जाता था। लेकिन जैसे जैसे समाज में सभ्यता बढ़ती गई, वैसे वैसे दंड को न केवल इस दृष्टि से देखा गया है कि दंडित व्यक्ति और दूसरे लोग अपराध करने से डरें, वरन् इस बात पर भी बिचार किया गया है कि कोई व्यक्ति अपराध क्यों करता है, उस के अपराध करने के पीछे उस का व्यक्तिगत दोष ही है या समाज का भी दोष है, वह किसी शारिरिक या मानसिक कमज़ोरी के वशीभूत हो कर अपराध करता है, अथवा समाज का जो संगठन है, उस की जो धारणायें हैं, जो सामाजिक जीवन है, उसके कारण वह अपराध करने को बाध्य होता है। हमारे देश के दंड संहिता के जानने वाले जो लोग हैं, उन्होंने इस विषय की पूरी विवेचना की है और सोचा है और इसी के फल स्वरूप हमारे देश में —और इस के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी—दंड विधान के सम्बन्ध में—नए नए सुझाव आते रहते हैं और दंड संहिता में संशोधन किए जाते हैं। संसार में एक ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन मौजूद है, जहां तमाम देशों के न्याय शास्त्र को जानने वाले, मनोविज्ञान शास्त्र के जानने वाले और इसे क्षेत्र में अनुभव रखने वाले लोग एकत्रित होते हैं और इस बात की विवेचना करते हैं कि संसार भर में जो दंड संहितायें प्रचलित हैं, आज की हालत में वे सचमुच में ठीक हैं या नहीं और अगर वे ठीक नहीं हैं, तो उन में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है। इस संम्बन्ध में जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया एक सम्मेलन इंसपैक्टर्ज़ जेनेरल आफ़ पुलिस का हुआ, जिस ने इस बारे में सुझाव रखे। मैं किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं यह समझता हूं कि हमारे देश का पुलिस संगठन और न्याय प्रशासन अभी आदर्श ढंग का नहीं हो पाया है। हमारे दंड विधान में ऐसा संशोधन करने की ज़रूरत है, जिस से दंड देने का उद्देश्य पूरा हो। जैसा कि कल माननीय मंत्री जी ने बताया था, दंड देने का उद्देश्य डर दिखाने के साथ ही साथ सुधार करना भी है, और यह विधेयक, जो कि हमारे सामने आया है, उस दिशा में एक अच्छा कदम है। इस सम्बन्ध में मुझे यह दुख के साथ कहना पड़ता है कि कि हमारे माननीय मंत्री जी ने इस सदन को यह बताने का कष्ट नहीं उठाया है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफ़ा ५६२ का अनुसरण जिसका उद्देश्य इस विधेयक के उद्देश्य से मिलता जुलता है; किस किस राज्य में, किस पैमाने पर किया गया है और उसका

[श्री श्रीनारायण दास]

अनुभव क्या रहा है। इस मौके पर उन को हर राज्य सरकार से सम्बन्ध में आंकड़े और अन्य सूचनायें मंगानी चाहिए थी और उस को इस सदन के सामने रखना चाहिए था, ताकि इस सदन को ज्ञात होता कि अगर किसी राज्य ने दफ़ा ५६२ का अनुसरण किया है, तो किस हद तक किया है, और अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है और उस के रास्ते में क्या रुकावटें थीं।

माननीय मंत्री जी को इस सम्बन्ध में इस देश की जेल व्यवस्था के बारे में भी कुछ सूचना हमारे सामने रखनी चाहिये थी। यद्यपि जेल प्रशासन केन्द्रीय विषय नहीं है, लेकिन केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य था कि वह यह सूचना एकत्रित करती कि विभिन्न राज्यों में जेल व्यवस्था में क्या क्या सुधार हुये हैं, क्या आंकड़े हैं, कितने अपराधी ऐसे हैं, जो कि पहली बार दंडित होने के बाद दोबारा अपराध कर के जेल में गये। यह पता लगाना ज़रूरी है कि जो अपराधी दंड के रूप में—या सुधार करने के लिये—जेल में भेजे जाते हैं, वे वहां से वापस आ कर समाज के अच्छे नागरिक बनते हैं या नहीं। हम अपनी जेलों पर इतना खर्च करते हैं इतनी व्यवस्था करते हैं, हर तरह की सुविधा देने का प्रयत्न करते हैं। अतः आंकड़ों को देख कर हम इस बात का पता लगा सकते थे कि दंड पाये हुये अपराधी जेल में रहने के फलस्वरूप समाज के अच्छे नागरिक बनते हैं या नहीं या दोबारा अपराध करके बड़ी कड़ी से कड़ी सज़ा पा कर जेल में लौटते हैं। इस अवसर पर अगर इसके सम्बन्ध में भी कुछ बता दिया गया होता तो मैं समझता हूं कि इस सदन में इस विधेयक पर विचार करते में हम लोगों को सुविधा होती।

यह बात ठीक है कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का यह आदेश है और दुनिया के जो दूसरे देश हैं उन देशों में इस तरह के कानून बने हैं और उन देशों ने अपने देशों के अन्दर ऐसी व्यवस्था की है कि जिस में जेलों को भी स्थान दिया गया है और इस के साथ ही साथ उनके सुधार की दूसरी संस्थायें हैं चाहे वे सरकार द्वारा संचालित हों चाहे कानून पर आधारित हों या समाज उनको चलाता हो या समाज सुधार में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति उनको करते हों।

इस बिल के बारे में मैं अपना एक विशेष विचार रखना चाहता हूं कि अब समय आ गया है जब कि हमें देखना होगा कि हमारे देश में अपराधों में कमी क्यों नहीं हो रही है। इस बिल में जिन धारणाओं को ले कर चला गया है, हो सकता है कि वे पूर्ण व्यवहारिक नहीं साबित हों। लेकिन यह बात भी सही है कि बावजूद इस के कि हमारे देश में कड़े से कड़े कानून बने हुए हैं लेकिन फिर भी जहां तक चोरी का सवाल है या दूसरे अपराधों का सवाल है या उन अपराधों का सवाल है जिनको कि घृणित अपराध कहा जाता है, वे कम नहीं हुए हैं। जिस प्रकार की दण्ड व्यवस्था है, जिस प्रकार से हमारे देश में न्याय का शासन चलता है, अपराधों में कमी नहीं हो पा रही है। चाहे यह विषय राज्य सरकारों के अन्तर्गत आता हो चाहे केन्द्र सरकार के अन्तर्गत लेकिन यह देखा गया है कि आज भी जब हमने कड़े से कड़े कानून बना रखे हैं यह बुराई कम नहीं हुई है। आज भी लोग काफी बड़ी संख्या में इन कानूनों की अवहेलना करते हैं। आज़ भी लोग समाज के विरुद्ध काम करते हैं। जिस से कि समाज को हानि होती है, आज भो लोग ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि व्यक्तियों की हानि होती है। आज हम ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ायें देकर जेल भेज देते हैं लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे अपराधों की संख्या हमारे देश में बढ़ी ही है इस में कमी नहीं हुई है। जब ऐसी बात है तो विधायकों के लिए यह सोचने का एक अच्छा अवसर मिल जाता है जब हम कोई नया कानून बनायें और खास तौर पर दण्ड की व्यवस्था का तो उस कानून को बनाते समय इस बात पर भी विचार करें कि अब तक हम ने जो दण्ड की व्यवस्था की है, उसका क्या असर हुआ है। जहां तक मैं थोड़ा बहुत जान पाया हूं, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि आज समय आ गया है जब हमें न केवल इस बात का ख्याल रखना है कि भय ही पैदा किया जाए, न केवल इस बात का ख्याल करना है कि लोगों के दिलों में डर ही पैदा किया जाए और इस डर की वजह

से लोग अपराध न करें बल्कि इस बात का भी ख्याल रखना है कि वे अपराध करने पर मजबूर क्यों होते हैं। मनोविज्ञान बतलाता है कि हर किसी व्यक्ति के लिए या समाज के लिए कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिस से घबरा करके लोग किसी बुरे काम को करना बन्द ही कर देंगे। अगर डर और भय से अपराध बन्द होने होते तो आज को बन्द हो गए होते। जेल के कानूनों को देखकर, वहां पर जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता है तथा जिस प्रकार अपराधियों को रखा जाता है, आज अपराध बन्द हो गए होते। हमने देखा है कि लाखों की तादाद में लोग जेल गए हैं, उन्हों ने कानून को तोड़ा है। जेलों में सख्ती के साथ रखे गये हैं, फिर भी वे अपराध करने से नहीं रुके हैं। जेलों का तजुर्बा उल्टा यह बताता है कि जो अपराधी एक बार जेल चला जाता है, वहां के सहवास से, वहां के वातावरण से तथा वहां की कुव्यवस्था से, वहां के व्यवहार से, चाहे वह जेल वार्डर का व्यवहार हो या जेल सुपरिटेंडेंट का हो या दूसरे कर्मचारियों का हो, उसके कारण वहा से वह एक कनफर्म्ड (पुष्ट) अपराधी बन कर निकलता है। एक आदमी जो भूखा है अपनी भूख को तृप्त करने के लिए साधारण सी चोरी करता है, जेल में चोरों के सहवास में रह कर के वह पक्का चोर बन कर निकलता है। अगर कोई आदमी गलती से या किसी के बहकाने से किसी डकैती में भाग ले लेता है और पकड़ा जाता है, तो जब वह जेल जाता है वहां से वह पहले से भी ज्यादा जबर्दस्त डाकू बन कर लौटता है। इस वास्ते समाज को, देश के विधायकों को इस पर विचार करना चाहिए कि दरअसल में जब हम कोई कानून बनाते हैं और विशेष कर जब हम किसी दण्ड की व्यवस्था करने वाला कानून बनाते हैं तो हमें देखना चाहिए कि जिस उद्देश्य से उस दण्ड वाले कानून को हमने पहले पास किया है और उसको पास करने में जो हमारा उद्देश्य था, वह सफल हुआ है या नहीं। इसी लिए आज इस विधेयक के द्वारा जिन बातों का हम अपनी दण्ड संहिता में समावेश करने जा रहे हैं, उसका जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं बहुत जोर से अभिनन्दन करता हूं।

अभी थाड़ी देर हुई हमारे माननीय सदस्य भरूचा साहब ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारे जो न्यायकर्ता हैं वे अपराधियों को दण्ड देने में बहुत ही लीनियेंट व्यू लेते हैं उस समय जब किसी को दण्ड देने का वक्त आता है। वे लोग उस वक्त बहुत कड़ाई के साथ नहीं सोचते हैं। उनका कहना था कि हो सकता है कि इस विधेयक के पास हो जाने के बाद और इस के कानून बन जाने के बाद समाज में लालैसनैस फैले, कानूनहीनता बढ़े या समाज में दूसरी बुराइयां पैलें। अगर जज का ऐसा करना इस विधेयक पर लागू होता है तो वह दूसरे विधेयकों पर भी इसी प्रकार लागू होता है। हमारे देश में अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी हैं। लेकिन जहां तक बुरे काम करने वालों को सुधारने का ताल्लुक है, उनका सुधार किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि यदि इसको व्यावहारिकता की दृष्टि से देखा जाए, तो आपको पता चलेगा कि अब समय आ गया है जब कि हमें यह देखना है कि हमारा जो यह उद्देश्य है कि अपराधों में कमी हो उसको कम करने का क्या यही एक साधन है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और अपराधियों को जेल भेजा जाए अथवा उनको समाज के अन्दर किसी संस्था के आधीन या व्यक्तियों के आधीन या ऐसे वातावरण में रखा जाए — चाहे उनको अपने घरों पर ही क्यों न रखा जाए — जिस से वह जिस अपराध के लिए दंडित हुआ है, आगे से उसको बुरा समझने लग जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह देखा गया है कि हमारे देश में सरकारी तौर पर तो नहीं लेकिन गैर सरकारी तौर पर ऐसी संस्थायें हैं जो जेल से दंडित व्यक्तियों के निकलने के बाद उनके सुधार के लिए, उनको अपना जीवन भली भांति चलाने के लिए, उनको फिर से रोजगार पर लगाने के लिए कार्य करती हैं। यह कर्त्तव्य समाज का है कि वह देखे कि किस तरह से ऐसे व्यक्तियों का सुधार

[श्री श्रीनारायण दास]

किया जा सकता है । अगर एक व्यक्ति जोकि पांच, सात या दस साल की कैद काट कर आता है और उसकी ओर समाज घृणा की दृष्टि से देखता है, उसको कोई काम पर नहीं लगाता है, उसके जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं है और लोग उसके साथ सहवास करने से भी डरते हैं और वह एक कलंक लिए हुए समाज में रहता है, तो इसके गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं । ऐसी सूरत में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या समाज का उसके प्रति कोई कर्त्तव्य है या नहीं । उसका अगर कोई कर्त्तव्य है तो फिर मैं समझता हूं कि इस तरह का कानून बनाना भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है और है । एक आदमी किसी गलती से कोई अपराध करता है और जब यह समझता है कि उसका चालचलन बुरा नहीं है और किसी और ही कारण से उसने अपराध किया है और उसको मौका दिया जाना चाहिए कि वह सुधार करके अपना जीवन निर्वाह करे, उस पर निगरानी रखी जाए, उसका निरीक्षण किया जाये, तो उसको आत्मसुधार करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिये । अगर समाज इसका कोई प्रबन्ध नहीं करता है और एक आदमी हो सकता है कि किसी सहवास के कारण या कुसंगति में पड़कर कोई अपराध कर बैठे और सात आठ साल के बाद जेल से निकल कर उसके जीवनोपार्जन का कोई प्रबन्ध नहीं होता है । तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से वह इस प्रकार कलंकित बन कर चल सकता है । अगर समाज उस पर संदेह की दृष्टि से न देखे, और उसको कोई काम दे दिया जाये, उसको कलंकित न समझा जाये, उसका तिरस्कार न किया जाये, उस पर घृणा की नजर से न देखा जाये और नौकरी देने वाले उसको नौकरी दे दें, तो फिर उसका सुधार सम्भव हो सकता है । ऐसी हालत में क्यों उसको अपने आपको सुधारने का मौका न दिया जाये । मैं चाहता हूं कि सरकार इसका पता लगावे कि उसे जेलों को चलाने के लिये, जेलों में खाने पीने की व्यवस्था करने के लिये, कितना खर्चा करना पड़ता है और यह भी हमें देखना चाहिये कि जो दंडित लोग हैं जो अपराधी लोग हैं, उनकी देखभाल, उनके निरीक्षण, उनके सुधार आदि में कितना खर्चा आयेगा । अगर इसमें खर्चा भी कम पड़ता है और जेल की अपेक्षा सुधार की सम्भावनायें भी अधिक होती हैं, तो मैं समझता हूं कि इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये ।

आज ऐसा वक्त आ गया है जबकि हमको जेल व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिये । जेलें चाहे राज्यों का विषय हो, चाहे केन्द्र का, फिर भी इस कानून पर विचार करते समय इस सदन का ध्यान जेलों की व्यवस्था पर जाना जरूरी है । अगर जेलों की व्यवस्था ऐसी होती है . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं ?

†**श्री श्रीनारायण दास** : अगर मुझे समय दिया जाये तो मैं कुछ इस बिल की धाराओं पर भी कहना चाहता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तो वह अपना भाषण अगले दिन जारी रखेंगे । अब हम गैर सरकारी कार्य लेते हैं ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

आठवां प्रतिवेदन

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के आठवें प्रतिवेदन से जो सभा में १३ नवम्बर, १९५७ को उपस्थापित किया गया था सहमत है । "

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पदच्युत सरकारी कर्मचारियों के मामलों के पुनर्विलोकन करने के लिये एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति सम्बन्धी संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा १२ सितम्बर, १९५७ को श्रीमती पार्वती कृष्णन द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर आगे विचार करेगी जो पदच्युत सरकारी कर्मचारियों के मामलों के पुनर्विलोकन के बारे में है । श्रीमती पार्वती कृष्णन् संसदीय शिष्ट मण्डल के साथ पाकिस्तान चली गई हैं । इसलिये, मैं उनके भाषण को समाप्त माने लेता हूं और संकल्प को सभा के समक्ष रखता हूं ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ :

> "इस सभा की यह राय है कि केन्द्रीय असैनिक सेवायें (राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षण) नियम, १९५३ सरकारी कर्मचारी आचरण नियम और भारतीय रेलवे स्थापना संहिता के नियम, १७०८ के अन्तर्गत जिन जिन कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गईं या जिन्हें पदच्युत किया गया था जिनको अनिश्चित काल के लिये मुअत्तिल किया गया उनके मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिये एक विशेष न्यायाधिकरण, जिसका सभापति उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश हो और जिस में सरकार और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य हों, नियुक्त किया जाये ।"

इस पर कुछ संशोधन भी हैं ।

†**श्री तगांमणि** (मदुरै) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं संशोधन संख्या २ और ३ की अनुमति नहीं देता, वे संकल्प के क्षेत्र के बाहर हैं ।

संशोधन संख्या १ प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : मेरा अनुरोध यह है कि इस संकल्प पर दलगत भावना से विचार न किया जाये । इससे तो सभी सहमत हैं कि सरकारी कर्मचारियों को राज्य के प्रति निष्ठा रखनी चाहिये, लेकिन राज्य का अर्थ सत्तारूढ़ दल नहीं होना चाहिये । कार्य-अक्षमता, अनुशासन भंग करने, या अन्य चीज़ों के लिये तो दण्ड दिये ही जाने चाहिये ।

लेकिन कुछ बड़े ही सख्त नियम भी हैं । इनका दुरुपयोग किया जाता है । रेलवेज़ और डाक विभागों म कई ऐसे कर्मचारियों को बिना कोई कारण बताये ही पदच्युत कर दिया जाता है जिनकी सेवायें १५, २० या २२ वर्ष तक की हो चुकी थीं । इसीलिये, मैं चाहता हूं कि इस संकल्प पर दलगत भावना से विचार न किया जाये ।

प्रथम संसद् में १० मई, १९५३ को श्री नम्बियार ने एक संकल्प प्रस्तुत किया था कि इन नियमों को रद्द किया जाये और पदच्युत कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिया जाये । उसका विरोध करने वाले दो-एक सदस्यों ने भी यह माना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा नियम को रद्द कर देना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ग्र० क० गोपालन]

इस संकल्प में तो केवल इतना ही कहा गया है कि इस मामले के पुनर्विलोकन के लिये एक विशेष न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाये । न्यायाधिकरण जिन भी कर्मचारियों के मामलों के पुनर्विलोकन के बाद उन अभियोगों को अनुचित ठहराये, उनको पुनः सेवा में लिया जाये ।

राष्ट्रीय सुरक्षा नियम के सम्बन्ध में एक मंत्रणा समिति भी है, लेकिन उससे न्याय की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि उस समिति काएक सदस्य तो गुप्तचर विभाग का होता है और दो अन्य विभागीय प्रधान रहते हैं ।

सरकारी कर्मचारी आचरण नियम के साथ ही, राष्ट्रीय सुरक्षा का परित्राण नियम, १९५३ भी है । इन नियमों के खण्ड ३ में कहा गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा को हानि पहुंचाने वाली विध्वंसक कार्यवाहियों से सम्बन्धित किसी भी सरकारी कर्मचारी को निवृत्त होने के लिये विवश किया जा सकता है । उसके बाद, वह कर्मचारी लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन भेज सकता है और तत्पश्चात् उसको पदच्युत किया जा सकता है ।

लेकिन विध्वंसक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कर्मचारी के संदेहजनक होने का निर्णय कौन करता है ? संदेह पुलिस विभाग द्वारा प्रकट किया जाता है । प्रत्येक मामले की अलग-अलग चर्चा के समय मैं बताऊंगा कि किस प्रकार इस संदेह में अति की जाती है । इतना ही नहीं, भारतीय रेलवेज़ संस्थापन संहिता के नियम १७०८ में तो यह भी दिया गया है कि मंजूरशुदा छुट्टी से अधिक दिनों तक काम पर न आने वाले, या छोटे-मोटे अपराधों की पुनरावृत्ति करने वाले रेलवे कर्मचारियों को भी सेवा समाप्त की जा सकती है । लेकिन, उसमें एक परन्तुक और है जिसमें कहा गया है कि महाप्रबन्धक विहित प्रक्रिया को बिना अपनाये हुए भी किसी भी अघोषित रेलवे-कर्मचारी की सेवा समाप्त कर सकता है । अर्थात्, उस कर्मचारी को अपनी निर्दोषिता दिखाने का भी अवसर नहीं दिया जायेगा ।

इस परन्तुक के अनुसार तो विहित प्रक्रिया अपनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती ।

मैं यह भी कहता हूं कि ये नियम संविधान के अनुच्छेद १९ के प्रतिकल हैं । उसमें सभी नागरिकों को भाषण, व्यक्तीकरण, संस्थायें या संघ बनाने, इत्यादि के अधिकार दिये गये हैं । सरकारी कर्मचारी भी भारतीय नागरिक ही हैं । और, ये नियम उनकी स्वतत्रंता का अपहरण करते हैं ।

हाल में, रेलवे विभाग ने एक परिपत्र जारी किया है कि रेलवे कर्मचारियों को संसद् या विधान सभा के सदस्यों के पास कोई प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिये । उसे अनुशासन भंग करना माना जायेगा । मैं नहीं समझता कि ऐसे परिपत्र से सरकारी कर्मचारियों की कार्य-क्षमता या उनके अनुशासन में किस प्रकार सुधार होगा ।

कुछ मामलों को देखिये । श्रीराम वाध्या पर अभियोग यह लगाया गया था कि यार्ड में घास काटने का आदेश पा कर वह यार्ड में नहीं गया बल्कि ग़ायब हो गया । क्या यह राज्य की सुरक्षा को खतरा पैदा करता है ? और विचित्र बात तो यह है कि उससे पहले के आदेश में दिया गया है कि श्रीराम बाध्या के विभाग के लोगों को घास काटने के काम पर नहीं लगाना चाहिये, क्योंकि लेखा-परीक्षकों ने उस पर आपत्ति की थी । और घास न काटने के अभियोग में ही उसे निकाला गया है ।

एक अधिकारी ने १९५४ में एक टी० टी० पर यह अभियोग लगाया कि वह १९५२, १९५३ और १९५४ में विध्वंसक कार्यों में रत था। वह अधिकारी १९५२ और १९५३ में दो साल तक चुप क्यों बना रहा ? उस टी० टी० को १९५४ में अभियोग-पत्र दिया गया था।

मेरे पास उन पूरे अभियोग-पत्रों को पढ़ कर सुनाने लायक समय नहीं है।

उनको देखने से ही मालूम हो जाता है कि वे झूठे मूठे आरोपों से भरे हैं। यदि सरकार किसी पर संदेह करती है और उसे सिद्ध नहीं कर सकती तो उस कर्मचारी को नजरबन्द किया जा सकता है।

मैं उस व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं वह शारीरिक और मानसिक तौर पर कोई भी षडयंत्र करने में असमर्थ है। उसकी मुअत्तली का वास्तविक कारण यह है कि वह कार्मिक संघ का एक सक्रिय कार्यकर्ता है। उसका कार्मिक संघ रेलवेज़ के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ कर रहा था।

कॉरडाइट फैक्टरी के कार्मिक संघ के मंत्री को इसलिये निकाला गया है कि उसने फैक्टरी की फालतू क्षमता के उपयोग के लिये सुझाव रखे थे और अधिकारियों की बात को काटते हुए संसद् सदस्यों से एक अपील की थी। उसे सरकारी कर्मचारी आचरण नियम का उल्लंघन करने के अपराध में पदच्युत कर दिया गया है।

मुरादनगर के युद्ध-सामग्री कारखाने के आठ कर्मचारियों को हड़ताल में भाग लेने के अभियोग में निकाल दिया गया है। इलाहाबाद के एक रेलवे कर्मचारी की पदच्युति को सेशन कोर्ट ने अवैध करार दिया है और पुनः नियुक्ति का आदेश दिया है फिर भी उसे पुनः नियुक्त नहीं किया गया है। रायगढ़ के पोर्टर श्री नन्द लाल छरीमाली पर इसलिये कार्यवाही की गई है कि उसने प्रजा समाजवादी दल के उम्मीदवार के लिये प्रचार किया था। मेरे पास ऐसे ४८ व्यक्तियों के मामले हैं। मेरे पास उनका पूरा ब्यौरा है।

बम्बई के श्री एस० पी० आवटे को कम्युनिष्ट दल की सभा में जाने के लिये और इतना भी नहीं स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के समारोहों में जाने के लिये दण्डित किया गया है। उसे पदच्युत कर दिया गया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य उन सभी ब्यौरों को सभा-पटल पर रख दें।

†**श्री अ० क० गोपालन** : कन्नूर के एक चौथी श्रेणी के कर्मचारी को एक नाटक देखने जाने के अभियोग में निकाल दिया गया है। इसी प्रकार कई कर्मचारियों को कार्मिक संघ के मंत्री के रूप में दैनिक समाचारपत्रों को पत्र भेजने, संसद-सदस्यों से अपील करने आदि के अभियोग में निकाल दिया गया है।

इनसे यह बिलकुल स्पष्ट है कि सुरक्षा और अनुशासन की आड़ में सरकार कार्मिक संघों की सक्रियता पर कुठाराघात कर रही है। सरकार कम्युनिस्ट दल को विध्वंसक दल मानती है। लेकिन यदि केरल की कम्युनिस्ट सरकार कांग्रेस दल को विध्वंसक मानने लगे और उससे सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों पर इसी प्रकार अभियोग लगाये तो क्या माननीय मंत्री उससे सहमत होंगे ?

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० क० गोपालन]

हम सरकार से केवल यही अपील करते हैं कि शक्तियों का दुरुपयोग हुआ है और कर्मचारियों में बड़ा असंतोष है । सरकार को इसके पुनर्विलोकन के लिये एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किया जाये । वह न्यायाधिकरण ही सत्य-असत्य का निर्णय कर देगा । हमें इस समय कर्मचारियों के सहयोग की अपेक्षा है । उद्योग के विस्तार और उत्पादन की वृद्धि के लिये हमें सभी कर्मचारियों का सहयोग चाहिये । यदि हम इन पदच्युत ३००–४०० कर्मचारियों को पुनः नियक्त नहीं करते तो अन्य कर्मचारियों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

हमारी राय यह है कि इन नियमों को रद्द कर देना चाहिये । लेकिन संकल्प में केवल एक विशेष न्यायाधिकरण की मांग की गई है ।

माननीय उपमंत्री ने कई बार इन मामलों की जांच करने का वचन दिया है । मेरा उनसे यही अनुरोध है कि वे इस सीधे से संकल्प को स्वीकार कर लें ।

श्री स० म० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस सदन के सामने है उस में एक तरमीम मैं ने पेश की है और वह यह है कि १६ अगस्त १९४७ से ले कर १२ सितम्बर १९५७ तक जितने भी केसिज़ (मामले) हुए हैं उन की जांच ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) जिस की कि हम मांग कर रहे हैं, करे ।

हमारे मित्र गोपालन जी ने काफ़ी तफ़सील के साथ इस सम्बन्ध में केसिज़ रखे हैं जिन को सुन कर इस सदन के सारे सदस्यों के सामने यह बात कम से कम साफ हो चुकी है कि बहुत से लोगों का विक्टिमाइज़ेशन किया (शिकार बनाया) गया है । जब भी हम विक्टिमाइज़ेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो आम तौर पर हमारी सरकार और उसके अफ़सरान यह कहते हैं कि "यह विक्टिमाइज़ेशन नहीं है । क्या आप चाहते हैं कि सरकारी मुलाज़मीन में इनडिसिप्लिन हो अनुशासनहीनता हो ? अगर अनुशासन नहीं होगा तो किस तरीके से, किस के बूते पर यह सरकार चलेगी ?" मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं भी एक निकाला हुआ सरकारी मुलाज़िम हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह केस तो आज आप नहीं ले रहे हैं ?

श्री स० म० बनर्जी : जी नहीं, वह नहीं ले रहा हूं । मैं लेना चाहता भी नहीं हूं ।

इसलिए मैं जानता हूं कि किस तरीके से लोग नौकरी से निकाले गये हैं । अभी गोपालन जी ने बताया कि कुछ निकाले हुए कर्मचारी प्रधान मंत्री जी के बंगले के सामने अनशन कर रहे हैं । यह ठीक है कि अनशन नहीं करना चाहिए । आखिर फ़ाकाकशी करना किस को अच्छा लगता है ? लेकिन सवाल यह है कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं । उन के बारे में बार-बार यह कहा जाता है कि घास काटना जुर्म नहीं था । आखिर वे क्यों निकाले गये ? मालूम हुआ है कि वहां पर मिलटरी अफ़सरान काम करते हैं और मिलटरी के जवान भी हैं । इसलिए अगर उस केस को जिस को उन्होंने इनडिसिप्लिन का केस समझ रखा है तय कर दिया जाता है डिसाइड कर दिया जाता है डिफेन्स मिनिस्ट्री उस का फ़ैसला कर देती है तो हमारी आर्मी के मारेल (मनोबल) पर उस के जवानों के मारेल पर असर पड़ेगा और अगर मारेल कम हुआ तो पता नहीं क्या होगा । इस बिना पर आर्मी चीफ़ (प्रधान) साहब कहते हैं कि उस केस को कनसिडर (विचार) न किया जाय ।

जहां तक एम० पीज़० (संसद् सदस्यों) का ताल्लुक है गोपालन जी ने अभी बताया है कि अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम चाहे वह रेलवे में हो डिफ़ेन्स (प्रतिरक्षा) में हो या

पी० एंड टी० (डाक तथा तार विभाग) में हो या किसी दूसरी जगह में हो एक एम० पी० के पास रिप्रेज़ेन्टेशन (प्रतिनिधित्व) करता है तो उस की नौकरी जाने का खतरा होता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने ली हैं और कामनवैल्थ (राष्ट्र मंडल) में रहने के नाते हम उस की प्रशंसा भी करते हैं और करनी चाहिए लेकिन क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि उस पार्लियामेंट के किसी भी सदस्य के पास उस की कांस्टीच्युएन्सी (निर्वाचन क्षेत्र) का कोई भी कर्मचारी अपने केस के लिए जा सकता है और अगर इस वजह से उस पर कोई एक्शन लिया गया तो वह प्रिविलेज (विशेषाधिकार) का सवाल हो जाता है । मैं गज़ारिश करूंगा प्रधान मंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब और जो मंत्री महोदय बैठे हैं उन से—मुझे अफ़सोस है कि ऐसा मालूम होता है कि विक्टिमाइज़ेशन की सारी मानोपली (एकाधिार) इन्हीं की है । अगर दूसरे मिनिस्टर साहबान और डिफ़ेन्स मिनिस्टर साहब भी यहां पर इस समय मौजूद रहते तो हमें खुशी होती और हम सारी बातें उन के सामने रखते—कि जब हम ब्रिटिश पार्लियामेंट की और चीज़ें लेते हैं तो अच्छी चीज़ें भी लें ताकि एम० पी० को हक हो कि अपनी कांस्टीच्युएन्सी के सरकारी मुलाज़मीन और दूसरे व्यक्तियों के मामलों को हल कर सके ।

हम यह ट्रिब्यूनल क्यों चाहते हैं ? इस सिलसिले में एक बात साफ़ है और वह यह कि बार बार रिप्रेज़ेन्टेशन करने के बाद भी कोई इत्मीनानबख़्श जवाब हम को नहीं मिलता है । जब भी किसी कर्मचारी के बारे में हम कहते हैं तो एक ही बात कही जाती है कि क्या किया जाय अनुशासन-हीनता का सवाल है यह डिफ़ेन्स मिनिस्ट्री का सवाल है यह रेलवे का सवाल है यह पी० एंड टी० का सवाल है किस तरह अनुशासनहीनता फैलाई जाय ? मैं यहां पर कुछ केसिज़ का ज़िक्र करना चाहता हूं । एक केस हमारे सिंघाराम जी का है । आप को उस के बारे में सुन कर ताज्जुब होगा । आर्डिनेंस फ़ैक्टरी में छंटनी हो रही थी, तो उन्होंने पार्लियामेंट के तमाम सदस्यों के सामने, भले वे कांग्रेस के हों या आपोज़ीशन पार्टीज़ के, एक सुझाव पेश किया कि किस तरीके से सरप्लस मैनु-फ़ैक्चरिंग कैपेसिटी आफ़ दि आर्डिनेंस फ़ैक्टरी (युद्ध सामग्री कारख़ाने की फालतू निर्माण-क्षमता) का इस्तेमाल किया जा सकता है । उस के बाद उन्हें चार्जशीट (अभियोग-पत्र) मिला कि उन्होंने सीक्रेट (गुप्त) चीज़ें आउट कर दी हैं और उन को निकाल दिया गया । मैं बताना चाहता हूं कि आज अगर एक हिन्दुस्तानी दूसरे हिन्दुस्तानी के पास, जो कि संसद् का सदस्य है, आर्डिनेंस फैक्टरीज़ में किस तरीके से काम बढ़ सकता है, इस बारे में सुझाव भेजता है, तो सीक्रेट आउट करने की बात कही जाती है, जब कि इन्हीं आर्डिनेंस फ़ैक्टरीज़ को काफ़ी तादाद में फ़ारेनर्ज़ (विदेशी) चला रहे हैं । यह सीक्रेट उनसे नहीं है । लेकिन अगर अपने देश का एक नौजवान यूनियन की मारफ़त इस विषय का सुझाव देता है कि किस तरीके से छंटनी रुक सकती है और आर्डिनेंस फ़ैक्टरीज़ का विकास हो सकता है, तो उसकी नौकरी जा सकती है ।

अब में दूसरी मिसाल देता हूं । जब कानपुर की सूती मिलों में अस्सी दिन की हड़ताल हुई और मैं वहां पर गिरफ्तार हो गया, तो आर्डिनेंस फ़ैक्टरी के चार मज़दूरों को उन के घरों से गिरफ़तार कर लिया गया और कहा गया आप बनर्जी की वजह से हड़ताल कर रहे हैं । बाद में यू० पी० गवर्नमेन्ट ने जेनरेल एमनेस्टी डिक्लेयर (सामान्य राजक्षमा घोषित) की और तमाम लोगों को छोड़ दिया गया । कानपुर के सरमायादारों ने, जो कि अपनी संगदिली के लिए मशहूर हैं, सात सौ आदमियों को भरती कर लिया, लेकिन सैंट्रल गवर्नमेंट के इन चार बदकिस्मत मुला-ज़िमों को नौकरी नहीं मिली और फ़ाकाकशी की नौबत आई । उन को कचहरी में लड़ना पड़ा और ज़ब उन का आनरेबल एक्विटल (विमुक्ति) हो गया, तो उन को भरती किया गया, लेकिन एक भाई सुन्दरसिंह को दोबारा चार्जशीट दे कर निकाला गया । एक को कलकत्ता से ईशापु

[श्री स० म० बनर्जी]

ट्रांस्फर कर के निकाल दिया गया और तीसरे को एम० ई० एस० चकेरी में ट्रांसफ़र कर के निकाल दिया गया ।

यहां पर मुरादनगर की बात कही गई है । १५ सितम्बर, १९५६ को तमाम हिन्दुस्तान में छंटनी के खिलाफ हड़ताल हुई । हड़ताल के बाद टैम्पोरेरी सर्विसिज़ रूल्ज़ (अस्थायी सेवा नियम) के रूल ५ के मातहत आठ आदमियों को निकाल दिया गया । अगर आप उस रूल को देखें, तो आप को ताज्जुब होगा । अगर किसी को निकाला जाय, तो कोई रीज़न नहीं बताया जा सकता है । तमाम जगहों में नो विक्टिमाइज़ेशन का आश्वासन मिला और कहा गया कि देयर विल बि नो विक्टिमाइज़ेशन आफ़टर दि एंड आफ दि स्ट्राइक (हड़ताल की समाप्ति के बाद किसी को भी शिकार नहीं बनाया जायेगा), लेकिन उस के बाद क्या हुआ ? उन लोगों को निकाल दिया गया । आज भी उन के घरों में फ़ाकाकशी की नौबत है । मैं कहना नहीं चाहता लेकिन हमारे पुराने डिफ़ेन्स मिनिस्टर साहब—एम० डी० ओ० साहब—के ज़माने में मैं ने देखा कि जो आदमी इंडियन नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बन्धित नहीं होता था, तो उस की नौकरी खतरे में पड़ जाती थी । वे आशा करते थे कि सब हमारी लाइन को टो (नीति पर चलें) करें । टेलीफ़ोन पर आर्डर इशू किये गये कि इस आदमी को ट्रांस्फ़र कर दो, इस को डिस्चार्ज कर दो, इस को डिसमिस कर दो । अगर इस मामले की खुली जांच की जाय, तो डिफ़ेन्स मिनिस्ट्री इस बात की साक्षी है कि कितना अन्याय और अत्याचार उन गरीब मज़दूरों पर हुआ है । हम अपने कांस्टीच्यूशन (संविधान) में उन लोगों के एसोसियेशन बनाने या यूनियन बनाने के हक को गारण्टी करते हैं, लेकिन उन के इन राइट्स (अधिकारों) को बुरी तरह कुचला गया ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सिर्फ़ डिफ़ेन्स मिनिस्ट्री का सवाल नहीं है, दूसरी मिनिस्ट्रीज़ में भी यही हालत है । डायरेक्टर आफ़ मैप पब्लिकेशन (मानचित्र प्रकाशन निदेशक) के आफ़िस में, जो कि मिनिस्ट्री आफ़ साइंटिफ़िक रिसर्च (वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय) के अंडर है, एक आर्डर निकाला गया कि क्लास फोर (चौथा श्रेणी) का कोई भी आदमी यूनियन का मेम्बर नहीं बन सकता है । वहां पर दो आदमियों को निकाला गया—विक्टिमाइज़ किया गया ।

आज़ादी मिलने के बाद १९४७ में हमारे हरदिल-अजीज़ प्रधान मंत्री कलकत्ता में गये, तो वहां के एक एम्पलाई—एस० सी० दास—ने कहा कि आधे दिन की छुट्टी हो जानी चाहिए । जब सरवेयर जनरल ने उस बात को मन्जूर नहीं किया, तो उस ने मज़दूरों से कहा कि हम अपने देश के प्रधान मंत्री को देखना चाहते हैं, प्रधान मंत्री की शक्ल में उन का पहला दर्शन करना चाहते हैं । बाद में उस पर इनसाइटिंग इल्लीगल स्ट्राइक (अवैधानिक हड़ताल उकसाने) का चार्ज लगा कर उस को निकाल दिया गया । मैं चाहता हूं कि आप इस तरफ देखें । गोपालन साहब ने काफी चीजें आपके सामने रखी हैं । मैं आपके सामने एक दो केस रखना चाहता हूं और बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से लोगों को निकाला गया है । एक एन० वी० नारायण नम्बियार जोकि कानपुर में पोस्ट आफिस में क्लास फोर सर्वेंट था, उसको इस बिना पर निकाल दिया गया कि वह रिहर्सल करने के लिए उस ड्रामे का जिस का शीर्षक "रेंट एरियर" ("शेष किराया") था गया । यह कहा गया कि यह कम्युनिस्ट ड्रामा था और वह इसमें कैसे भाग ले सकता था । उसको कहा गया कि तुम गवर्नमैंट सर्वेंट हो एंड यू आर स्पोज्ड टू बी ए लायल सर्वेंट । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस ड्रामा को एक फेमस कांग्रेस जर्नल में भी पब्लिश किया गया था । अगर आप इन सब चीज़ों पर गौर करें तो इससे मुझे बड़ी खुशी होगा । इन चीज़ों पर गौर करने के लिए एक ट्रिब्यूनल की आवश्यकता है या नहीं, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा । मैं समझता हूं कि इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है । इसको बनाने के बहुत से

रीज़न (कारण) मौजूद हैं। आप यह न समझें कि यह चीज़ चूंकि विरोधी दल की ओर से रखी जा रही है, इस वास्ते इसको पास नहीं किया जा सकता है। आपका बहुमत है, इस चीज़ को मैं मानता हूं। लेकिन आपको इंसाफ करना चाहिए। मैं आपको एक सीता राम का केस भी बतलाना चाहता हूं जोकि पोस्ट एंड टेलिग्राफ आफिस इलाहाबाद में काम करता था। यह भी एक बीता हुआ केस है। उसको सन् १९४८ में ससपेंड (मुअतिल) किया गया और १९५३ में डिसचार्ज (पदच्युत) किया गया जब वह अदालत में गया तो वहां पर वह जीत गया। लेकिन आज भी उसको नौकरी पर बहाल नही किया गया है और वह फाकाकशी की ज़िन्दगी बसर कर रहा है। हमारे प्रधान मंत्री बड़े हर दिल-अजीज़ हैं और हम सब की उन पर श्रद्धा है। उनकी हर जगह इज्ज़त की जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह इन मामलों को देखें और इन को समझने की कोशिश करें। ये वही मुलाज़िम हैं जिन के सहारे देश की हकूमत चल रही है और उन से यह आशा की जाती है कि वे अच्छी तरह से और ईमानदारी से अपना काम करें। आज द्वितीय पंचवर्षीय योजना तथा दूसरी स्कीम्स को कामयाब बनाने के लिए इनके सहयोग की अपेक्षा की जाती है और इनको कहा जाता है कि वे इस काम में योग दें। ऐसी हालत में उनको फाकाकशी करने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है और उनके केस पर क्यों सहानुभूति से विचार नहीं किया जाता है। आज जो ट्रिब्यूनल की मांग की जा रही है क्यों इस पर एतराज़ पेश किये जाते हैं।

अब मैं जो कानून आप ने बना रखे हैं उन के बारे में थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहता हूं। आज हमें यह देखना है कि क्या हमने लोगों को फ्रीली अपने आइडियास एक्सप्रेस (स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार व्यक्त) करने का तथा स्पीच देने का अधिकार दे रखा है या नहीं। हम ने कहा कि फ्रीडम आफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। मैं एक केस का हवाला देना चाहता हूं और उसके बारे में जो हाई कोर्ट की जजमेंट है उसको पढ़ना चाहता हूं। यह केस कृष्ण चन्द्र चटर्जी का है जिसको डिसमिस कर दिया गया था इस वजह से कि उसने कोई पर्चा या लीफलेट निकाला था जिस में उसने कुछ आरोप लगाये थे या अपनी मांगों के बारे में कुछ लिखा था। उसको कहा गया कि उसने गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स (सरकारी कर्मचारी आचरण नियम) के रूल २१ की खिलाफवर्ज़ी की है। उसने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की। इसका फैसला १९५४ में हुआ और अपने फैसले में जस्टिस सिन्हा ने जो कुछ लिखा वह मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा था कि पदच्युति का आदेश रद्द किया जाता है और यह भी कि वे अभियोग बिलकुल अस्पष्ट और अनिश्चित थे।

बाद में उन्होंने लिखा था कि वे अभियोग संविधान में की गई भाषण और व्यक्तीकरण की स्वतंत्रताओं के अनुकूल नहीं थे।

यह जजमेंट कोई अपोज़िशन के मैम्बरों का नहीं है या उनका लिखा हुआ नहीं है। यह एक जज का लिखा हुआ है जिस को आप इन्साफ का प्रतीक मानते हैं। इन रूल्स को आपको बहुत पहले बदल देना चाहिये था। ये ब्रिटिशर्स ने हम पर हकूमत करने के लिए बनाये थे और आज भी ये उसी तरह से चले आ रहे हैं। मैंने जब यहां पर एक सवाल किया और पूछा कि क्या इन रूल्स में कोई तरमीमें की जा रही हैं, तो हमारी राष्ट्रीय सरकार की ओर से यह जवाब दिया गया कि जी नहीं "इट इज़ नाट प्रोपोज्ड" ("ऐसा विचार नहीं है")। मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स, आफिशल सीक्रेटस एक्ट इत्यादि जो ये तमाम चीज़ें हैं इन सब में परिवर्तन होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि आप लोगों की भलाई के लिए और जमहूरी उसूलों पर सरकार को चला रहे हैं। लोगों को

[श्री० स० म० बनर्जी]

विश्वास नहीं होगा कि आप समाजवाद की ओर जा रहे हैं और इस लक्ष्य को आप सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो ट्रिब्यनल की मांग है जिसको कि मैं सपोर्ट (समर्थन) कर रहा हूं इस पर आप तथा हमारे रेलवे मिनिस्टर तथा हमारे प्रधान मंत्री संजीदगी के साथ गौर करें और इसको मंजूर करें। इसके बगैर आप उन सरकारी मुलाजिमों को कैसे जोकि भख हड़ताल पर हैं, जोकि फाकाकशी कर रहे हैं, इत्मीनान दिला सकते हैं।

अन्त में मैं एक बार फिर बड़े ज़ोरदार शब्दों में दरख्वास्त करता हूं कि आप इस सवाल पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करें कि किस तरह से आपको देश को आगे ले जाना है, किस तरह से आपको देश की योजनाओं को कामयाब बनाना है, किस तरह से आपको समाजवाद इस देश में लाना है और इन सब के अनुरूप ही आपको आचरण करना चाहिए।

†**श्री गतांमणि** : (मदुरै) मैं इस संकल्प पर एक संशोधन प्रस्तुत कर चुका हूं।

मेरे संशोधन का आशय यही है कि हम एक कालावधि निर्धारित कर देनी चाहिये और केवल उसमें होने वाली पदच्युतियों आदि के मामलों पर विचार किया जाये। साथ ही, न्यायाधिकरण को इस वर्ष के अन्त के पहले अपनी उपपत्तियों को प्रकाशित कर देना चाहिये।

१९४८ से ही राष्ट्रीय सुरक्षा का परित्राण नियम और सरकारी कर्मचारी आचरण नियम की व्यवस्थाओं को कार्मिक संघों के विरुद्ध मनमाने ढंग से प्रयुक्त किया जा रहा है। हां, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस को इस से बचाया गया है। सारी कार्यवाही आल इंडिया ट्रेड यनियन कांग्रेस और हिन्द मज़दूर सभा के विरुद्ध ही हुई है।

रेलवे श्रमिक संघ के ऐसे लगभग २० सक्रिय कार्यकर्ताओं को एक-न-एक बहाने से निकाल या मुअत्तिल कर दिया गया है।

मैं बताता हूं कि उन पर किस प्रकार के अभियोग लगाये जाते हैं। अनन्त नारायणन् का मामला उच्च न्यायालय में पेश हुआ था।

†**गृहकार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : एक औचित्य प्रश्न है। मैं समझता हूं कि आपने एक नियम बना दिया है कि जब भी माननीय सदस्य अपने तर्क के समर्थन में कुछ मामलों का उल्लेख करें, तो वे उन मामलों को हमें बता दें जिससे कि हम उन व्यक्तिगत मामलों की जांच कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर उनके सम्बन्ध में उत्तर दे सकें।

आप जानते हैं सरकारी कर्मचारियों की संख्या कई लाख है और जहां-तहां पदच्युतियां या सेवा की समाप्ति के मामले भी हो सकते हैं। ऐसे सभी मामलों में, सरकार के प्रति एक न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए, यही अच्छा होगा कि हमें उसकी पूर्व-सूचना दे दी जाये। मेरा विश्वास है कि अध्यक्ष महोदय ने यही विनिर्णय किया था, जिससे कि हम सभा के सामने उस मामले का दूसरा पहलू भी पेश कर सकें।

†**श्री तंगामणि** : मैं जो मामले बताने जा रहा हूं उनमें से बहुत से सरकार के पास भेजे जा चुके हैं, और उनके साथ ही मैं सरकार द्वारा दिया गया उनका उत्तर भी पढ़ कर सुनाऊंगा।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय मंत्री की बात से सहमत हूं। एक बार पहले ऐसा नियम बनाया जा चुका है। यदि ऐसे मामलों की पूर्व-सूचना भी सरकार को दे दी जाये, तो माननीय मंत्री के लिये बिना किसी तैयारी के उनका उत्तर देना सम्भव नहीं होगा। उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी। और यदि वे उत्तर न दे पायेंगे, तो जनता में यह विचार पैदा होगा कि सरकार के पास उनका उत्तर नहीं है। इसलिये, या तो सरकार को बाद में उनके उत्तर सभा-पटल पर रख देने चाहियें, या फिर उत्तर देने के लिये कुछ समय मांग लेना चाहिये। मैं उनकी कठिनाई समझता हूं। श्री अ० क० गोपालन ने ऐसे मामले सभा-पटल पर रख ही दिये हैं। मैं माननीय मंत्री से यह आशा नहीं करता कि वे तत्काल ही उनका उत्तर दे दें।

†**श्री तंगामणि** : मैं यह सभी उदाहरण अपनी बात को सिद्ध करने के लिये, उदाहरण के तौर पर, कह रहा हूं। वास्तव में आवश्यकता तो इस बात की है कि इनकी जांच के लिये एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाये। अब इस में व्यक्ति का महत्व नहीं रह गया है। न्यायाधिकरण सभी आरोपों और अभियोगों की जांच कर लेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह तो सही है कि इन मामलों की जांच के लिये न्यायाधिकरण की मांग की जा रही है, लेकिन जब तक सरकार को इस बात का संतोष न हो जाये कि ये मामले बिल्कुल उसी प्रकार के हैं जैसे कि पेश किये जा रहे, तब तक वह इस समय कोई ठीक ठीक उत्तर कैसे दे सकेगी। इसलिये, माननीय मंत्री को इतना अवसर तो मिलना ही चाहिये कि वह विभागों से पता लगा सकें कि वैसा अन्याय हुआ भी है या नहीं। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

†**श्री तंगामणि** : मैं आपको एक आरोप बताना चाहता हूं जो दक्षिण रेलवे के एक कर्मचारी अनन्त नारायणन् पर लगाया गया है। ये आरोप मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय में दिये गये हैं। उस पर आरोप था कि वह भारतीय कम्युनिस्ट दल और कम्युनिस्ट-नियंत्रित दक्षिण रेलवे मज़दूर यूनियन का सदस्य था और उसने कम्युनिस्ट पत्रों में भारत सरकार की आलोचना के लेख लिखे थे और कम्युनिज्म का प्रचार किया था और चुनावों में कम्युनिस्ट दल के उम्मीदवारों के पैसे इकट्ठे किये तथा उनके पक्ष में प्रचार किया था।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य पढ़ कर सुना रहे हैं ?

†**श्री तंगामणि** : मैं निर्णय में से पढ़ रहा हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या निर्णय की प्रति प्रमाणीकृत है ?

†**श्री तंगामणि** : यह एक समाचार में से है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यही तो कठिनाई है। सरकार कह सकती है कि इस बात से संतुष्ट नहीं है कि.....

†**श्री श्री अ० डांगे** (बम्बई नगर—मध्य) : क्या भविष्य के वाद-विवादों में हमें कोई भी तर्क देते समय यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सरकार ठीग ढंग से उसका उत्तर देने की स्थिति में हो ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे कथन का यह तात्पर्य नहीं है। खैर माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**श्री तंगामणि** : उच्च-न्यायालय के निर्णय के बाद श्री अनन्त नारायणन् को पुनः नियुक्त तो कर दिया गया है, लेकिन उनको तंग किया जा रहा है और दस दिन के अन्दर उनको एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित किया गया है ।

पैराम्बुर कारख़ाने के श्री देसीकन पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने कम्युनिस्ट दल की इकाई द्वारा तैयार किया हुआ एक पैम्फलेट अपने नाम से निकाला था और उसमें प्रशासन पर दोषारोपण किये गये थे । इसी पर उसे निकाल दिया गया है । तीन-चार ऐसे मामलों में तो मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पुनः नियुक्ति का आदेश पाने के बाद, कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करके फिर से अनुच्छेद ३११ के खण्ड (३) के अन्तर्गत विशेष शक्तियों का प्रयोग करके निकाल दिया गया है । उसकी अपील भी नहीं की जा सकती । इस प्रकार उच्च न्यायालय के आदेश को भी विफल बना दिया जाता है ।

चार मामले ऐसे भी हैं जिनमें बम्बई उच्च न्यायालय ने ऐसे कर्मचारियों की पदच्युति अवैध करार दी थी, लेकिन उन्हें आज तक पुनः नियुक्त नहीं किया गया है ।

कलकत्ता के स्यालदा स्टेशन पर मज़दूरों की एक टोली ने २१-२-५७ को बचाव के उपायों के बिना काम करने से इन्कार कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें काम करने पर विवश किया गया था । उसी के फलस्वरूप होने वाली दुर्घटना में एक मज़दूर की मृत्यु हो गई थी और कई घायल हो गये थे । इस दुर्घटना की जांच की मांग करने पर मज़दूरों पर अनुशासन की कार्यवाही की गई है । जब इन से काम नहीं चलता, तो राष्ट्रपति की विशेष शक्तियों का प्रयोग किया जाता है ।

सरकार कार्मिक संघों को मान्यता देने की नीति तो घोषित करती है, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार उनको शिकार बनाती है ।

इन मामलों के सम्बन्ध में लिखापढ़ी करने पर सरकार सदा यही उत्तर दे देती है कि सरकार उन पर विचार कर रही है । कई मामलों पर तो सरकार २३ जुलाई, १९५४ से अब तक विचार ही कर रही है ।

मैं कहता हूं कि यही वे विचाराधीन मामले हैं जिन में सरकार ने सरासर अन्याय किया है । उनको इस डर से पुनः नियुक्त भी नहीं किया जा रहा है कि उससे सामान्य मज़दूरों को कार्मिक संघों में सम्मिलित होने को प्रेरणा मिलेगी ।

इस प्रकार मज़दूरों को शिकार बनाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये । कई उच्च न्यायालयों के निर्णयों के बाद भी केन्द्रीय सरकार ने उन निर्णयों को कार्यान्वित नहीं किया है । इसलिये अभी समय है कि सरकार इन कर्मचारियों के साथ न्याय करे । और क्योंकि यह सभी कर्मचारी बहुत प्रवीण हैं इसीलिये मेरा विचार है कि यह संकल्प बड़ा उचित है कि इनका मामला न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती** :(बसिरहाट) मैं सभा के सामने दो तीन मामले प्रस्तुत करना चाहती हूं । उन में से एक श्री कन्हैयालाल चटर्जी का है जो दक्षिण कलकत्ता के डाक तार डिवीजन में क्लर्क थे । उनको अचानक ही उनके सुपरिंटेन्डेन्ट ने एक पत्र दिया जो संचार मंत्रालय के मंत्री का था और जिसमें लिखा था कि देश की सुरक्षा के कारण उनको सेवामुक्त

†मूल अंग्रेजी में

किया जाता है। कुछ मास पूर्व रेलवे मंत्री ने कहा था कि उन्हें इस प्रकार के मामले बताये जायें और वह उनकी जांच करेंगे। मेरा विचार है कि संचार मंत्री भी इस मामले पर विचार करेंगे जिससे कुछ स्थानीय व्यक्तियों की रिपोर्ट पर किसी कर्मचारी का उत्पीड़न न किया जाये। इस व्यक्ति ने १७ वर्ष सरकार की सेवा की थी। इस मामले से स्पष्ट हो जाता है कि राजनैतिक कारणों से सरकारी कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जाता है।

दूसरा मामला सयालदाह स्टेशन का है। २१ फरवरी, १९५७ को एक डिब्बे के नीचे से कुछ मरम्मत करनी थी। कर्मचारियों ने बिना सुरक्षा व्यवस्था के उसकी मरम्मत करने से से इन्कार किया परन्तु प्रशासन ने खतरनाक स्थिति में भी ज़बरदस्ती उन्हें उसकी मरम्मत करने को बाध्य किया। अचानक मरम्मत के समय एक दूसरा डिब्बा उस डिब्बे से टकराया जिसके फलस्वरूप एक कर्मचारी मर गया और बहुत से घायल हो गये। जिलाधीश ने उसकी जांच की और डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट के सामने उन्होंने लिखा कि कर्मचारियों की कोई गलती न होने के कारण उनको दण्ड नहीं दिया जाना चाहिये। परन्तु फिर भी उनकी सेवा की निरन्तरता भंग कर दी गई और दण्ड दिया गया। जब कुछ कर्मचारियों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई तो उन पर भड़काने का दोषारोपण किया गया। इससे पता लगता है कि कर्मचारियों के प्रति पदाधिकारियों का बड़ा अनुचित व्यवहार है। इसलिये मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह इन सब मामलों पर गम्भीरता से विचार करें और कर्मचारियों के साथ उचित न्याय करें। इसलिये हमने यह मांग की है कि सरकार को इन मामलों को न्यायाधिकरण को जांच के लिये सौंप देना चाहिये।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : (मुकन्दपुरम्): जब संविधान सभा में अनुच्छेद ३११ पारित किया गया था उसी समय सदस्यों को डर था कि इसका दुरुपयोग किया जायेगा परन्तु उस समय सरकार ने इसका आश्वासन दिया था कि ऐसा नहीं होगा। १९५० में इसके लागू होने के पश्चात् इसके अधीन दिये गये अधिकारों के प्रयोग के लिये जो कारण बताये गये हैं वह पर्याप्त नहीं हैं। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिये सेवा सम्बन्धी आचरण नियमावली हैं और उसके अधीन, कर्मचारियों द्वारा किये गये किसी भी दुराचरण के लिये उनको दण्ड देने की व्यवस्था है तब मेरी समझ में नहीं आता कि इन उपबन्धों को लागू करना कहां तक उचित है। क्योंकि राष्ट्रपति इन अधिकारों का प्रयोग किसी छोटे पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ही करता है। इसलिये हमने यह उचित समझा कि मामले की पूरी जांच कराने के लिये और जिससे राष्ट्रपति भी इन अधिकारों का ठीक प्रयोग कर सकें इसके लिये एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति की जानी चाहिये। कर्मचारियों की पदच्युति के लिये बताये गये बहुत से कारणों में से एक कारण यह बताया गया कि कर्मचारी ने घास काटने से इन्कार कर दिया। क्या घास न काटने से देश को कोई खतरा था। बड़ी अजीब सी बात है। मेरे विचार से ९९.९ प्रतिशत मामलों में कारण राजनैतिक होते हैं।

इसलिये मेरी सरकार से अपील है कि जिनको सरकार के हित के कारण सेवामुक्त किया गया हो उनको अपनी बात कहने का अवसर दिया जाना चाहिये और कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये।

श्री काशीनाथ पांडे : (हाता) उपाध्यक्ष महोदय, जैसा इस प्रस्ताव पर बोलने वालों ने कहा है और कई उदाहरण भी दिये हैं कि फलां एम्प्लायी निकाल दिया गया और उसके मामले में यह जजमेंट हुआ। इस तरह से बोलते हुये उन्होंने आई० एन० टी० यू० सी० का भी नाम लिया

†मूल अंग्रेजी में

[श्री काशीनाथ पांडे]

है और कहा कि गवर्नमेंट खास तौर से आई० एन० टी० यू० सी० के साथ फेवर करती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि एन० ई० रेलवे में एक यूनियन ऐसी है जिसे गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती है। उसके जेनरल सेक्रेटरी कम्यूनिस्ट हैं और उसकी कार्यकारिणी में भी कुछ सदस्य ऐसे हैं जो कम्यूनिस्ट हैं। वहीं पर एक यूनियन ऐसी है जिसके प्रेजिडेंट यू० पी० सूबा कांग्रेस कमेटी के प्रेजिडेंट हैं, लेकिन रेलवे विभाग ने उसे रिकग्नाइज नहीं किया। इसलिये यह कहना कि चूंकि अमुक आदमी कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्ध रखता है इसलिये उसके साथ गवर्नमेंट के जरिये से खास तौर पर सलूक होता है मैं इसे मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी बैनर्जी साहब ने एक बात का उल्लेख किया और कहा कि उन को यह मालूम है कि फलां मिनिस्टर ने टेलिफोन पर क्या कहा। अब आप खुद समझ लीजिये कि अगर इस टेलिफोन की बात किसी आपरेटर ने बैनर्जी साहब से कहा है तो यह डिसिप्लिन है या इनडिसिप्लिन है। अगर उस आदमी के खिलाफ गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐक्शन होता है तो इस दुनियां के अन्दर और डिमाक्रेसी के जमाने में यह अन्याय नहीं कहा जा सकता। साधारण आदमी के लिये भी यह बात होती है, अगर मैं टेलिफोन से किसी से बात करूं, तो आपरेटर का फर्ज है कि वह किसी से भी उस बात को न कहे। फिर अगर कोई बात गवर्नमेंट कहती है और वह उस को कहता है तो यह कितनी बुरी बात है। तो या तो यह बात बिल्कुल गलत है कि इस तरह की कोई बात टेलिफोन पर हुई ही नहीं, और अगर हुई और कही गई तो उस एम्प्लायी के खिलाफ यदि ऐक्शन लिया जाय तो उसके साथ अन्याय किया जाना नहीं कहा जा सकता।

आज कल एक फैशन सा हो गया है कि जहां किसी बात से मजदूरों का ताल्लुक या सम्बन्ध हुआ, आई० एन० टी० यू० सी० का नाम जरूर लिया जाता है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि आई० एन० टी० यू० सी० गवर्नमेंट की सपोर्ट पर नहीं बढ़ती है, वह अपनी मेरिट पर बढ़ती है। जहां तक ट्रिब्यूनल का सवाल है, हम पहले से उस की मांग करते थे। आप तो ट्रिब्यूनल में विश्वास ही नहीं करते थे, आप लड़ाई में विश्वास करते थे। इस के बावजूद आपने देखा कि कंट्री के लोगों ने इस बात को महसूस किया हम वैधानिक तरीके से काम कर के ही अपनी यूनियन को इस्टैब्लिश कर सकते हैं न कि एक दम लड़ाई कर के और उस का नतीजा आप ने देखा। कि बावजूद आप की कोशिशों के आज आई० एन० टी० यू० सी० की स्ट्रेंथ १५ लाख है और आप की नौग्लिजिबल है। इस लिए यह कहना कि गवर्नमेंट.....

श्री स० म० बनर्जी: रिफरेंडम ले लीजिए।

श्री काशीनाथ पांडे: आप रिफरेंडम की बात करते हैं। जब गवर्नमेंट की तरफ से इन्क्वायरी होती है तो आप की मेम्बरशिप कम निकलती है। और रिफरेंडम भी हो गया है। रिफरेंडम के मामले में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे लोग रिफरेंडम की बात करते हैं? बड़े जोर जोर से चिल्लाते हैं कि कानपुर में ८० दिन का स्ट्राइक हुआ। मैं बतला देना चाहता हूं कि स्ट्राइक को लीड करने वाले जो कम्यूनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी थे वह एलेक्शन में हार गये और कांग्रेस के लोगों ने स्ट्राइक के खिलाफ कहा था, हम ने यह कहा था कि वहां पर एक कमेटी बननी चाहिए, वहां कांग्रेस का कैंडीडेट जीता है। यह रिफरेंडम तो अभी हो चुका है क्या अब दूसरा रिफरेंडम होना जरूरी है।

मैं यह कह देना आवश्यक समझता हूं कि किसी पार्टी या किसी यूनियन की मेम्बरशिप का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। जितनी आर्गेनाइज्ड यूनियनें या रजिस्टर्ड यूनियनें हैं उन की मेम्बरशिप

को देखा जाता है। कम्यूनिस्ट पार्टी की जो यूनियन है उस की मेम्बरशिप को भी देखा जाता है, आई० एन० टी० यू० सी० की मेम्बरशिप को भी देखा जाता है।

कई मर्तबा इस तरह की एन्क्वायरी हुई। यह भी साबित हुआ कि आप लोगों ने फ़रज़ी नाम पेश करने चाहे, लेकिन इस के बावजूद आप एन्क्वायरी में ठहर न सके। मैं यह बताना चाहता हूं कि आई० एन० टी० यू० सी० अपने काम करने के ढंग से आगे बढ़ती है। वह गवर्नमेंट की स्पोर्ट से आगे नहीं बढ़ती है। यह बात ज़रूर है कि चूंकि आप की यूनियन का पोलिटिकल एलायंस है कम्यूनिस्ट पार्टी के साथ, तो आई० एन० टी० यू० सी० एक पोलीटिकल आर्गनाइज़ेशन नहीं है, वह एक ट्रेड यूनियन आर्गनाइज़ेशन है और उस का पोलीटिकल एलायंस कांग्रेस के साथ है। कोई कितनी तालियां पीटे, इससे कुछ होता नहीं है। सारी दुनिया जानती है। तमाम प्रचार के बावजूद भी अब भी हिन्दुस्तान में सब से प्रमुख हाथ आई० एन० टी० यू० सी० का है और वह रहेगा। अगर आप लोग ग़लत बातों का प्रचार करते रहेंगे, तो आप ऐसे ही लूज़ करते रहेंगे। मैं इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मैं ने यह इसलिए कहा है कि चूंकि सदस्यों ने कहा है कि फ़लां आदमी चूंकि कम्यूनिस्ट पार्टी के साथ ताल्लुक रखता है, इस लिए उस के खिलाफ़ एक्शन लिया गया। उन सदस्यों को साथ ही साथ यह भी बतलाना चाहिए था कि क्या आई० एन० टी० यू० सी० के साथ रहने वालों के खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया।

श्री स० म० बनर्जी : नहीं हुआ है। आप बताइये।

श्री काशीनाथ पांडे : यह ग़लत बात है। मैं सुबूत पेश करूंगा। इसी तरह की बात जब आप ने कही, तो स्पीकर साहब ने कहा कि पहले आप को वह सूचना मिनिस्ट्री को देना चाहिये था। मैं आपकी तरह से काम नहीं करना चाहता हूं। मैं वे एग्ज़ाम्पल्ज़ मिनिस्ट्री के सामने रखूंगा। मिनिस्ट्री इस तरह से काम नहीं करती कि फ़लां (अमुक) आदमी आई० एन० टी० यू० सी० या कम्यूनिस्ट पार्टी के साथ है, इस लिये उस को रखा जाय या निकाला जाय। जिन बातों को आप ने यहां पर पेश किया है, हम उन के मेरिट के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि वे ठीक हैं या नहीं, क्योंकि हम ने इंडिविजुअल केसिज़ की जांच नहीं की है। मिनिस्ट्री आप को जवाब देगी। मैं समझता हूं कि आम सिद्धान्त यह है कि अगर हम सुचारु रूप से ड्यूटी की पाबन्दी करते रहें, तो सिर्फ इस लिये एक्शन नहीं लिया जा सकता कि हम कम्यूनिस्ट पार्टी के आदमी हैं या हम आई० एन० टी० यू० सी के आदमी हैं। जिन लोगों के काम में थोड़ी सी खराबी होती है, वहीं पर एक्शन लिया जाता है। इस सम्बन्ध में मुझे इससे ज्यादा निवेदन नहीं करना है।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं क्योंकि यह प्रशासन के सिद्धान्तों के विपरीत है। और जिन मामलों का यहां उल्लेख किया गया है उनके बारे में मंत्री महोदय भी बिना पूर्व सूचना के कुछ बताने में समर्थ नहीं होंगे।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इन मामलों के लिए न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाना चाहिए तथा मंत्री महोदय को स्वयं विचार करना चाहिए। इस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब विरोधी पक्ष को केवल न्यायाधिकरण पर ही विश्वास है तब उन्हें मंत्री महोदय से मामलों पर विचार करने को कहना ही नहीं चाहिए। प्रशासन में अनुशासन अवश्य रहना चाहिए। और हर एक मामले को यदि न्यायाधिकरण को सौंपा गया तो प्रशासन करना बड़ा कठिन हो जायेगा। हमें सरकार पर भी कुछ विश्वास करना चाहिए और छोटे छोटे प्रशासन के मामलों के लिए न्यायाधिकरण की नियुक्ति की मांग नहीं करनी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं इस समय विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था क्योंकि प्रत्येक मामले का उत्तर देना संभव नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार यह मामले यहां प्रस्तुत किये गये हैं वह ठीक नहीं है । गत सत्र में मैंने उस पक्ष की एक अपील पर यह कहा था कि मैं कुछ मामलों पर विचार करूंगा । मैं सभा को बताना चाहता था कि हम ने इन मामलों पर विचार प्रारम्भ कर दिया है और जहां हमने आदेशों में परिवर्तन करना उचित समझा, वहां हमने उनमें परिवर्तन किया है । मैं यही कहना चाहता था ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : सभा के समक्ष जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, वह बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाला है । और उसमें जो कुछ बताया गया है उस पर मेरे द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर विचार करना आवश्यक है । वे यह चाहते हैं कि कुछ व्यक्तियों का एक विशेष न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाना चाहिए जो कुछ कर्मचारियों के मामलों पर पुनः विचार करे । कुछ नियमों का निर्देश किया गया और यह बताया गया कि पदच्युति अथवा सेवा समाप्ति के सभी मामलों पर पुनः विचार किया जाना चाहिए ।

हमें इस पर विचार करना है कि क्या विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है उससे यह उचित हो जाता है कि पदच्युति और सेवामुक्ति के मामलों पर पुनः विचार किया जाये । उन्हें सभा को संतुष्ट करना चाहिये कि जो नियम बनाये गये हैं तथा संविधान के अनुसार हैं, उनका ग़लत प्रयोग किया गया है अथवा इन पदच्युतियों और सेवामुक्तियों में सरकार ने कुछ अनुचित काम किये हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ उदाहरण दिये । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने विचारों के अनुसार मामलों को प्रस्तुत किया है । मुझे यह जान कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि साम्यवादी दल के नेता ने मामला इस प्रकार पेश करने का प्रयत्न किया कि सरकार उत्तर न दे सके । यह एक बड़ा ग़लत सिद्धान्त है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप इससे सहमत होंगे कि जब सभा म कुछ मामलों का उल्लेख होता है तो यह इकतरफा ही होता है क्योंकि सरकार को इन मामलों की जांच का समय नहीं मिलता और समझा यह जाता है कि सरकार उत्तर नहीं दे सकी । इसलिये मैं एक सामान्य बात कहूंगा कि जो भी मामले, चाहे वह रेलवे के हों अथवा अन्य किसी मंत्रालय के हों, इकतरफा ही यहां पेश किये जाते हैं और सरकार को इनकी जांच का अवसर नहीं मिलता । इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह इन मामलों पर ध्यान न दें ।

संकल्प में कई नियमों के सम्बन्ध में कहा गया है । केन्द्रीय असैनिक सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षण) नियम १९५३, सरकारी कर्मचारी आचरण नियम तथा भारतीय रेलवे स्थापना संहिता के नियम १७०८ । मैं क्रमवार इनके सम्बन्ध में कहूंगा ।

इन नियमों में से सबसे पहले नियम १९४९ में बनाये गए थे । १९५३ में इन नियमों का पुनरीक्षण किया गया जिससे कर्मचारी को भी स्पष्टीकरण का अवसर मिले । इन नियमों के अतिरिक्त अनुच्छेद ३११ में दिया है :

> "जो व्यक्ति संघ की असैनिक सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य है, अथवा संघ के या राज्य के अधीन असैनिक पद को धारण करता है, वह अपनी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से निचले किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जायेगा अथवा पद से हटाया नहीं जायेगा ।

---

† मूल अंग्रेजी में

उपर्युक्त प्रकार का कोई व्यक्ति तब तक पदच्युत नहीं किया जायेगा, अथवा पद से नहीं हटाया जायेगा, अथवा पंक्तिच्युत नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके बारे में प्रस्थापित की जाने वाली कार्यवाही के खिलाफ कारण दिखाने का युक्तियुक्त अवसर उसे न दे दिया गया हो।"

एक परन्तुक भी है जिसमें दिया हुआ है कि कुछ मामलों में यह खण्ड लागू नहीं होगा।

"जहां किसी को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्तिच्युत करने की शक्ति रखने वाले किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जायेगा, वह युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य नहीं है कि उस व्यक्ति को कारण दिखाने का अवसर दिया जाये; अथवा

जहां यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख का समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह इष्टकर नहीं है कि उस व्यक्ति को अवसर दिया जाये।"

ऐसे मामलों में अवसर नहीं दिया जाता है। और ऐसे मामलों में राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल का निर्णय अनुच्छेद ३११(३) के अनुसार अन्तिम होगा।

जैसा मैंने बताया, सबसे पहले यह नियम १९४९ में बनाये गये थे और १९५३ में इनका रूपभेद किया गया।

साधारण मामलों में, जहां वैभागीय कार्यवाही होती है, व्यक्ति को एक अवसर दिया जाता है और वह जैसा चाहे वैसी स्वयं जांच कर सकता है। परन्तु ऐसे मामलों में जहां देश की सुरक्षा का प्रश्न निहित होता है वहां खुली जांच करना देश के हित में नहीं होता। इसी कारण यह नियम लागू किए गए थे। इस समय मैं यह बताऊंगा कि जहां तक इन अधिकारों के प्रयोग का सम्बन्ध है वह बहुत कम प्रयोग में लाये जाते हैं। इसी बारे में, मैं सभा को संतुष्ट करना चाहता हूं।

१९५० तथा १९५५ के बीच के छः वर्षों में, रेलवे सेवाओं के अतिरिक्त, केन्द्रीय सेवाओं के कितने मामले थे? कुल ४० मामले थे जिनके सम्बन्ध में परामर्शदात्री समिति को निर्देश किया गया था। इस समिति में वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जो मामले की जांच करते हैं और उस मंत्रालय से सम्बन्धित मंत्री व्यक्तिगत रूप से उन मामलों पर विचार करता है। संतुष्ट हो जाने के पश्चात् वह पदाधिकारी सेवा से हटाया जाता है।

मैंने बताया कि सरकार किस प्रकार इसका ध्यान रखती है कि सरकारी कर्मचारियों के हितों की समुचित सुरक्षा हो सके। छः वर्षों में ४० मामलों में परामर्शदात्री समिति को निर्देश किया गया। समिति ने सिफारिश की, कि उपयुक्त कार्यवाही की जाये और २१ मामलों में उपयुक्त कार्यवाही की गई। माननीय सदस्य को यह समझना चाहिये। जहां तक रेलवे सेवाओं का सम्बन्ध है, संभवतया संख्या १० लाख है। और अन्य सेवाओं में ७ तथा ८ लाख के बीच है। इन ७ तथा ८ लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने यह आवश्यक समझा कि ४० मामलों को समिति को सौंपा जाये और समिति की सिफारिश पर २१ मामलों में कर्मचारियों को सेवा से हटाया गया। इस प्रकार आपको जानकारी होगी कि छः वर्षों में, देश की सुरक्षा के कारण सरकार को इतने कम मामलों में ऐसी कार्यवाही करनी पड़ी।

आप इससे सहमत होंगे कि जहां तक इन नियमों का सम्बन्ध है सरकार ने इनका बहुत ही गंभीर परिस्थितियों में प्रयोग किया है। यदि हर वर्ष के अलग अलग आंकड़े लिए जायें तो १९५०

[श्री दातार]

में ७ मामलों पर कार्यवाही की गई। १९५१ में ६ मामलों पर, १९५२ में १ मामले पर, १९५३ में ३ मामलों पर, १९५४ में ४ मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई।

माननीय सदस्य को यह भी समझना चाहिए कि जब भी किसी व्यक्ति को सेवा से हटाने की कार्यवाही की गई तब उसके सेवा से हटा देने के पश्चात् और कोई अन्य कार्यवाही उसके विरुद्ध नहीं की गई अन्यथा कभी कभी उससे गंभीर परिणाम हो सकते थे। परन्तु सेवा से हटने के पश्चात् भी वह उपदान, निवृत्ति वेतन आदि का अधिकारी होता था। दूसरे शब्दों में, वह निवृत्ति प्राप्त कर्मचारी को प्राप्त सभी लाभों का अधिकारी था। इन राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों के अधीन दिए गए आदेश केवल सेवा से हटाने के ही होते हैं। सभा को यह समझना चाहिए।

सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के बारे में निर्देश किया गया। सरकारी कर्मचारी आचरण नियम सरकारी पदाधिकारियों तथा सरकारी नौकरों के आचरण का विनियमन करते हैं परन्तु उनके विरुद्ध कार्यवाही केन्द्रीय असैनिक सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियमों के अन्तर्गत ही होता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार सरकार सेवा की शर्तों को निर्धारित कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने इसको स्वीकार कर लिया है। इसलिए हमको नियमों का उद्देश्य समझना चाहिए।

प्रायः मूलभूत अधिकारों विशेषतया भाषण तथा वक्तृता के अधिकारों का निर्देश किया गया। हमें समझना चाहिए कि अनुच्छेद १९ पर विचार करते समय, हमें उसके विभिन्न परन्तुकों अथवा अपवादों पर भी ध्यान देना चाहिए जिनमें बताया गया है कि राज्य, देश में शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए कुछ नियंत्रण लगा सकता है। संविधान में सेवा के अध्याय में यह भी दिया है कि सरकारी नौकरों के नागरिकता के अधिकार छीन लिए जाते हैं। और ऐसा करना सेवा में अनुशासन के कारण आवश्यक भी है। सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों में यह भी दिया हुआ है कि सरकारी कर्मचारी किसी राजनैतिक दल का सदस्य नहीं हो सकता है। मेरे मित्र श्री गोपालन को समझना चाहिए कि सभी सरकारी कर्मचारियों को किसी भी राजनैतिक दल से सम्बन्ध नहीं रखने चाहिए। हमने उसमें यह भी दिया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को सरकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको दण्ड दिया जा सकता है। दण्ड के कितने ही प्रकार बताये गये हैं और मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि विभागीय जांच बहुत स्पष्ट रूप में की जाती है। उस व्यक्ति को पूरी तरह सुना जाता है। एक जांच पदाधिकारी इन सब बातों पर विचार करता है। जब मामला उच्चाधिकारी से सम्बन्धित होता है, तब प्रतिवेदन प्राप्त होने पर हमें संघ लोक सेवा आयोग से भी परामर्श लेना पड़ता है। माननीय सदस्यों को इस व्यवस्था को समझना चाहिए। इन सभी मामलों में हम संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के अनुसार कार्य करते हैं। यदि हम सिफारिशें स्वीकार नहीं करते हैं तो हमें सभा पटल पर एक ज्ञापन रखना पड़ता है, जिसमें कारण बताया जाता है। अन्य सेवाओं में जहां नियुक्ति अथवा सेवायें समाप्त करने वाला अधिकारी राष्ट्रपति न हो, वहां पर दंडित अधिकारी इन नियमों के अधीन राष्ट्रपति से अपील पर सकता है। उस समय भी हम नियमों का पालन करते हैं और संघ लोक सेवा आयोग की सलाह मांगते हैं। तब राष्ट्रपति प्रारम्भकारी अथवा अपीलीय पदाधिकारी के रूप में अन्तिम आदेश देता है। अर्थात्, जहां तक सामान्य नियमों का प्रश्न है हम न्याय के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं। उक्त सभी मामलों में भारत सरकार ने पूर्ण सावधानी बरती है।

अस्थायी सेवाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय सेवायें (अस्थायी सेवा) नियमों का भी उल्लेख किया गया है। नियम ५ में सरकार को पूर्णतः अस्थायी व्यक्तियों को नौकरी से हटाने की शक्ति दी गई है।

वस्तुतः इन नियमों का प्रयोजन उन सरकारी नौकरों को कुछ विशेष अधिकार देना है जो बहुत समय से सरकारी नौकरी में हैं किन्तु स्थायी नहीं हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों को अर्द्धस्थायी सरकारी कर्मचारी कहते हैं। उन्हें कुछ अधिकार दिये गये हैं। किन्तु नियम ५ केवल अस्थायी सरकारी कर्मचारियों से ही सम्बन्धित है। कुछ विभागों में कर्मचारियों को अस्थायी आधार पर ही नियुक्त करना होता है। वहां सरकार को बिना आवश्यक प्रक्रिया पूरी किये उनकी नौकरियों को समाप्त करने का अधिकार भी होना चाहिये। लेकिन उन कर्मचारियों पर नियम संख्या ५ लागू नहीं होता है। इस सम्बन्ध में नियमों की भावना को समझना चाहिये। वे उन अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिये हैं जो तीन वर्ष से अधिक समय से सरकारी नौकरी में हैं। उन्हें अर्द्ध-स्थायी सरकारी कर्मचारी कहते हैं।

अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रत्येक नियोजक सरकार को उन्हें नौकरी से हटाने का पूर्ण अधिकार होना चाहिये। विशेषतः जब अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत बड़ी है। हम उन्हें या तो अर्द्धस्थायी बनाना चाहते हैं या स्थायी बनाना चाहते हैं। जहां ऐसा करना संभव नहीं हो वहां ऐसे व्यक्तियों को नौकरियों पर रखना बहुत खर्चीला और अनुचित होगा। इसलिये सरकार को उनकी सेवायें समाप्त करने का पूरा अधिकार होना चाहिये। कारण बताना आवश्यक नहीं है। छंटनी के कारण भी ऐसा किया जा सकता है।

तथापि हम न्याय के सिद्धान्तनुसार उन्हें या तो एक महीने का नोटिस देते हैं या उसके एवज में वेतन दे देते हैं। मेरे विचार से ये नियम पूर्णतः न्यायोचित हैं।

पदच्युत करने या नौकरी से हटाने के मामले बहुत थोड़े हैं। पदच्युत होने पर अपील करने का अधिकार होता है। इस सम्बन्ध में हमारी प्रक्रिया पूर्णतः उचित है। सरकारी कर्मचारी को जांच अधिकारी के समक्ष अपनी बातें रखने की पूर्ण छूट होती है। तब हम संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करते हैं और उनके अनुसार काम करते हैं।

रेलवे मंत्रालय के नियम भी गृह मंत्रालय द्वारा अन्य सेवाओं के लिये बनाये गये नियमों की तरह ही हैं। वहां भी ऐसे मामलों की संख्या अधिक नहीं है। वहां भी यही प्रक्रिया अपनायी गयी। जैसा कि रेलवे मंत्री ने अभी बताया है कि उनकी यह हार्दिक इच्छा रही है कि किसी पर अन्याय न हो।

इन स्थितियों में मैं सभा से निवेदन करूंगा कि नौकरी से हटाने या पदच्युति के उन हजारों मामलों पर पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन सभी मामलों पर उचित कार्यवाही ही की गई है। सभी मामलों पर पुनर्विचार भी नहीं किया जा सकता है। अस्थायी कर्मचारियों की सेवायें आवश्यकतानुसार समाप्त करनी पड़ती हैं। अन्यथा अत्यधिक व्यय हो जायेगा, अतः इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

राष्ट्रीय सुरक्षा का परिणाम नियमों के अधीन नौकरी से हटाने पर जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है वह भी पूर्णतः न्यायोचित है। हम उसका पालन करते हैं। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के हित की अवहेलना नहीं कर सकते हैं।

[श्री दातार]

संविधान के अनुच्छेद ३११ के अधीन भी हमें यह शक्तियां प्राप्त हैं। आवश्यकता होने पर राष्ट्रीय सुरक्षा का परिमाण नियमों का सहारा न लेकर भी हम संविधान की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

इस प्रकार मामलों पर पुनर्विचार करने के पक्ष में कोई तर्क नहीं दिया गया है और न कर्मचारियों को गलत कारणों से नौकरियों से हटाये जाने के सम्बन्ध में ही कुछ कहा गया है। इसलिये सभा को इस संकल्प को अस्वीकार कर देना चाहिए।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या सरकार उक्त नियम ५ के अधीन सेवायें समाप्त करते समय कनिष्ठता के क्रम के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है ?

†**श्री दातार** : यह सिद्धांत सभी मामलों में अपनाया जाता है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : पिछले तीन वर्षों में वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियमों के अधीन कितने गजटेड पदाधिकारियों की सेवायें समाप्त की गई हैं ?

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या युद्ध सामग्री कारखाने में छंटनी के समय नियम ५ का सहारा लिया गया था ? वस्तुतः ऐसा नहीं किया गया था। नियम ५ का सहारा कार्मिक संघों के कार्यकर्ताओं को हटाने के लिये ही लिया गया था। इस सम्बन्ध में खुली जांच होनी चाहिये।

†**श्री तंगामणि** : माननीय मंत्री ने १९५६ के पश्चात् से विलम्बित हुए मामलों की संख्या बताई है क्या वे १९४७ में पदच्युत हुए मामलों की संख्या भी बतायेंगे ?

†**श्री श्री० अ० डांगे** : क्या माननीय सदस्य पदच्युत हुए मामलों की यथार्थ संख्या देने की कृपा करेंगे, क्यों कि उन्होंने केवल यही कहा है कि ऐसे हजारों मामले हैं ?

†**श्री दातार** : मैं पहले श्री डांगे के प्रश्न का उत्तर देता हूं। मैंने हजारों मामले हुए ऐसा नहीं कहा था। संभव है अस्थायी सेवाओं सम्बन्धी नियमों के अधीन कुछ हजार मामले हुए हों। पदच्युतियां तो बहुत थोड़ी हुई हैं।

जहां तक खंड ५ के अधीन सेवाओं को समाप्त करने का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में श्री स० म० बनर्जी ने यह प्रश्न उठाया है क्या सामान्य प्रक्रिया अपनायी जाती है ? मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती है। सरकारी कर्मचारी संचालन नियमों के अधीन यह प्रक्रिया बहुत लम्बी होती है। वस्तुतः वे जो कुछ कह रहे हैं वह ठीक नहीं है। निःसंदेह सरकार सेवायें समाप्त करते समय नियम ५ को प्रयुक्त करना चाहेगी। लेकिन माननीय सदस्य ने जो कारण दिया है वह सही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं संकल्प को सभा में मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"इस सभा की यह राय है कि केन्द्रीय असैनिक सेवायें (राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षण) नियम, १९५३ सरकारी कर्मचारी आचरण नियम और भारतीय रेलवे स्थापना

---

†मूल अंग्रेज़ी में

संहिता के नियम, १७०८ के अन्तर्गत जिन जिन कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गई या जिन्हें पदच्युत किया गया या जिनको अनिश्चित काल के लिये मुअत्तिल किया गया उनके मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिये एक विशेष न्यायाधिकरण, जिसका सभापति उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश हो और जिस में सरकार और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य हों, नियुक्त किया जाये।"

सभा में मत विभाजन हुआ, पक्ष में ३५, विपक्ष में ८७।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

कास्टिंग परिणामों के प्रमाणीकरण सम्बन्धी आवश्यक योग्यता वाली परीक्षाओं को नियंत्रित करने के लिए एक संविहित निकाय की नियुक्ति

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णागिरि)। मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"इस सभा की यह राय है कि उपयुक्त व्यक्तियों को कास्टिंग (लागत लेखा परिणाम) के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार के प्रशिक्षण की सुविधायें दी जानी चाहियें और आवश्यक योगयता वाली परीक्षाओं के संचालन पर नियंत्रण और व्यवहारिक प्रशिक्षण के विनियमन तथा ऐसी परीक्षाओं में योग्यता प्राप्त सदस्यों के एक संविहित निकाय को स्थापित करने की कार्यवाही की जानी चाहिये तथा केवल ऐसे सदस्यों को ही औद्योगिक उपक्रमों के कास्टिंग परिणामों को प्रमाणित करने की अनुमति दी जानी चाहिये।"

प्राक्कलन समिति ने १९५३–५४ में जब आप स्वयं उसके सभापति थे अपने नवें प्रतिवेदन में इस बात की सिफारिश की थी कि प्रत्येक वणिज्यिक उपक्रम में लागत लेखापाल रहने चाहिये और वर्तमान लेखा प्रणाली में सुधार के लिये उनकी नियुक्ति को आवश्यक बताया था। इस विषय में आगे कुछ कहने से पूर्व मैं आपको संक्षेप में लागत व्यय के सम्बन्ध में बताऊंगा

लागत लेखा व्यापार प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण अंग है। लेखा दो प्रकार का होता है। एक तो वित्तीय लेखा और दूसरा लागत लेखा। वित्तीय लेखा का नियंत्रण करने के लिये सरकार ने अधिकृत लेखा चालों की संस्था स्थापित की है तथापि लेखा के इस द्वितीय अंग की अवहेलना कर दी गई है।

वित्तीय लेखे में यह बताया जाता है कि एक निश्चित अवधि में कितना व्यय अथवा आय हुई और तत्पश्चात संतुलन पत्र तैयार किया जाता है। संतुलन पत्र वर्ष की उस तारीख को तैयार, आधे तैयार माल की कीमत लगा कर बनाया जाता है। माल की कीमत का यदि यथार्थ अनुमान नहीं लगाया जाता है तो उससे संतुलन पत्र में गड़बड़ी हो सकती है। अतः इस सम्बन्ध में व्यापार में लगे हुए तथा तैयार या अर्द्ध तैयार माल का सही मूल्य लगाना आवश्यक है।

सरकारी क्षेत्र में महत्वपूर्ण उद्योगों को लिया जा रहा है। ये उद्योग गैर-सरकारी कारखानों के उत्पादों का प्रयोग करते हैं। साथ ही सरकार अपनी अधिकांश परियोजनाओं का कार्य ठेके पर देती है अतः टेंडरों की राशि उचित है अथवा नहीं यह जानने के लिये भी लागत लेखे की आवश्यकता होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नरसिंहन्]

इसलिये सभी बड़े औद्योगिक उपक्रमों के लागत लेखे को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये।

यह कार्य विधान बनाने से ही संभव है। इसलिये अधिकृत लेखापालों की संस्था की तरह लागत लेखापालों की एक अन्य संविहित संस्था भी बनानी चाहिये। इससे भी वही लाभ होगा जो उक्त संस्था से हो रहा है।

इस समस्या का हल दो तरीकों से हो सकता है। पहिला लागत लेखापालों की एक संविहित संस्था बनाई जाय जो ऐसे सभी लेखापालों के ऊपर नियंत्रण रखे तथा उन्हें ऐसे लेखाओं के प्रमाणीकरण का अधिकार देवे। दूसरे सभी बड़े वाणिज्यिक उपक्रमों के लिये यह अनिवार्य हो कि वे लागत लेखापालों की नियुक्ति करें तथा उनके द्वारा लेखों का यर्थाथ हिसाब रखें। इस प्रयोजन के लिये यदि आवश्यक हो तो अन्य अधिनियमों में संशोधन किया जा सकता है यह केवल प्रक्रिया का प्रश्न है। वस्तुतः उद्देश्य यह है कि लागत लेखापालों की एक संविहित संस्था अवश्य स्थापित की जाय।

प्राक्कलन समिति जो इसी सभा की एक समिति है तथा जिसके सुझावों का सरकार भी आदर करती है उसने स्वयं इसका सुझाव दिया है।

श्री मनुभाई शाह ने भी यह स्वीकार किया है कि हमारे यहां लागत लेखापालों की कमी है तथा प्रत्येक उपक्रम को लागत लेखापाल देने का प्रयत्न किया जा रहा है।

प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करते हुए वित्त मंत्री ने भी यह बताया है कि लागत लेखे की व्यवस्था के अभाव से सरकार यह निश्चित नहीं कर सकी है कि मोटर-गाड़ी उद्योग को कौन कौन सी रियायतें दी जावें।

पंच वर्षीय योजना के सिलसिले में हम करोड़ों रुपये व्यय कर रहे हैं और सरकार तेजी से उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है अतः लागत लेखा प्रणाली को शीघ्र लागू करना आवश्यक है जिससे हम यह जान सकें कि हम लाभ पर कार्य कर रहे हैं या हानि पर। सरकार द्वारा किये जाने वाले करोड़ों रुपयों का ठीक ठीक हिसाब रखने के लिये तत्काल लागत लेखा प्रणाली लागू करना आवश्यक है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वे इस संकल्प पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे।

†**अध्यक्ष महोदय :** संकल्प प्रस्तुत हुआ।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूँ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब पांच बज गये हैं इस विषय पर अब अगले दिन चर्चा होगी।

कार्य मंत्रणा समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, १८ नवम्बर, १९५७ के ग्यारह बज तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३६१–४०२
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
१७०	दिल्ली में चिड़िया घर	३७१–७२
१७१	पशु-प्रदर्शनीयां	३७२–७३
१७२	अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग	३७३–७४
१७३	गन्ना	३७५–७६
१७४	वन्य पशुओं का संरक्षण	३७६–७७
१७५	ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल	३७८–७९
१७६	दिल्ली में गन्दी बस्तियों का सुधार	३७९–८०
१७७	बेजवाड़ा-मसुलीपटम लाइन	३८१–८२
१७८	मैडिकल कालिजों में दाखिला	३८२–८४
२७९	कन्टाई नमक फैक्टरी	३८४–८५
१८०	प्रदीप पत्तन	३८५–८६
१८१	स्टेशनों पर विस्फोटों के बारे में जांच	३८६
१८४	कोचीन पत्तन	३८६–८८
१८५	गेहूँ के बीजों के प्रादेशिक भण्डार	३८९
१८६	विमान दुर्घटना	३८९–९०
१८८	कोल्हापुर हवाई अड्डे पर विवश अवतरण	३९०–९१
१८९	मनीपुर में भूमि संरक्षण	३९१–९२
१९२	ग्राम सेवक और सेविकायें	३९२–९४
१९३	हिमाचल प्रदेश में खाद्यान्न की कमी	३९४–९५
१९४	मैसूर में विद्युत शक्ति का सर्वेक्षण	३९५–९७
अल्प सूचना		
प्रश्न संख्या		
१.	कड्पा में मालगाड़ी की टक्कर	३९७–४०२
प्रश्नों के लिखित उत्तर		४०३–०४
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
१८२	यात्रा अभिकर्त्ता	४०३
१८३	नदी पर नाव-सेवा के भाड़े	४०३
१८७	दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में नाली-व्यवस्था	४०३–०४
१९०	विशाखपटनम की सूखी गोदी	४०४
१९१	भाखड़ा नंगल से दिल्ली, पंजाब और राजस्थान को बिजली का संभरण	४०४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर– (क्रमश)

तारांकित

प्रश्न संख्या

१९५ रेलवे कर्मचारियों के लिये पेंशन . . . ४०४
१९६ बंगाल में चावल का संभरण ४०४–०५
१९७ केरल में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिये निर्माण कार्य ४०५
१९८ भाखड़ा नंगल परियोजना के कोटला और गंगुवाल बिजलीघर ४०५
१९९ पशुओं के प्रति निर्दयता का निवारण . . . ४०५–०६
२०० कागज बनाना ४०६
२०१ दिल्ली की बस्तियों के लिए निर्माण-आयोजनायें . . ४०६
२०२ रेल-समुद्र समन्वय समिति . ४०६–०७
२०३ अन्दमान के वन . . ४०७
२०४ पेरम्बूर का सवारी-डिब्बे बनाने वाला कारखाना ४०७
२०५ दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन को नया रूप प्रदान करना ४०७–०८
२०६ बिहार में बरौनी में बिजलीघर . ४०८

अतारांकित

प्रश्न संख्या

२२६ वायु अनुकूलित डिब्बे ४०८–०९
२२७ पूर्वोत्तर रेलवे पर दावे ४०९–१०
२२८ रेलवे लाइनें . . . ४१०
२२९ रेल के इंजन . . . ४१०
२३० कांगड़ा घाटी में रेल-मार्ग . . ४११
२३१ जयपुर डाकघर ४११
२३२ ग्राम्य सहकारी संस्थाएं . ४११–१२
२३३ पंजाब में राष्ट्रीय राजपथ ४१२
२३४ खाद्यान्न वितरण ४१२–१३
२३५ चावल का आयात ४१३–१४
२३६ रेलवे आय ४१४
२३७ अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ) के अन्तर्गत निधि आवंटन ४१४–१६
२३८ मुज़फ्फ़रपुर-दरभंगा-रेल मार्ग . ४१६
२३९ उर्वरक . . ४१६–१७
२४० भोजन यान ४१७
२४२ लोहे के कब्जे और पेचों की बिक्री . . ४१७
२४३ दिल्ली में तपेदिक के रोगी . . . ४१७–१८
२४४ दिल्ली में मलेरिया-निरोधक दल ४१८
२४५ एरणाकुलम–क्विलोन रेलवे ४१८
२४६ नागार्जुन सागर बांध में हस्पताल . . ४१८
२४७ पश्चिमी बंगाल के बांकुरा जिले में मेडिकल कालेज ४१९
२४८ सियालदा सैक्शन पर दुर्घटनाएं . . ४१९
२४९ भुवनेश्वर में मुर्गीखाना . . . ४१९

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित	
प्रश्न संख्या	
२५० विकास आयुक्तों का सम्मेलन	४२०
२५१ आउट-एजेन्सियां	४२०
२५२ हिमाचल प्रदेश में वैटरिनेरी असिस्टेंट सर्जन	४२०
२५३ दिल्ली में नये जनाने अस्पताल	४२१
२५४ स्टेशनों पर लाउडस्पीकर	४२१
२५५ हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में बनाये गये जहाज	४२१—२२
२५६ 'याज़' रोग के नियंत्रण के लिये अन्तर्राज्यीय योजना	४२२
२५७ रेलवे कर्मचारियों को वेतन तथा भत्ते की अदायगी न होना	४२२—२३
२५८ आंध्र में चावल की खरीद	४२३
२५९ केन्द्रीय जल तथा विद्युत गवेषणा केन्द्र, खडकवासला	४२३—२४
२६० रेल के डिब्बों में विज्ञापन	४२४
२६१ मर्मागोआ बन्दरगाह से माल परिवहन	४२४—२५
२६२ रेल गाड़ियों का ठीक समय पर चलना	४२५—२६
२६३ यात्री सुविधायें	४२६—२७
२६४ बरेली स्टेशन के निकट पुल	४२७
२६५ दक्षिण-पूर्व रेलवे पर माल-डिब्बों का इकट्ठा हो जाना	४२७—२८
२६७ त्रिपुरा में मोटरगाड़ी नियमों को लागू करना	४२८
२६८ क्विलोन में छोटे-छोटे पत्तन	४२८
२६९ करजाट में जल संभरण	४२९
२७० इम्फाल में तार प्रणाली	४२९
२७१ इम्फाल से तार भेजना	४२९—३०
२७२ कटक में रेलवे डाक सेवा (आर० एम० एस०) डिवीजन	४३०
२७३ हावड़ा तथा लोहारपुर हाल्ट के बीच रेल गाड़ियां	४३०—३१
२७४ अनाज की फसल के प्रतिवेदन	४३१
२७५ वातानुकूलित गलियारे वाली एक्सप्रेस गाड़ियां	४३१—३२
२७६ पाकिस्तान रेलवे को भुगतान	४३२
२७७ त्रिपुरा में विद्युत संभरण	४३२
२७८ उत्तर रेलवे में गार्डों की नियुक्ति	४३३
२७९ आरक्षण प्रपत्र	४३३
२८० लखनऊ और बरेली के बीच रेल की पटरियां	४३३—३४
२८१ मैलानी तथा कौडियाला घाट के बीच रेल की पटरियां	४३४
२८२ पटसन	४३५
२८३ आयात किया गया अनाज	४३५
२८४ हावड़ा तथा सियालदा स्टेशन के भारिक तथा गोदाम कर्मचारी	४३६
२८५ आन्ध्र सरकार द्वारा रेलवे स्लीपरों का संभरण	४३७

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
२८६ डाक यान	४३७
२८७ सुपारी गवेषणा केन्द्र	४३७–३८
२८८ दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार	४३८
२८९ करमटोला के निकट रेलवे दुर्घटना	४३९
२९० रेलवे प्रशिक्षण स्कूल	४३९
२९१ हिमाचल प्रदेश में जल सम्भरण योजनायें	४३९–४०
२९२ नासिक रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण	४४०
२९३ इगतपुरी में बिजली लगाना	४४०–४१
२९४ भारतीय कवियों के चित्र वाले डाक टिकट	४४१
२९५ जालन्धर में रेल का ऊपरी पैदल पुल	४४१–४२
२९६ फीरोजपुर रेलवे बस्ती में रेलवे हाई स्कूल	४४२
२९७ रेल के डिब्बे	४४२
२९८ भारतीय पत्तनों की क्षमता	४४२–४३
२९९ छोटे पत्तनों का विकास	४४३
३०० भाखड़ा नंगल परियोजना के लिए वस्तुओं का क्रय	४४४
३०१ वाइकाउन्ट विमान सेवायें	४४४
३०२ इंडियन एयर लाइन्स तथा एयर इंडिया कार्पोरेशन का कार्य संचालन	४४५
३०३ भारतीय रेलों की प्रकृष्ट सेवा	४४५–४६
३०४ चीनी के कारखाने	४४६
३०५ दावों की अदायगी	४४६
३०६ अभिज्ञात संघों से अभ्यावेदन	४४६–४७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४४७

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३१ अगस्त, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २७२६ की प्रति।

(२) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २६ अक्तूबर, १९५७ की अधिसूचना संख्या ३३९१ की एक प्रति।

(३) वर्ष १९५६–५७ के लिये भारतीय विमान निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

(४) वर्ष १९५६–५७ के लिये एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन

पृष्ठ

विषय

(५) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्न दो अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २१ सितम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० २९८७

(दो) दिनांक २१ सितम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० २९८८

सभा का कार्य . ४४८

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) ने १८ नवम्बर १९५७ से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी विधान-कार्य तथा अन्य कार्य के क्रम के बारे में एक वक्तव्य दिया।

विधेयक विचाराधीन ४४८-६२

अपराधी परिवीक्षा विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। श्री नौशीर भरूचा और पंडित ठाकुर दास भार्गव ने विधेयक पर राय जानने के लिये उसे परिचालित करने और पंडित ठाकुर दास भार्गव ने विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिये संशोधन प्रस्तुत किये। चर्चा समाप्त नहीं हुई

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ४६२-६३

आठवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प अस्वीकृत हुआ . . . ४६३-८१

श्रीमती पार्वती कृष्णन् द्वारा प्रस्तुत किये गये, पदच्युत सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर पुनर्विलोकन करने के लिये एक न्यायाधिकरण नियुक्त करने सम्बन्धी संकल्प पर अग्रेतर चर्चा प्रारम्भ हुई। संकल्प पर चर्चा होने के पश्चात लोक-सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में ३५, विपक्ष में ८७ मत थे। संकल्प अस्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प विचाराधीन . . ४८१-८२

श्री नरसिंहन् ने लागत लेखा परिणामों का प्रमाणीकरण सम्बन्धी आवश्यक योग्यता वाली परीक्षाओं के नियंत्रण के लिये एक संविहित निकाय की नियुक्ति के सम्बन्ध में संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . ४८२

ग्यारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

सोमवार, १८ नवम्बर, १९५७ के लिये कार्यावलि

अपराधी परिवीक्षा विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा तथा संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में नौ सेना विधेयक पर विचार।